[2019] 16 एस सी आर 275

एस्सार स्टील इंडिया के ऋणदाताओं की समिति

प्राधिकरण के माध्यम से सीमित संकेत

वी.

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील सं. 8766–67)

नवंबर 15, 2019

[आर. एफ. नरीमन, सूर्या कान्ट और

वी. रामसुब्सरमणियन, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016–कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया–समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए लेनदारों की समिति की शक्ति–तथ्यों, कॉर्पोरेट देनदार के लिए समाधान योजनाओं पर–एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड–कॉर्पोरेट देनदार के सी. आई. आर. पी. में, आर्सेलर मित्तल इंडिया सफल समाधान आवेदक था।आर्सेलर मित्तल की समाधान योजना विशेष रूप से एकऋणों के समाधान के लिए 35,000 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान 42, 213 करोड़ रुपये की राशि–लेनदारों की समिति द्वारा आर्सेलर मित्तल की अंतिम समाधान योजना की मंजूरी–कई कार्यवाहियों की शुरुआत NCLT ने समाधान योजना की अनुमति दी – एन. सी. एल. ए. टी.–एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष यह अभिनिर्धारित किया गया था कि देय राशि के भुगतान के मामले में वित्तीय लेनदार और परिचालन लेनदार के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है; इस प्रकार, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने द्वारा अपनाई गई गणना की विधि के अनुसार अनुमोदित समाधान योजना के तहत देय आय को फिर से वितरित किया ताकि सभी वित्तीय लेनदार और परिचालन लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों का भुगतान किया जाए; एन. सी. एल. ए. टी. ने निर्देश दिया कि प्रत्येक वित्तीय लेनदार (चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित) को 10 लाख रुपये के बराबर या उससे अधिक के दावे के साथ अपने स्वीकृत दावे का भुगतान किया जाए, चाहे उनका सुरक्षा ब्याज कुछ भी हो; कि 1 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक के दावे के साथ परिचालन लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों का% भुगतान किया जाए; कि लेनदारों की समिति को एक या अन्य लेनदारों के बीच किए जाने वाले वितरण के तरीके को तय करने का अधिकार नहीं है; अर्थात्। 53 निगमित समाधान प्रक्रिया के दौरान लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल परिसमापन के चरण में लागू होगा; और यह कि समाधान पेशेवर द्वारा तय किए गए और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए दावे अंतिम हैं और सभी लेनदारों पर बाध्यकारी हैं–अपील पर कहा गयाः एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा आदेश जो लेनदारों की समिति के वाणिज्यिक ज्ञान के लिए अपने ज्ञान को प्रतिस्थापित करता है और समाधान आवेदक द्वारा किए गए कई दावों को स्वीकार करने का भी निर्देश देता है, जिसे अलग रखा जाता है–कॉर्पोरेट देनदार का सी. आई. आर. पी. आर्सेलर मित्तल की दिनांकित समाधान योजना 23.10.2018 के अनुसार होगा, जैसा कि 27.03.2019 पर लेनदारों की समिति द्वारा संशोधित और स्वीकार किया गया है, जैसा कि इसने विभिन्न वर्गों के लेनदारों को निम्नलिखित धाराओं के माध्यम से भुगतान की जाने वाली राशि के लिए प्रावधान किया है। 30 (2) और संहिता का विनियमन 38।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016–समाधान पेशेवर–निगमित देनदार के पुनरुत्थान में भूमिका–आयोजितः समाधान पेशेवर की भूमिका निर्णयात्मक नहीं बल्कि प्रशासनिक है–समाधान पेशेवर एक आवेदन के प्रवेश के चरण से ही कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का प्रबंधन करता है। 7 , 9 या 10–वह लेनदारों की समिति की बैठकें नियुक्त करता है और बुलाता है–वह सभी लेनदारों के दावों को एकत्र करता है, जोड़ता है और अंत में स्वीकार करता है, जिन्हें समाधान आवेदक द्वारा भुगतान के लिए जांचा जाना चाहिए और अंत में लेनदारों की समिति द्वारा बातचीत और निर्णय लिया जाना चाहिए।

संभावित समाधान आवेदक–व्याख्या की भूमिका।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016–निगमित समाधान प्रक्रिया में लेनदारों की समिति की भूमिका आयोजितः लेनदारों की समिति यह तय करती है कि किसी विशेष समाधान योजना की स्वीकृति के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार का पुनर्वास किया जाए या नहीं–लेनदारों की समिति वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत के वोट से समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है, इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और विभिन्न अन्य आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं–अंततः यह लेनदारों की समिति का वाणिज्यिक विवेक है जो सर्वोत्तम समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए काम करता है, जिसे अंततः इसकी बातचीत के बाद स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा, लेनदारों की समिति लेनदारों के किसी भी समूह के लिए किसी भी प्रत्ययी क्षमता में कार्य नहीं करती है, इसके विपरीत, यह बहुमत से जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर एक व्यावसायिक निर्णय लेना है, जो तब असंतुष्ट लेनदारों सहित सभी हितधारकों को बांधता है–इस प्रकार, इस बहुमत के लेनदारों का वाणिज्यिक ज्ञान महत्वपूर्ण है जो संभावित समाधान आवेदक के साथ बातचीत के माध्यम से निर्धारित करना है कि कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया कैसे और किस तरह से होनी है–एस. एस. 21 , 24 , 28 , 29 , 30 और 31.एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016–राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण–न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण–इसके अधिकार क्षेत्र के तहत अपीलीय न्यायाधिकरणऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित संकल्प–आयोजितः निर्णय लेना। प्राधिकरण की अधिकारिता एस द्वारा सीमित है। 30 (2) और अपीलीय न्यायाधिकरण की अधिकारिता एस द्वारा सीमित है। 32 आरडब्ल्यू एस। 61 (3) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण गुण–दोष पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता हैऋणदाताओं की समिति द्वारा लिया गया वाणिज्यिक निर्णय,समाधान प्रक्रिया; कि उसे अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की आवश्यकता है; और यह कि परिचालन सहित सभी हितधारकों के हित लेनदारों का ध्यान रखा गया है–यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण तथ्यों के एक समूह पर, यह पाया जाता है कि उक्त मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया है, यह ऋणदाताओं की समिति को एक समाधान योजना वापस भेज सकता है ताकि उक्त मापदंडों को पूरा करने के बाद ऐसी योजना को फिर से प्रस्तुत किया जा सके–ऋणदाताओं की समिति द्वारा दिए गए कारण समाधान योजना को मंजूरी देते समय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा केवल इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, और एक बार यह संतुष्ट हो जाने पर कि ऋणदाताओं की समिति ने इन पर ध्यान दिया है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016–सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार समानता सिद्धांत–आयोजितः सुरक्षित औरअसुरक्षित वित्तीय लेनदारों को अलग किया जाता है जब यह आता है समाधान योजना के तहत भुगतान की जाने वाली राशि के साथ–साथ असंतुष्ट सुरक्षित या असुरक्षित वित्तीय लेनदारों को क्या भुगतान किया जाना हैपरिचालन लेनदारों को वैधानिक प्रपत्र एच के पैराग्राफ 7 के S.No.5 में इन सुरक्षित और असुरक्षित

वित्तीय लेनदारों से अलग से देखा जाता है इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि संहिता औरविनियम, समग्र रूप से पढ़े जाने पर, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समानता के सिद्धांत को असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।चूंकि यह संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने के लिए संहिता के उद्देश्य को नष्ट कर देगा, इसलिए प्रत्येक लेनदार के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।यह उस वर्ग पर निर्भर करता है जिससे यह संबंधित हैः सुरक्षित याअसुरक्षित, वित्तीय या परिचालन।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 21 (8) , 28 ऋणदाताओं की समिति द्वारा एक उप–समिति का गठनलेनदारों की समिति द्वारा प्रत्यायोजित याचिका की अनुमति एक उप–समिति के लिए अपने कार्य, जिसके परिणामस्वरूप, उप–समिति ने आर्सेलर मित्तल के साथ गुप्त रूप से बातचीत की–आयोजितःसमाधान आवेदकों, या अन्य मंत्रिस्तरीय या प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए, बशर्ते कि ऐसे कार्य ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित और अनुमोदित अंतिम विश्लेषण में हों–तथ्यों पर, प्रत्येक एक प्रशासनिक निर्णय को मंजूरी और अनुमोदन देना आवश्यक है।आर्सेलर मित्तल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना का प्रशासन वास्तव में लेनदारों की समिति के आवश्यक बहुमत द्वारा ही किया गया था, उप–समिति का उपयोग केवल कार्यवाही शुरू करने और आर्सेलर मित्तल के साथ बातचीत करने के उद्देश्यों के लिए किया गया था, जो अंततः समाधान योजना में समाप्त हो गई क्योंकि अंत में बातचीत की गई, जिसे आवश्यक बहुमत लेनदारों द्वारा पारित किया गया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक उप समिति के गठन के पक्ष में मतदान किया और उप समिति में अपना नाम शामिल करने का भी अनुरोध किया, हालांकि, जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने पाया कि चीजें उसके खिलाफ जा रही थीं, तो उसने इस पर आपत्तियां उठाना शुरू कर दिया।तकनीकी दलील कि संहिता के तहत उप–समितियों का गठन नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार, याचिका प्रामाणिक नहीं थी और खारिज कर दी जाती है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 31 (1) व्यक्तिगत गारंटी और अनिर्णित दावों को समाप्त करना – निगमित देनदार–एक सफल समाधान आवेदक ऐसा नहीं कर सकता हैउनके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद अचानक "अनिर्णित" दावों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इससेएक संभावित समाधान आवेदक द्वारा देय राशि के बारे में अनिश्चितता, जिसने सफलतापूर्वक एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की कॉर्पोरेट समिति के व्यवसाय को संभाला।वी. सतीश कुमार गुप्तादेनदार–सभी दावों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उनके द्वारा तय किया जाना चाहिए।समाधान पेशेवर ताकि एक संभावित समाधान आवेदक वास्तव में जानता है कि क्या भुगतान करना है ताकि वह तब कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल सके और चला सके–सफलसमाधान आवेदक एक नए स्लेट पर करता है।दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019। 4 और 6 आयोजित की गई संवैधानिक वैधताः एस के संबंध में। 4 सेसंशोधन अधिनियम, यह स्पष्ट है कि एस के अनुसार। 12 प्रिंसिपल का अधिनियम, निगमित दिवाला समाधान कार्यवाही को 330 दिनों की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें कोई भी शामिल हो।समाधान प्रक्रिया से संबंधित विस्तार और कानूनी कार्यवाही निगमित देनदार–90 दिनों की अतिरिक्त छूट अवधि दी जाती है, जिसमें विफल रहने पर किस निगमित देनदार को परिसमापन में भेजा जाएगा–प्रावधान को अन्यथा बरकरार रखते हुए, "अनिवार्य रूप से" शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से मनमाना होने और अत्यधिक और अनुचित होने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत कार्य करने के वादी के अधिकार पर प्रतिबंध–जहां तक संबंध है, धाराओं के प्रतिस्थापन का। 30 (2) (बी) एस द्वारा। 6 2019 के संशोधन अधिनियम के अनुसार, यह प्रतिस्थापित एस के बाद से संवैधानिक रूप से मान्य है। 30 (2) ((b) वास्तव में फायदेमंद है परिचालन लेनदारों और असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के पक्ष में प्रावधान क्योंकि उन्हें अब एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है, खंड (बी) के उपखंड (i) और (ii) के तहत

गणना किए गए दो आंकड़ों में से परिचालन लेनदारों के मामले में न्यूनतम अधिक और असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के मामले में न्यूनतम न्यूनतम राशि जो पहले देय नहीं थीइसके अलावा, स्पष्टीकरण 1 और 2 के साथ-साथ एस के उपखंड (बी) भी। 6 2019 के संशोधन अधिनियम, संवैधानिक रूप से मान्य है।

अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः

समाधान पेशेवर की भूमिका

1. समाधान पेशेवर एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7,9 या 10 के तहत एक आवेदन के प्रवेश के चरण से एक चालू चिंता के रूप में कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का प्रबंधन करने के लिए है।समाधान योजना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है, लेकिनवह एक प्रमुख व्यक्ति भी है जिसे [2019] 16 एस. सी. आर. की बैठकों की नियुक्ति और आयोजन करना है। लेनदारों की समिति, ताकि वे निर्णय ले सकेंसमाधान योजनाएँ जो समाधान आवेदकों को दी गई विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की जाती हैंसमाधान पेशेवर। समाधान पेशेवर का एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य सभी लेनदारों के दावों को एकत्र करना, मिलान करना और अंत में स्वीकार करना है, जिनकी समाधान आवेदक द्वारा भुगतान के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से या बिल्कुल भी जांच नहीं की जानी चाहिए और अंत में लेनदारों की समिति द्वारा बातचीत और निर्णय लिया जाना चाहिए। आर्सेलर मित्तल इंडिया मामले में, यह स्पष्ट किया गया है कि समाधान पेशेवर की भूमिका न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक है। [पैरा 27] [329-एफ-जी; 330-ए-बी]

आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता (2019) 2 एससीसी 1: [2018] 12 एससीआर 362-निर्भर पर।

संभावित समाधान आवेदक की भूमिका

2.1 दिवाला संहिता के तहत, संभावित समाधान आवेदक को पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हैसंहिता की धारा 7,9 या 10 के तहत आवेदन स्वीकार करने से पहले निगमित देनदार, उसके द्वारा देय ऋण और एक चालू संस्था के रूप में इसकी गतिविधियाँ। इस उद्देश्य के लिए, उसे सूचना ज्ञापन में निहित जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार हैविनियमन 36-बी में उल्लिखित मूल्यांकन मैट्रिक्स के रूप में। एक बार जब यह रुचि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित को विनियमन 36-ए (7) में निर्धारित किया गया है। इसके बाद, संभावित समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना में निम्नलिखित प्रावधान होने चाहिएःअपनी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए निगमित देनदार के दिवालिया होने के समाधान के लिए आवश्यक उपाय, जिसमें परिसंपत्तियों या उसके कुछ हिस्से का हस्तांतरण या बिक्री शामिल हो सकती है, चाहे वह प्रतिभूति हितों के अधीन हो या नहीं। विनियम 37 में कहा गया है कि योजना किसी सुरक्षित लेनदार के किसी भी प्रतिभूति हित की संतुष्टि या संशोधन के लिए प्रदान कर सकती है और विभिन्न वर्गों के लेनदारों को देय राशि में कमी का भी प्रावधान कर सकती है-विनियम 37 देखें। [पैरा 29] [333-एच; 334 ए-बी; 335-बी-सी]

2.2 विनियमन 38 एक समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री से संबंधित है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी योजना में एकप्रावधान है कि परिचालन लेनदारों को देय राशि को वित्तीय लेनदारों की तुलना में भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी (विनियमन)38 (1)) . इस तरह की योजना में इस बात के प्रावधान भी शामिल होने

चाहिए कि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स से कैसे निपटा जाए।वी. सतीश कुमार गुप्ता वित्तीय लेनदारों और निगमित देनदार के परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों के साथ (विनियमन 38)(1ए))। इसके बाद उसे इस अवधि के दौरान निगमित देनदार के व्यवसाय की योजना, प्रबंधन और नियंत्रण की अवधि के लिए प्रावधान करना चाहिए।अवधि, और इसका कार्यान्वयन। इसे यह भी प्रदर्शित करना चाहिए कि यह व्यवहार्य और व्यवहार्य है, और समाधान आवेदक के पास उक्त योजना को लागू करने की क्षमता है। [पैरा 30] [335–बी–सी]

निगम में लेनदारों की समिति की भूमिकासमाधान प्रक्रिया

3.1 चूंकि यह ऋणदाताओं की समिति का व्यावसायिक विवेक है कि वह यह तय करे कि इसका पुनर्वास किया जाए या नहीं।किसी विशेष ऋण की स्वीकृति के माध्यम से निगमित देनदारसमाधान योजना, संहिता और विनियमों के प्रावधानों में ऐसी समिति की स्थापना के महत्व को विस्तार से रेखांकित किया गया है और उक्त समिति के सदस्यों के अपेक्षित बहुमत द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया है। इस प्रकार, संहिता की धारा 21 (2) में कहा गया है कि लेनदारों की समिति में निगम के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगे।ऋणी "। वित्तीय लेनदारों को संहिता की धारा 5 (7) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिन पर वित्तीय ऋण बकाया है औरया स्थानांतरित कर दिया गया। वित्तीय ऋण "को तब संहिता की धारा 5 (8) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण, जो इसके समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित किया जाता है।पैसा। " "सुरक्षित लेनदार" को संहिता की धारा 3 (30) में अलग से परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक लेनदार जिसके पक्ष में एक प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है और "प्रतिभूति ब्याज" को धारा 3 (31) द्वारा परिभाषित किया गया है। [पैरा 31] [336–डी–एफ]

3.2 संहिता को लागू करने के लिए, वित्तीय लेनदारों और ऋणदाताओं के बीच एक स्पष्ट विभाजन किया गया है। परिचालन लेनदार। अधिकांश वित्तीय लेनदार सुरक्षित हैं। लेनदार और अधिकांश परिचालन लेनदार असुरक्षित लेनदार होते हैं। निगमित देनदार के मामलों को संभालने वाले और उन्हें हल करने वाले केवल वित्तीय लेनदारों के लिए तर्क उन कारणों के लिए है जिन पर 2015 की बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट द्वारा विचार–विमर्श किया गया है, जो दिवाला संहिता के अधिनियमन का आधार बने। [पैरा32] [337 – बी–सी]

3.3 संहिता की धारा 24 लेनदारों की समिति की बैठकों से संबंधित है। यद्यपि एक [2019] 16 एस. सी. आर. के अनुमोदन पर मतदान।समाधान योजना केवल उन वित्तीय लेनदारों के पास होती है जो ऋणदाताओं की समिति बनाते हैं, फिर भी समाधान पेशेवर को उक्त बैठक का संचालन करना होता है जिसमें निलंबित निदेशक मंडल के सदस्य एक साथ उपस्थित हो सकते हैं।प्रचालन ऋणदाताओं के प्रतिनिधि, बशर्ते किसभी परिचालन ऋणदाताओं का कुल बकाया संहिता के कुल ऋण (धारा 24 (2), (3) और (4)) के 10 प्रतिशत से कम नहीं है। मतदान मतदान प्रतिशत के अनुसार होगा।

3.4 भले ही यह समाधान पेशेवर है जो मध्यवर्ती अवधि के दौरान एक चालू संस्था के रूप में कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय चलाता है, फिर भी, ऐसे समाधान पेशेवर कम से कम 66 प्रतिशत ऋणदाताओं की समिति के मतों की पूर्व मंजूरी के बिना कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन से संबंधित कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चूंकि निगमित संकल्प अंततः ऋणदाताओं की समिति के बहुमत के मत के हाथों में है, इसलिए समाधान पेशेवर द्वारा निगमित ऋणदाता के प्रबंधन के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है जो निगमित ऋणदाता के प्रबंधन के अधिग्रहण और निगमित संकल्प के बीच के अंतराल में किए जाने वाले प्रमुख निर्णयों को प्रभावित

करता है। लेनदार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 30 (4) के तहत, लेनदारों की समिति वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत के वोट से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है, इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और विभिन्न अन्य आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। [पैरा 36] [341–बी; 342–जी–एच; 343–ए]

3.5 2016 के विनियमों के विनियम 18 से 26 तक ऋणदाताओं की समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों से संबंधित हैं।

विनियम 39 (3) संहिता की धारा 30 (4) को स्पष्ट करता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अंततः यह संहिता का व्यावसायिक विवेक है।

लेनदारों की समिति जो अनुमोदन करने के लिए काम करती है कि क्या है

ऐसे अधिकांश लेनदारों द्वारा सर्वोत्तम समाधान योजना मानी जाती है, जिसे संभावित समाधान आवेदकों के साथ ऐसी समिति द्वारा अपनी शर्तों की बातचीत के बाद अंततः स्वीकार कर लिया जाता है। [पैरा 37,

3.6 लेनदारों की समिति के बहुमत निर्णय का महत्व तब संहिता की धारा 31 (1) में बताया गया है। ऋणदाताओं की समिति के बहुमत निर्णय पर एक समाधान योजना की "व्यवहार्यता और व्यवहार्यता" छोड़ दी गई है, जो स्पष्ट रूप से योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है, जिसमें विभिन्न वर्गों के ऋणदाताओं के बीच धन के वितरण का तरीका भी शामिल है। अधिकांश लेनदारों का व्यावसायिक ज्ञान महत्वपूर्ण है जो संभावित समाधान आवेदक के साथ बातचीत के माध्यम से यह निर्धारित करना है कि निगमित समाधान प्रक्रिया कैसे और किस तरीके से होनी है। [पैरा 40] [346–बी–सी; बी–एफ]

के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक (2019) एससीसी

ऑनलाइन एससी 257–संदर्भित।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र और

अपीलीय न्यायाधिकरण

4.1 यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है जो सबसे पहले एक वित्तीय या परिचालन लेनदार, या द्वारा एक आवेदन स्वीकार करता है संहिता की धारा 7,9 और 10 के तहत स्वयं निगमित देनदार।

एक बार ऐसा करने के बाद, कोड द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण तब एक अंतरिम प्रस्ताव नियुक्त करता है।पेशेवर जो निगमित देनदार के दिन–प्रतिदिन के संचालन के बारे में प्रशासनिक निर्णय

लेता है; दावों का मिलान और उनके प्रवेश; और समाधान योजनाओं के लिए आह्वान। ऋणदाताओं की समिति के अपेक्षित बहुमत द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, उपरोक्त योजना को पारित होना चाहिए।

संहिता की धारा 31 (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का सदस्य। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र संहिता की धारा 30 (2) द्वारा सीमित है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उपलब्ध सीमित न्यायिक समीक्षा, जो किसी भी परिस्थिति में समिति के बहुमत के व्यावसायिक निर्णय पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

जहां तक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का संबंध है, लेनदारों को संहिता की धारा 30 (2) और संहिता की धारा 61 (3) के साथ पठित धारा 32 के चार कोणों के भीतर होना चाहिए, जहां तक अपीलीय न्यायाधिकरण का संबंध है, ऐसी समीक्षा के मानदंड के. शशिधर मामले में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। [पैरा 41,42] [347–ए–डी; 353–बी]

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407 [2017] 8 एससीआर 33; मैक्वेरी बैंक लिमिटेड बनाम।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2018) 2 एस. सी. सी. 674 [2017] 13 एस. सी. आर. 751; के. शशिधर बनाम। विदेशों में भारतीय

बैंक (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 257 पर भरोसा किया।

4.2 यह प्रस्तुत किया गया कि के. शशिधर मामला संहिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान से चूक गया जो धारा 60 (5) में निहित है। संहिता का; कि धारा 60 (5) का अबाधित खंड उस समय लागू किसी अन्य कानून की बात करता है, जो

स्पष्ट रूप से संहिता के प्रावधानों को शामिल नहीं किया जा सकता है।

दूसरा, धारा 60 (5) (सी) एन. सी. एल. टी. में निहित अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र की प्रकृति में है ताकि एन. सी. एल. टी. निर्णय ले सके।संहिता के तहत दिवाला समाधान या परिसमापन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले कानून या तथ्य के सभी प्रश्न। इस तरह

समाधान योजना, जैसा कि संहिता की धारा 31 (1) द्वारा अनिवार्य किया गया है। अतः संहिता की धारा 31 (1) और धारा 60 (5) के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से यह परिणाम प्राप्त होगा कि धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. की अवशिष्ट अधिकारिता किसी भी तरह से संहिता की धारा 31 (1) को कम नहीं कर सकती है। में कुछ विवेकाधीन या इक्विटी क्षेत्राधिकार का निवेश

संहिता की धारा 30 (2) के बाहर प्राधिकरण का निर्णय करना, जब किसी समाधान योजना की बात आती है जिस पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। इस तर्क को खारिज किया जाता है। [पैरा 43] [353–जी–एच; 354–ए–बी]

4.3 न्यूनतम मूल्य जिसका भुगतान किया जाना आवश्यक है

एक समाधान योजना के तहत परिचालन लेनदारों को संहिता की धारा 30 (2) (बी) के तहत निगम के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि के रूप में निर्धारित किया गया है। धारा 53 के तहत देनदार। 2018 में सरकार द्वारा गठित दिवाला समिति को संहिता के कामकाज में उत्पन्न होने वाले प्रमुख मुद्दों का अध्ययन करने और संहिता में किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों, यदि कोई हों, की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। दिवालियापन

समिति की रिपोर्ट, 2018, अन्य बातों के साथ–साथ, इस पर विचार–विमर्श किया गया

संहिता की धारा 30 (2) (बी) पर आपत्तियां, क्योंकि इसमें परिचालन लेनदारों को "परिसमापन मूल्य" के न्यूनतम भुगतान का प्रावधान है और इससे अधिक कुछ नहीं। अंत में,

समिति ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट समिति में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के खिलाफ निर्णय लिया।

वी. सतीश कुमार गुप्ता

संहिता की मौजूदा योजना, जिससे एक समाधान योजना के तहत परिचालन लेनदारों को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम मूल्य के बारे में प्रिस्क्रिप्शन को बनाए रखा जा सके। हालांकि, परिचालन

लेनदारों, संहिता की प्रस्तावना कॉर्पोरेट देनदारों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन की बात करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेट देनदार दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान एक चालू चिंता के रूप में काम करता रहे और इसलिए विभिन्न परिचालन लेनदारों को पिछले और वर्तमान भुगतान करना चाहिए जिनके बिना

5 (26) , 14 (2) , 20 (1) , 20 (2) (डी) और (ई) कोड के साथ पढ़ा जाता है 2016 विनियमों के विनियम 37 और 38 सभी कॉर्पोरेट देनदार के बारे में बात करते हैं जो इस अवधि के दौरान एक चालू चिंता के रूप में चल रहा है।

दिवाला समाधान प्रक्रिया। श्रमिकों को भुगतान करने की आवश्यकता है, बिजली बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता है, कच्चे माल की खरीद करने की आवश्यकता है, आदि। [पैरा 44,45] [354–सी–डी; 356–ई–जी]

4.4 विनियम 38 (1ए) एक समाधान योजना की बात करता है जिसमें एक बयान भी शामिल है कि इसने सभी के हितों से कैसे निपटा है।

वित्तीय लेनदारों की तुलना में भुगतान में प्राथमिकता। यदि परिचालन लेनदारों को कुछ भी भुगतान नहीं किया जाना है, तो न्यूनतम परिसमापन मूल्य–जो ज्यादातर मामलों में सुरक्षित लेनदारों को भुगतान किए जाने के बाद

शून्य होगा–निश्चित रूप से सभी हितधारकों के ब्याज को संतुलित नहीं करेगा या एक कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम नहीं करेगा यदि एक चालू चिंता के रूप में अपने व्यवसाय को जारी रखना असंभव हो जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब लेनदारों की समिति अपने व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करती हैनिगमित देनदार को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यावसायिक निर्णय पर पहुंचने के लिए, उसे वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बकाया का भुगतान करने के लिए एक वाणिज्यिक निर्णय पर पहुंचने से पहले संहिता की इन प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक वर्ग या उप–वर्ग के लेनदारों को क्या भुगतान करना है और कितना भुगतान करना है, इसका अंतिम विवेकाधिकार लेनदारों की समिति के पास है, लेकिन ऐसी समिति के निर्णय में इस तथ्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि उसने निगमित देनदार की संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसने परिचालन ऋणदाताओं सहित सभी हितधारकों के हितों को पर्याप्त रूप से संतुलित किया है। यह मामला होने के कारण, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की न्यायिक समीक्षा कि ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को पूरा किया गया है

धारा 30 (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं में न्यायिक समीक्षा शामिल होगी जिसका उल्लेख धारा 30 (2) (ई) में किया गया है, क्योंकि संहिता के प्रावधान भी उस समय लागू कानून के प्रावधान हैं। इस प्रकार, जबकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समिति द्वारा लिए गए वाणिज्यिक निर्णय के गुण–दोष पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है

लेनदारों, उपलब्ध सीमित न्यायिक समीक्षा यह देखने के लिए है कि लेनदारों की समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि कॉर्पोरेट देनदार को दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की आवश्यकता है; कि उसे अपनी संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की आवश्यकता है; और यह कि परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा गया है। अगर

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, तथ्यों के एक दिए गए समूह पर पाता है कि उक्त मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया है, वह उक्त मापदंडों को संतुष्ट करने के बाद ऐसी योजना को फिर से प्रस्तुत करने के लिए ऋणदाताओं की समिति को एक समाधान योजना वापस भेज सकता है। समाधान योजना को मंजूरी देते समय लेनदारों की समिति द्वारा दिए गए कारण इस प्रकार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा केवल इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, और एक बार जब यह संतुष्ट हो जाता है कि लेनदारों की समिति ने इन प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दिया है, तो उसे समाधान योजना को पारित करना चाहिए, अन्य चीजें समान होनी चाहिए। [पैरा 46] [358 ए–एच; 359–ए]

सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार; समानता सिद्धांत

संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से व्यवसाय से जुड़े सभी पक्षों के लिए इष्टतम समाधान। सामान्य तौर पर लेनदारों की रक्षा करना, इसमें कोई संदेह नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिससे लेनदारों की रक्षा की जा

सकती है।एक–दूसरे के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेनदारों को एक–दूसरे से बचाने का मतलब केवल यह है कि एक दिवालियापन संहिता को इस तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए ताकि लेनदारों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा सकें।

दिवालियापन की कार्यवाही जो वे सामान्य कानून के तहत आनंद लेंगे, जब तक कि यह किसी दिवालियापन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए न हो। [पैरा 49]

[365 – जी–एच]

अमेरिकी न्यायशास्त्र 2 डी, खंड 9–संदर्भित।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता

5.2 विश्व बैंक की 2010 की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक "ए ग्लोबल व्यू ऑफ बिजनेस इन्सॉल्वेंसी सिस्टम्स" है, एक पूर्व रिपोर्ट है।

फ्रांसीसी प्रणाली के आधार पर यह राय दी गई कि लेनदारों को बिना किसी उप वर्गीकरण के दो अलग–अलग वर्गों में विभाजित किया गया है और इस तरह की प्रणाली का लाभ यह है कि यह किसी विशेष वर्ग में लेनदारों के बीच हितों के संभावित टकराव से बचाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भी, असंतुष्ट लेनदारों पर एक "दबाव" एक दिवालिया कानून के तहत एकत्र होगा यदि ऐसे लेनदारों को एक समाधान योजना के तहत, कम से कम उतनी राशि प्राप्त होगी जो ऐसे लेनदारों को एक ऋण में प्राप्त होगी।

परिसमापन प्रक्रिया "परिसमापन मूल्य" है। [पैरा 52] [369 बी–ई]

सुरक्षा के लिए मानकों के विकास पर आईएमएफ पेपर

पास्कल डी बोएक और थॉमस लारिया, काउंसल, आईएमएफ कानूनी विभाग द्वारा ब्याज; विश्व बैंक की 2010 की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक "ए ग्लोबल व्यू ऑफ बिजनेस इन्सॉल्वेंसी सिस्टम्स" है; फिलिप आर वुड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इन्सॉल्वेंसी के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

5.3 वास्तव में, यदि दिवाला समाधान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में लेनदारों के विभिन्न वर्गों के अधिकारों को मान्यता देने वाला "सभी के लिए समानता" दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को कई मामलों में समाधान के बजाय परिसमापन के लिए मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि उनके पास बेहतर अधिकार होंगे यदि कॉर्पोरेट देनदार को समाधान योजना को मंजूरी देने के बजाय समाप्त किया जाना था। यह संहिता के पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा जो पहले यह सुनिश्चित करना है कि संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान हो और केवल तभी जब यह संभव नहीं है कि परिसमापन का पालन किया जाए। [पैरा 54] [370–एफ–जी]

5.4 वित्तीय लेनदार धन उधार देने के व्यवसाय में हैं। यह स्पष्ट है कि वित्तीय लेनदार कम मार्जिन के साथ उधार दिए गए धन पर ब्याज अर्जित करके लाभ कमाते हैं।1 से 4 प्रतिशत के बीच। इसके अलावा, वित्तीय लेनदार

कंपनियों के लिए पूंजी प्रदाता होते हैं, जो बदले में परिसंपत्तियों को खरीदने और ऐसी कंपनियों को अपने व्यावसायिक संचालन को चलाने में सक्षम बनाने के लिए एक कार्यशील पूंजी प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जबकि परिचालन लेनदार होते हैं

वित्तीय लेनदारों द्वारा उधार दी गई राशि के लाभार्थी जो हैं – फिर कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया जाता है, और अक्सर ऐसे [2019] 16 एस. सी. आर. में से कॉर्पोरेट देनदार को उनके द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यशील पूँजी। दूसरी ओर, तेल और गैस क्षेत्र के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक न्यास, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा किए गए बाजार अनुसंधान में कहा गया है कि उच्च लाभ मार्जिन और कम चक्रीय पुनर्भुगतान के साथ काम करने वाले परिचालन ऋणदाताओं का व्यावसायिक जोखिम अधिक होना चाहिए। इसके अलावा, परिचालन लेनदारों के पास कॉर्पोरेट देनदार को आपूर्ति रोककर तत्काल बाहर निकलने का विकल्प होता है, एक बार जब कॉर्पोरेट देनदार ऋण चुकाने में चूक करना शुरू कर देते हैं।

भुगतान करें। वित्तीय लेनदार अपने दीर्घकालिक ऋणों पर, या तो पूरी राशि के पुनर्भुगतान पर या चूक होने पर, पूरी ऋण सुविधा को वापस ले सकते हैं और/या प्रतिभूति ब्याज को लागू कर सकते हैं जो एक समय लेने वाली और लंबी प्रक्रिया है।

आमतौर पर मुकदमेबाजी शामिल होती है। वित्तीय लेनदार भी एक विनियमित बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा हैं जिसमें न केवल चूककर्ताओं को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में घोषित करना शामिल है, बल्कि इसमें शामिल हैं

371 – ए–ई] 5.5 स्विस रिबन मामले के पैराग्राफ 77 को पढ़कर, पहले के पैराग्राफ को पढ़कर, अपीलीय न्यायाधिकरण इस मामले में गिर गया है

गंभीर त्रुटि। पैराग्राफ 76 स्पष्ट रूप से UNCITRAL को संदर्भित करता है।

वित्तीय लेनदारों पर लागू करें। पैराग्राफ 77 में निर्धारित संशोधित विनियमन 38 फिर से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि वित्तीय और परिचालन लेनदारों, या सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों को समाधान योजना के तहत समान राशि, प्रतिशत के हिसाब से, भुगतान किया जाना चाहिए, इससे पहले कि यह पारित हो सके। उक्त विनियमन के तहत परिचालन ऋणदाताओं के अधिकारों के निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार में समाधान योजना शामिल है जिसमें कहा गया है कि इसने परिचालन ऋणदाताओं के हितों के साथ कैसे व्यवहार किया है, जो यह कहने के समान नहीं है कि उन्हें एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट समिति की समान राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

वी. सतीश कुमार गुप्ता

आवश्यक रूप से वित्तीय लेनदारों के समान वसूली प्रतिशत होना चाहिए। जब तक संहिता और विनियमों के प्रावधानों को पूरा किया गया है, यह लेनदारों की समिति के आवश्यक बहुमत का व्यावसायिक विवेक है जोएक समाधान योजना पर बातचीत करें और उसे स्वीकार करें, जिसमें लेनदारों के विभिन्न वर्गों को अलग–अलग भुगतान शामिल हो सकता है, साथ ही एक संभावित समाधान आवेदक के साथ बेहतर या अलग–अलग शर्तों के लिए बातचीत करना भी शामिल हो सकता है।

लेनदारों के विभिन्न वर्गों के बीच राशियों का वितरण। [पैरा 56] [375–डी–एच; 376–ए–बी] 5.6 वास्तव में, ऋणदाताओं की समिति को केवल वित्तीय समाधान योजनाओं को स्वीकार करने का विवेकाधिकार देकर

लेनदार, परिचालन लेनदार जिनके पास कोई वोट नहीं है, संहिता स्वयं दो प्रकार के लेनदारों के बीच अंतर करती है। अधिकांश वित्तीय लेनदार सुरक्षित लेनदार होते हैं, जिनके सुरक्षा हित अनिवार्य होते हैं।

ताकि वे आगे न बढ़ें और कानूनी कार्यवाही में अपनी सुरक्षा का एहसास न करें, बल्कि उन्हें संहिता के ढांचे के भीतर ऐसे व्यक्तियों के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करेंगे और एक कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। यह तर्क कि "सुरक्षित लेनदार" अभिव्यक्ति नहीं है

ऐसे दावों के संबंध में प्रतिभूति हित। विनियमन के तहत 39 (4) , सी. आई. आर. पी. के सफल होने के बारे में समाधान पेशेवर का अनुपालन प्रमाण पत्र विनियमों के फॉर्म एच में निहित है। [पैरा 57] [376–बी–एफ] [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2019) 4 एस. सी. सी. 17 [2019] 3 एस. सी. आर. 535–संदर्भित।

5.7 सुरक्षित और असुरक्षित वित्तीय लेनदार हैं

एक समाधान योजना के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों के साथ–साथ असंतुष्ट सुरक्षित या असुरक्षित वित्तीय लेनदारों को क्या भुगतान किया जाना है, इसका अंतर किया जाता है। और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिचालन लेनदारों को इन सुरक्षित और असुरक्षित वित्तीय लेनदारों से अलग से देखा जाता है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि संहिता और विनियम, समग्र रूप से पढ़े जाने पर, विशेषज्ञ निकायों की टिप्पणियों और इस न्यायालय के फैसले के साथ, सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समानता के सिद्धांत को असमानों के साथ समान व्यवहार करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह दबाव वाली परिसंपत्तियों को हल करने के लिए संहिता के उद्देश्य को नष्ट कर देगा। प्रत्येक लेनदार के साथ इस आधार पर समान व्यवहार किया जाना चाहिए कि वह किस वर्ग से संबंधित हैः सुरक्षित या असुरक्षित, वित्तीय या परिचालन। [पैरा 57] [377–डी–एफ]

5.8 यह विनियमन 39 (3) के साथ पठित धारा 30 (4) के तहत लेनदारों की समिति है, जिसके पास यह शक्ति निहित है –

समाधान योजनाओं को मंजूरी दें और उसमें संशोधन करें जैसा कि समिति उचित समझे। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 392 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के बीच यह महत्वपूर्ण अंतर है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह तय करना है कि संहिता के तहत कोई समाधान योजना पारित होती है या नहीं। जब इस भेद को ध्यान में रखा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि ऐसा करने के लिए कोई अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र नहीं है समाधान योजना को इस आधार पर मंजूरी दें कि यह लेनदारों के एक वर्ग के लिए अनुचित या अन्यायपूर्ण है, जब तक कि प्रत्येक वर्ग के हित में है

उनकी जांच की गई और उनकी देखभाल की गई। [पैरा 58] [379–जी–एच; 380 एजे

मिहिर आर. मफतलाल बनाम। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1997) 1 एस. सी. सी. 579 [1996] 6 पूरक। एस. सी. आर. 1–संदर्भित।समिति द्वारा एक उप–समिति का गठन

लेनदार

6.1 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए वकील की प्रस्तुति इस तथ्य के इर्द–गिर्द केंद्रित थी कि लेनदारों की समितिउन्होंने अपने कार्यों को एक उप–समिति को सौंपा, जो एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता

अस्वीकार्य। इस प्रतिनिधि मंडल के परिणामस्वरूप, उप–समिति ने गुप्त रूप से आर्सेलर मित्तल के साथ बातचीत की, जो गुप्त था।बातचीत के बाद एक पूरी तरह से असमान परिणाम सामने आया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हालांकि एक वित्तीय लेनदार था, को केवल 3487 करोड़ रुपये के अपने स्वीकृत दावे का भुगतान किया गया था, जबकि अन्य वित्तीय लेनदारों को उनके द्वारा किए गए दावे का भुगतान किया गया था। [पैरा 59]

6.2 संहिता की धारा 21 (8) के तहत, लेनदारों की समिति द्वारा सभी निर्णय 51 प्रतिशत बहुमत से लिए जा सकते हैं।

जब तक कि संहिता के अन्य विशिष्ट प्रावधानों के तहत अधिक प्रतिशत की आवश्यकता न हो। जब उन प्रश्नों पर लेनदारों की समिति की शक्तियों के प्रयोग की बात आती है जिनका निगमित देनदार के व्यवसाय के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, तो धारा 28 (1) (एच) में प्रावधान है कि हालांकि ये शक्तियां प्रशासनिक प्रकृति की हैं, लेकिन उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि केवल लेनदारों की समिति हीधारा 28 में उल्लिखित निर्णय लेना चाहिए और ऐसी समिति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं। जब धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने की बात आती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शक्ति किसी अन्य निकाय को भी नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह केवल लेनदारों की समिति है जिसे इस महत्वपूर्ण

व्यावसायिक निर्णय के साथ निहित किया गया है जिसे उसे स्वयं लेना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उप–समितियों को उनके साथ बातचीत करने के उद्देश्य से नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

लेनदार। आयोजित सभी महत्वपूर्ण लेनदारों की बैठकों के कार्यवृत्त को देखने के बाद, यह पाया गया है कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय को मंजूरी देना और प्रशासित करना आवश्यक है आर्सेलर मित्तल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना वास्तव में लेनदारों की समिति के आवश्यक बहुमत द्वारा की गई थी,

उप–समिति का उपयोग केवल कार्यवाही शुरू करने और आर्सेलर मित्तल के साथ बातचीत करने के उद्देश्यों के लिए किया गया था, जो अंततः समाधान योजना में समाप्त हो गया जैसा कि अंत में बातचीत की गई थी, जिसे 23.10.2018 पर ऋणदाताओं के आवश्यक बहुमत द्वारा पारित किया गया था। वास्तव में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 12 वीं समिति पर एक उप–समिति के गठन के पक्ष में मतदान किया।

ऋणदाताओं की 02.05.2018 की बैठक, साथ ही, निर्णयों के पक्ष में [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13 वीं समिति में समाधान आवेदकों की पात्रता पर उप–समितियों के मसौदों को अंतिम रूप देने वाली ऋणदाताओं की समिति 05.05.2018 पर लेनदारों की बैठक। इसके अलावा, वास्तव में, आईडी1 पर, लेनदारों की 16 वीं समिति की बैठक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा सदस्य बनने का अनुरोध किया गया था

उप–समिति का अनुरोध, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। उप–समिति के साथ बातचीत करने के अधिकार में

आर्सेलर मित्तल, क्रेडिटर्स की 20 वीं समिति की बैठक में 19.10.2018 पर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा उक्त उप–समिति में शामिल करने के लिए एक अनुरोध किया गया था। हालांकि, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इस पर सहमत नहीं हुआ

तकनीकी याचिका पर आपत्ति उठाना शुरू कर दिया कि संहिता के तहत उप समितियों का गठन नहीं किया जा सकता है। यह सही दलील नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की यह आपत्ति अस्वीकार भी किया जाता है। [पैरा 60,62] [380–ई; 383–ए–एच; 384–ए]

प्रद्यत कुमार भोस बनाम। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश [1955] 2 एस. सी. आर. 1331; बॉम्बे में उच्च न्यायालय अपने पंजीयक के माध्यम से

वी. शिरीषकुमार रंगराव पाटिल और अन्न। (1997) 6 एससीसी 339: [1997] 3 एस. सी. आर. 1131– संदर्भित।

व्यक्तिगत गारंटी और अनिर्णित का उन्मूलन

दावे

7.1 संहिता की धारा 31 (1) यह स्पष्ट करती है कि एक बार समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

गारंटर सहित सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगा। यही कारण है कि यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सफल समाधान आवेदक कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को एक नए स्लेट पर चलाना शुरू कर दे। [पैरा 65] [386–ई–एफ] 7.2 भारतीय स्टेट बैंक के फैसले के बाद, इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि समाधान योजना का वह हिस्सा जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्पण के कारण गारंटर के दावों को समाप्त कर दिया जाएगा, कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशकों द्वारा दी गई गारंटी पर लागू नहीं किया जा सकता है। जहां तक तत्काल मामले का संबंध है, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट समिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता

संहिता की धारा 31 (1) और इस न्यायालय के फैसले के विपरीतभारतीय स्टेट बैंक के मामले में, अलग रखा गया है। [पैरा 66] [387–सी–डी]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम वी. रामकृष्णन, (2018) 9

स्केल 597 पर भरोसा किया गया।

7.3 यह अभिनिर्धारित करने में विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय कि ऐसे दावे जो योग्यता के आधार पर तय किए गए दावों के अलावा मौजूद हो सकते हैं

समाधान पेशेवर और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अब संहिता की धारा 60 (6) के संदर्भ में एक उपयुक्त मंच द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, जो संहिता की धारा 31 के तर्क के खिलाफ भी है। एक सफल संकल्प

उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद आवेदक को अचानक "अनिर्णित" दावों का सामना नहीं करना पड़ सकता है क्योंकि यह एक हाइड्रा हेड पॉप अप के बराबर होगा जो एक संभावित समाधान आवेदक द्वारा देय अनिश्चितता राशि में डाल देगा जो सफलतापूर्वक कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल लेगा। सभी दावों को समाधान पेशेवर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि एक संभावित समाधान आवेदक को पता हो कि वास्तव में क्या भुगतान किया जाना है ताकि वह तब कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल सके और चला सके। यह सफल समाधान आवेदक एक नए स्लेट पर करता है। इन कारणों से, एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को भी इस आधार पर दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। [पैरा 67] [387–ई–जी]

सी. आई. आर. पी. के दौरान निगमित देनदार के लाभ का उपयोग

लेनदारों को भुगतान करने के लिए

8. आर. एफ. पी. संहिता की धारा 25 के संदर्भ में जारी की गई और आर्सेलर मित्तल और लेनदारों की समिति द्वारा सहमति दी गई। बशर्ते कि निगमित दिवाला प्रक्रिया के दौरान किए गए लाभ का वितरण भुगतान की ओर नहीं जाएगा

किसी भी लेनदार के ऋण (आर. एफ. पी. दिनांक 08.02.2018 के पहले परिशिष्ट का खंड 7)। इस संक्षिप्त आधार पर, एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले का यह हिस्सा भी गलत है। [पैरा 68] [387–एच; 388 ए]

संशोधन की धारा 4 और 6 की संवैधानिक वैधता

अधिनियम, 2019

9.1 इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2019 के संशोधन अधिनियम में कई धाराएँ शामिल हैं जिन्हें अधिनियमित/संशोधित किया गया है [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्योंकि संहिता के काम करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। हालांकि यह सच है कि यह अच्छी तरह से हो सकता है कि इस मामले में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा निर्धारित कानून इनमें से कुछ संशोधनों का आधार बनता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायिका ने सीधे एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को दरकिनार कर दिया है। चूँकि एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है, इसलिए विधायिका सभी के लिए सामान्य अनुप्रयोग के कानूनों को निर्धारित करने की अपनी सीमा के भीतर है।प्रभावित व्यक्ति, यह ध्यान में रखते हुए कि यह एक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कानून के दोषपूर्ण अध्ययन का उपचार मानता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वर्तमान मामले के अलावा 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन बोर्ड के उन सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो इसके प्रावधानों से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, यह तय किया गया कानून है कि अनुचित उद्देश्यों के अर्थ में बुरे विश्वास को कानून बनाने वाली विधायिका के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए इन सभी कारणों से 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 4 और 6 को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। [पैरा 73] [392–एच; 393–ए सी; 395–बी]

गजपति नारायण देव और अन्य बनाम। उड़ीसा राज्य[1954] एस. सी. आर. 1; एस. टी. ओ. बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड (1977) 4 एससीसी

98 [1978] 1 एस. सी. आर. 338–संदर्भित।

9.2 जहाँ तक धारा 4 का संबंध है, यह स्पष्ट है कि मूल समयसीमा जिसमें सी. आई. आर. पी. को पूरा किया जाना चाहिए, अब है।

इसे 330 दिनों तक बढ़ा दिया गया है, जो 180 से अधिक 60 दिन और 90 दिन (जो 270 दिनों के बराबर है) है। लेकिन इस 330–दिवसीय अवधि में निगमित देनदार की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में कानूनी कार्यवाही

में लिया गया समय शामिल है। यह प्रावधान आर्सेलर मित्तल इंडिया मामले में फैसले में जो कहा गया है, उस पर काबू पाने के लिए है, कि कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया के संबंध में कानूनी कार्यवाही में लगने वाले समय को समय सीमा से बाहर रखा जाना चाहिए।

धारा 12 में उल्लिखित है। दूसरा, इस धारा में जोड़ा गया तीसरा परंतुक यह भी अनिवार्य करता है कि जहां संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को 330 दिनों की अवधि समाप्त हो जाती है,

2019 , ऐसी तारीख से 90 दिनों की एक और अनुग्रह अवधि दी जाती है, जिसके भीतर ऐसी प्रक्रिया या तो पूरी की जाएगी या

निगमित देनदार को परिसमापन में भेजा जाए। इसकी वजह

यह प्रावधान उस अनुभव से आता है जो एस. आई. सी. ए. के लागू होने के बाद से विधायिका को परेशान कर रहा है।

[पैरा 74,75] [395–बी–ई] क्रेडिटर्स ऑफ एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता

मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड बनाम। बीआईएफआर (2016) 4 एससीसी 1:

[2016] 11 एस. सी. आर. 419–संदर्भित।

9.3 राज्यसभा के सदन के पटल पर माननीय मंत्री के भाषण ने इस तथ्य को भी प्रतिबिंबित किया कि

समय के साथ तनाव के त्वरित समाधान का मूल उद्देश्य

परिसंपत्तियाँ कमजोर हो रही हैं। इसलिए इस विधायी इरादे को बहाल करने के लिए समयबद्ध निर्णय लेना आवश्यक है। सदन में यह भी बताया गया कि संहिता के काम करने का अनुभव उत्साहजनक नहीं रहा है। चूंकि सदन में माननीय मंत्री का भाषण केवल उस उद्देश्य को इंगित करता है जिसके लिए संशोधन किया गया था और क्योंकि इसमें कुछ डेटा हैं जिन्हें विज्ञापन देना उपयोगी है, इसलिए भाषण से सहायता संशोधित धारा 12 का अर्थ निकालने के लिए नहीं, बल्कि केवल यह समझाने के लिए ली जाती है कि 2019 के संशोधन अधिनियम को क्यों लागू किया गया था।

लाया गया। [पैरा 76,77] [397–एच; 398–ए; 400–एफ–जी]

के. पी. वर्गीज बनाम आईटीओ [1982] 1 एससीआर 629; के. एस. परिपूर्णन बनाम केरल राज्य (1994) 5 एससीसी 593:

[1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 405–संदर्भित।

9.4 इस तथ्य को देखते हुए कि संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समय पर समाधान संहिता के सफल संचालन में एक प्रमुख कारक है, केवल

संशोधन के खिलाफ वास्तविक तर्क यह है कि कानूनी कार्यवाही में लिए गए समय को कभी भी एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष पक्षों के खिलाफ एक लैटिन उक्ति के आधार पर नहीं रखा जा सकता है जो न्याय के कारण को पूरा करता है, अर्थात् एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट। [पैरा 78] [400–जी–एच]

आत्मा राम मित्तल बनाम। ईश्वर सिंह पुनिया (1988) 4 एस. सी. सी. 284 [1988] 2 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 528; सारा मैथ्यू बनाम। हृदय संवहनी रोग संस्थान, (2014) 2 एस. सी. सी. 62 [2013] 12 एस. सी. आर. 674; नीरज कुमार सैनी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 14 एस. सी. सी. 136: [2017] 4 एस. सी. आर. 881 संदर्भित है।

9.5 कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय संभवतः एक वादी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है यदि न्यायाधिकरण स्वयं वादी की गलती के बिना आवश्यक अवधि के भीतर वादी के मामले को नहीं ले सकता है, एक प्रावधान जिसके लिए अनिवार्य रूप से सी. आई. आर. पी. को बिना किसी अपवाद के एक निश्चित तिथि तक समाप्त करने की आवश्यकता होती है–एक वादी के गैर [2019] 16 एस. सी. आर. के मौलिक अधिकार में अत्यधिक हस्तक्षेप हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महत्वपूर्ण कारक जो देरी का कारण बनता है, और जिसने किया है मद्रास पेट्रोकेम मामले की तरह पिछले वैधानिक प्रयोग विफल हो गए।

इस प्रकार, प्रावधान को अन्यथा अक्षुण्ण रखते हुए, "अनिवार्य" शब्द को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से मनमाना होने और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत कार्य करने के वादी के अधिकार पर अत्यधिक और अनुचित प्रतिबंध होने के रूप में हटा दिया गया है। इस घोषणा का प्रभाव यह है कि आम तौर पर निगमित देनदार की निगमित समाधान प्रक्रिया के संबंध में लिया गया समय दिवाला शुरू होने की तारीख से 330 दिनों की बाहरी सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें विस्तार और

समय को 330 दिनों से आगे बढ़ाएँ। इसी तरह, धारा 12 में नए जोड़े गए परंतुक के तहत भी, यदि सभी उक्त कारकों के कारण 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 90 दिनों की अनुग्रह अवधि को पार कर जाता है, तो फिर से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपील द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। न्यायाधिकरण उपरोक्त मानदंडों को ध्यान में रखते हुए समय को और बढ़ाएगा। केवल ऐसे असाधारण मामलों में ही समय बढ़ाया जा सकता है, सामान्य नियम यह है कि 330 दिन बाहरी सीमा है जिसके भीतर एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट कंपनियों की कॉर्पोरेट समिति की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान किया जाता है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता

देनदार को ऐसा होना चाहिए जिसके आगे कॉर्पोरेट देनदार को परिसमापन में धकेल दिया जाना है। [पैरा 79] [402–ई–एच; 403–ए–ई]

मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड बनाम। बीआईएफआर (2016) 4 एससीसी 1:

[2016] 11 एस. सी. आर. 419–संदर्भित।

9.6 जब प्रतिस्थापन की वैधता की बात आती है

2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 6 द्वारा धारा 30 (2) (बी), यह स्पष्ट है कि प्रतिस्थापित धारा 30 (2) (बी) परिचालन प्रदान करती है।

लेनदार को पहले की तुलना में कुछ अधिक दिया गया है क्योंकि यह उपखंड (बी) के उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित आंकड़ों से अधिक है जिसे अब न्यूनतम राशि के रूप में भुगतान किया जाना है –परिचालन लेनदार। यही बात उपखंड (बी) के बाद के भाग के लिए भी लागू होती है जो असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को संदर्भित करता है। धारा 30 (2) (बी) वास्तव में परिचालन लेनदारों और असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के पक्ष में एक लाभकारी प्रावधान है क्योंकि वे अब

एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, परिचालन लेनदारों के मामले में न्यूनतम दो आंकड़ों में से अधिक होना

न्यूनतम राशि जो पहले देय नहीं थी। वास्तव में, संशोधन से पहले, सुरक्षित वित्तीय लेनदार असुरक्षित वित्तीय लेनदारों को कुचल सकते हैं जो असहमत हैं, 66 प्रतिशत के बहुमत ने उन्हें कुछ भी नहीं देने के लिए मतदान किया या उनके बकाया के लिए कुछ भी नहीं। पूर्ववर्ती शासन में ऐसा करना संभव था, लेकिन संशोधन के बाद ऐसे वित्तीय लेनदारों को अब उप–धारा (2) में उल्लिखित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है। धारा 53 में उल्लिखित लेनदारों के भुगतान की प्राथमिकता का क्रम उप–धारा (2) (बी) में संशोधित नहीं है। धारा 53 का उल्लेख केवल इसलिए किया गया है ताकि संचालन के विभिन्न वर्गों को एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जा सके औरवित्तीय लेनदार। यह केवल इस उद्देश्य के लिए है कि धारा 53 (1) को देखा जाना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह लेनदारों की समिति का वाणिज्यिक विवेक है जो यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि विभिन्न वर्गों और उप–वर्गों के लेनदारों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

इसके तहत बनाए गए नियम। [पैरा 80] [402–ई–एच; 404–ए–सी]

9.7 यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण 1 को केवल इस क्रम में जोड़ा गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपील

न्यायाधिकरण [2019] 16 एस. सी. आर. के व्यावसायिक निर्णय के गुण–दोष में प्रवेश नहीं कर सकता है।

ऋणदाताओं की समिति का अपेक्षित बहुमत। वहाँ है।लेनदारों की समिति के अपेक्षित बहुमत द्वारा लिए गए व्यावसायिक निर्णय के गुण–दोष में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण में कोई अवशिष्ट इक्विटी क्षेत्राधिकार नहीं है, बशर्ते कि यह अन्यथा संहिता और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप हो। [पैरा 81] [404–डी ई]

9.8 समान रूप से, स्पष्टीकरण 2 प्रतिस्थापित धारा को लागू करता है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण के स्तर पर या किसी रिट या सिविल न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों के लिए।

किसी भी प्रस्ताव आवेदक को संहिता के तहत अपनी योजना को अनुमोदित करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। अपीलीय कार्यवाही मूल कार्यवाही की निरंतरता है। ऐसा होने के कारण, कानून में परिवर्तन हमेशा मूल या अपीलीय पर लागू किया जा सकता है।

आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण से भी, स्पष्टीकरण 2 संवैधानिक रूप से मान्य है, जिसमें निहित अधिकारों को बाधित करने के लिए कोई पूर्वव्यापी कार्रवाई नहीं है। [पैरा 82] [404–एफ–एच]

आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता (2019) 2 एससीसी 1: [2018] 12 एससीआर 362 स्विस

रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2019) 4 एस. सी. सी. 17 [2019] 3 एस. सी. आर. 535; लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल बनाम। केसर लाल चौधरी ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 5; शिव शक्ति कूप। हाउसिंग सोसाइटी, नागपुर बनाम। स्वराज डेवलपर्स एंड ओआरएस। (2003) 6 एस. सी. सी. 659–पर निर्भर।

लेनदारों की समिति को एक समाधान योजना को मंजूरी देने या न देने के लिए देता है और जो धारा 53 में उल्लिखित लेनदारों के विभिन्न वर्गों और एक सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हितों की विभिन्न प्राथमिकताओं और मूल्यों को ध्यान में रख सकता है। इस लचीलेपन का उल्लेख बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, 2015 में किया गया है। इसके अलावा, ऋणदाताओं की समिति को "मई" शब्द द्वारा दिया गया विवेकाधिकार फिर से यह स्पष्ट करता है कि यह केवल एक दिशानिर्देश है जो इस उप–धारा द्वारा निर्धारित किया गया है जिसे ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति या अस्वीकृति के रूप में व्यावसायिक निर्णय पर पहुंचने में लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, यह मानना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी प्रावधान संवैधानिक रूप से कमजोर है।

[पैरा 83] [405–ए–सी] क्रेडिटर्स ऑफ एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता

आर्सेलर मित्तल की समाधान योजना में संशोधन और उस पर आपत्तियां

अग्रिम नकद वसूली, असुरक्षित वित्तीय लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों का केवल 5 प्रतिशत की कुल राशि का भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, परिचालन में सुधार और कॉर्पोरेट देनदार की पुनरुद्धार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 8,000 करोड़ रुपये की नई पूंजी डालने का भी प्रस्ताव किया गया था। जहां तक परिचालन लेनदारों का संबंध है, यह प्रस्ताव किया गया था कि श्रमिकों और कर्मचारियों को उनके स्वीकृत दावों के बदले

18 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान किया जाना था, और अन्य परिचालन लेनदारों में से, उन छोटे व्यापार लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाना था, जिन्हें 1 करोड़ रुपये से कम के दावों को स्वीकार करने के रूप में परिभाषित किया गया था, जबकि व्यापार और सरकारी लेनदारों को 1 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जाना था, जिन्हें कुल मिलाकर 196 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था। अन्य परिचालन लेनदारों को कुछ भी नहीं दिया जाना था, परिसमापन मूल्य एक वर्ग के रूप में परिचालन लेनदारों को देय था जो किसी भी मामले में शून्य (आई. एन. आर. 3339 करोड़ सभी के कुल स्वीकृत दावे थे।

एक वर्ग के रूप में परिचालन लेनदार)। [पैरा 84] [405–डी–जी]

10.2 22.10.2018 पर, मूल समाधान योजना में विभिन्न परिवर्तन किए गए थे। यह कहा गया था कि प्रतिभूति का मूल्य और गुणवत्ता वह आधार होना चाहिए जिसके आधार पर अधिकांश सुरक्षित वित्तीय लेनदारों द्वारा आय का वितरण किया जाना चाहिए। इस संशोधित समाधान योजना को 92.24% वित्तीय लेनदारों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया था। जहां तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का संबंध है, कॉर्पोरेट देनदार की परियोजना परिसंपत्तियों पर शुल्क रखने वाले सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बीच साझाकरण अनुपात 99.86% था, जबकि 0.14%, जिसमें केवल ई. एस. ओ. एल. के शेयरों की गिरवी पर शुल्क था, जो कि कॉर्पोरेट की अपतटीय सहायक कंपनी थी।

ऋणी। प्रभावी तिथि पर सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 41 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाएगा। यह बताया गया कि यह प्रतिभूति के रूप में उन शेयरों के मूल्य पर आधारित था, जो केवल आई. एन. आर. 24.86 करोड़ था। [2019] 16 एस. सी. आर. पर अनुमोदित अंतिम समाधान योजना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23.10.2018 प्रभावी तिथि पर भुगतान किए जाने वाले 35,000 करोड़ रुपये के स्थान पर, 39,500 करोड़ रुपये और 2500 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 42,000 रुपये का भुगतान किया जाना था।करोड़ों का भुगतान किया जाना था। समाधान आवेदक इस बात पर सहमत हुआ कि ऋणदाताओं की समिति यह तय करेगी कि समाधान आवेदक द्वारा वित्तीय ऋणदाताओं को दिए जा रहे वित्तीय पैकेज को सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं को कैसे वितरित किया जाएगा। आई. एन. आर. 10 लाख से अधिक की दावा राशि वाले असुरक्षित वित्तीय लेनदारों को आई. एन. आर. 17.4 करोड़ और आई. एन. आर. 10 लाख से कम की दावा राशि वाले ऐसे लेनदारों को आई. एन. आर. 8,000 करोड़ का भुगतान किया जाना था। जहाँ तक परिचालन ऋणदाताओं का संबंध है, कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऋणदाताओं की समिति की दिनांक आई. डी. 1 की 22 वीं बैठक में, यह महसूस किया गया कि परिचालन ऋणदाताओं के लिए आई. एन. आर. 1 करोड़ से अधिक के लिए आई. एन. आर. 1,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया जाना चाहिए। अंत में, परिचालन लेनदारों को 1,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को सी. ओ. सी. के 70.73% के बहुमत से मंजूरी दी गई। [पैरा 85 88] [408–ई; 409–बी–डी; 413–सी–ई; 417–डी]

10.3 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की प्रस्तुति, कि आर्सेलर मित्तल द्वारा 42,000 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रस्ताव

आर्सेलर मित्तल। यह प्रस्तुत किया गया था कि अंतिम समाधान योजना ने अंततः 42,000 करोड़ रुपये के बजाय 39,500 करोड़ रुपये की राशि की पेशकश की, जो एक न्यूनतम अग्रिम भुगतान था जिससे ऊपर की ओर बातचीत करना संभव था लेकिन नीचे की ओर नहीं। ए. इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है कि ऋणदाताओं की समिति के बहुमत द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति को इस आधार पर अलग रखा जाना चाहिए, अन्य बातों के साथ-साथ, इस कारण से कि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति।

वी. सतीश कुमार गुप्ता

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के वकील ने आश्वासन दिया कि वह संशोधित योजना की स्वीकृति पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल उक्त योजना के तहत देय राशि के वितरण पर हमला कर रहे हैं। यह तो है

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि समाधान योजना की "व्यवहार्यता और व्यवहार्यता" में उक्त योजना के तहत ऋण की राशि का वितरण शामिल नहीं होगा; और यह कि समाधान योजना को स्वयं ही सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बीच वितरण के लिए प्रावधान करना चाहिए। यह पर्याप्त है कि संहिता और विनियमों के तहत, समाधान योजना विभिन्न प्रकार के लेनदारों के वर्गीकरण के आधार पर ऋणों के लिए देय राशि के वितरण का प्रावधान करती है। यह आर्सेलर मित्तल की मूल योजना के साथ-साथ बातचीत की गई योजना दोनों पहले ही कर चुकी हैं, दोनों योजनाओं में श्रमिकों को अलग-अलग भुगतान की जाने वाली राशि, 1 करोड़ रुपये और उससे कम के परिचालन ऋणदाता, 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के परिचालन ऋणदाता और वित्तीय ऋणदाता, जिन्हें अलग-अलग उप-वर्गों के रूप में सुरक्षित और असुरक्षित में विभाजित किया गया है। आर्सेलर मित्तल द्वारा वितरण के लिए जो कुछ भी बचा था वह था सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बीच वितरण जो तब उनके संबंधित सुरक्षा हितों के मूल्य के आधार पर 92.24% के बहुमत द्वारा किया गया था। इसलिए, यह आरोप कि लेनदारों की समिति ने आर्सेलर मित्तल को 42,000 करोड़ रुपये की प्रस्ताव राशि को 2,500 करोड़ रुपये तक कम करके उच्चतम न्यायालय के समक्ष किए गए गंभीर प्रस्ताव से मुक्त कर दिया, ताकि आर्सेलर मित्तल ओ. एस. पी. आई. एल. के ऋणों का अधिग्रहण कर सके, फिर से बातचीत का विषय है क्योंकि आर्सेलर मित्तल के साथ लेनदारों की समिति द्वारा लिया गया एक व्यावसायिक निर्णय है। किसी भी मामले में अंततः आई. एन. आर. 35,000 करोड़ को बढ़ाकर आई. एन. आर. 42,000 करोड़ कर दिया गया, यह फाइनल में स्पष्ट किया जा रहा है।

समाधान योजना यह है कि 42,000 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान एक प्रतिबद्ध राशि है, भले ही कार्यशील पूंजी समायोजन हो। यह 2,500 करोड़ रुपये से कम होगा। [पैरा 89] [417-ई-एच; 418-ए-ई]

समिति द्वारा जो लागू किया गया था उसे लागू करने का विवेकाधिकारउड़ीसा मैंगनीज मामले में लेनदार। [पैरा 91] [419-ई]

10.5 यह निवेदन कि संहिता की धारा 53 केवल परिसमापन के दौरान लागू होगी, न कि इस स्तर पर दिवालियापन का समाधान करना सही है। संहिता की धारा 30 (2) (बी) धारा 53 को संदर्भित करती है जो [2019] 16 एस. सी. आर. के भुगतान की प्राथमिकता के संदर्भ में नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेनदार, लेकिन केवल परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान प्रदान करने के लिए। हालाँकि, यह फिर से किसी में नहीं है

जिस तरह से लेनदारों की समिति को लेनदारों को वित्तीय या परिचालन और सुरक्षित या असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत करने से सीमित किया जाता है। लेनदारों की समिति को लेनदारों को वर्गीकृत करने और भुगतान करने के लिए पूरी स्वतंत्रता और विवेक दिया गया है

सुरक्षित लेनदार राशि जो मूल्य पर आधारित हो सकती है

अपनी सुरक्षा के बारे में, जिसे वे अन्यथा संहिता की प्रक्रिया के बाहर महसूस करने में सक्षम होंगे, जिससे निगम को झटका लगेगा।स्वयं समाधान प्रक्रिया। [पैरा 92] [419–एफ–जी]

10.6 सुरक्षित और असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बीच हितों के गंभीर टकराव के आधार पर प्रस्तुत करना, जैसा कि बहुमत अल्पसंख्यक पर भारी बोझ डालने के लिए एकजुट हो सकता है, अधिकांश वित्तीय लेनदारों को समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर पूर्ण विवेक दिया जा रहा है, जिसमें उनमें निहित ऋणों के वितरण का तरीका शामिल है, जो संचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों से निपटने से संबंधित संहिता के प्रावधानों का पालन करने के अधीन है। लेनदारों की समिति लेनदारों के किसी भी समूह के लिए किसी भी प्रत्ययी क्षमता में कार्य नहीं करती है, जैसा कि वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इसके विपरीत, यह बहुमत द्वारा जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर एक व्यावसायिक निर्णय लेना है,

जो तब असहमत सहित सभी हितधारकों को बांधता है

दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा) द्वारा संहिता की धारा 28 (3) और 30 (4) में किए गए संशोधनों को घटाकर 66 प्रतिशत कर दिया गया है। संशोधन) 2018 का अधिनियम)। [पैरा 93] [420–ए–डी]

10.7 एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय जो लेनदारों की समिति के वाणिज्यिक ज्ञान के लिए अपने ज्ञान को प्रतिस्थापित करता है और

जो प्रस्ताव आवेदक द्वारा किए गए कई दावों को स्वीकार करने का भी निर्देश देता है, उक्त निर्णय के खिलाफ अपील करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 94] [420–ई]

10.8 जहाँ तक 2019 की सिविल अपील संख्या 6409 का संबंध है,

ए. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स समिति के भुगतान के कारण निगमित देनदार द्वारा जारी किए गए चेक।

वी. सतीश कुमार गुप्ता

बी. पी. लिमिटेड के प्रति दायित्व प्रमुख उधारकर्ता यानी ई. पी. जी. एल. के किसी भी भुगतान दायित्व को सुरक्षित करने की दृष्टि से जारी नहीं किया गया था, यह एक तथ्य का निष्कर्ष है जो इस अपीलार्थी के वित्तीय लेनदार के रूप में माने जाने के दावे को खारिज करता है। वहाँ कोई नहीं है

उक्त निष्कर्ष में दुर्बलता। [पैरा 95] [420–एफ]

10.9 जहाँ तक सिविल अपील डायरी संख्या 36838 का संबंध है, एन. सी. एल. ए. टी. ने गलती की क्योंकि उसने इस दावे को जोड़ा है।

इस तथ्य के बावजूद कि प्रस्ताव द्वारा दावे को पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, आई. एन. आर. 861.19 करोड़ की अपीलकर्तापेशेवर जिसके परिणामस्वरूप इस अपीलार्थी के ऋण की दोगुनी गिनती होती है। यह स्थिति होने के कारण, विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय के उस हिस्से को भी दरकिनार कर दिया गया है। [पैरा 96] [420 जी–एच; 421–ए]

10.10 2019 की सिविल अपील संख्या 6266 तक, एन. सी. एल. ए. टी. के इस निष्कर्ष को खारिज करने का कोई कारण नहीं है कि दावा किया गया था।

समाधान योजना के अनुमोदन के बाद अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया। हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. का निष्कर्ष है कि उक्त दावा मध्यस्थता के अधीन है और यह अपीलार्थी के लिए आगे बढ़ने के लिए खुला था

संहिता की धारा 60 (6) के संदर्भ में मामले को इस निर्णय के संदर्भ में अलग रखा जाना चाहिए। [पैरा 97] [421–ए]

10.11 जहां तक 2019 की सिविल अपील संख्या 6269 का संबंध है, अपीलार्थी के इस तर्क में बल है कि

आक्षेपित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय में त्रुटि है क्योंकि यह दावा राशि को, जैसा कि स्वीकार किया गया है, आई. एन. आर. 124.88 करोड़ की राशि के रूप में नोट करता है, लेकिन बाद में उसी निर्णय में समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत चार्ट के आधार पर उक्त राशि को आई. एन. आर. 2.47 करोड़ के रूप में नोट किया गया है। समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत यह चार्ट 2 करोड़ 47 लाख रुपये (एन. सी. एल. टी. के दिनांकित 08.03.2019 के फैसले के बाद जोड़ा गया) की राशि को निर्दिष्ट करता है, जो प्रस्ताव द्वारा पहले से ही स्वीकार की गई आई. एन. आर. 124.88 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त है।

पेशेवर। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपीलार्थी के दावे की राशि के रूप में आई. एन. आर. 2.47 करोड़ राशि को नोट करने में गलती की, और निर्णय के उस हिस्से को अलग कर दिया गया। इस प्रकार, अपीलार्थी का दावा समाधान पेशेवर द्वारा स्वीकार और पंजीकृत दावा होगा। इसके अलावा, प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है

आई. एन. आर. 121.72 करोड़ की राशि के संबंध में अपीलार्थी को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से खारिज कर दिया गया है कि उक्त दावा [2019] 16 एस. सी. आर. के पूरा होने के बाद दायर किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आधारः एक, कि आवेदनों पर इतने विलंबित स्तर पर विचार नहीं किया जा सका; और दो, इसके बावजूद कि उपरोक्त कारण से, विधिवत मुहर लगे समझौतों को प्रस्तुत करने में विफलता के कारण दावे में कोई योग्यता नहीं थी। विवादित एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले ने एन. सी. एल. टी. और समाधान पेशेवर के निष्कर्ष को बरकरार रखा। इन समवर्ती निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों के दावे में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, अपीलकर्ताओं का यह निवेदन कि उन्होंने विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय के बाद अब आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया है, इस विलंबित चरण में अपीलकर्ताओं के मामले में सहायता नहीं करेगा। [पैरा 99] [421–जी–एच; 422–ए–सी]

10.13 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1064 के संबंध में, रिट याचिकाकर्ता के प्रस्तुत करने में बल है कि

एन. सी. एल. ए. टी. ने गलत तरीके से नोट किया कि दावे की राशि को समाधान पेशेवर द्वारा केवल आई. एन. आर. 1 पर स्वीकार किया गया था। समाधान पेशेवर ने रिट के दावे को स्वीकार कर लिया है

याचिकाकर्ता आई. एन. आर. 17.09 करोड़ का भुगतान करता है और यह समाधान पेशेवर द्वारा तैयार की गई लेनदारों की सूची में दर्ज किया जाता है।

उसी को ध्यान में रखते हुए, एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय का यह हिस्सा इस प्रकार गलत है और दावा स्वीकार किया गया दावा होगा और

समाधान पेशेवर द्वारा पंजीकृत। [पैरा 100] [422–डी–ई]

10.14 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1049 के संबंध में, याचिकाकर्ता स्वीकार्य रूप से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की एक पवन समिति का परिचालन लेनदार है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता

वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड, जिसकी सी. आई. आर. पी. कार्यवाही पहले से ही लंबित है।

एन. सी. एल. टी, अहमदाबाद। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित मामले में अपने स्वयं के मामले के तथ्यों से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों को उठाने की अनुमति मांगी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस निर्णय ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित रिट याचिकाकर्ता के मामले के गुण–दोष पर राय नहीं दी है, यह रिट याचिकाकर्ता के लिए खुला है कि वह लंबित कार्यवाही में एन. सी. एल. टी. के समक्ष लागू कानून के तहत सभी दलीलों को उठाए। [पैरा 101] [422–एफ–एच]

10.15 जहाँ तक दक्षिण गुजरात विज कं. (प्रतिवादी नं.

11 2019 की सिविल अपील डायरी संख्या 24417 में), राज्य कर अधिकारी (2019 की सिविल अपील डायरी संख्या 24417 में प्रतिवादी संख्या 12), गुजरात ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड। (2019 की सिविल अपील डायरी संख्या 24417 में प्रतिवादी संख्या 17) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। (2019 की सिविल अपील डायरी संख्या 24417 में प्रतिवादी संख्या 18) चिंतित हैं, समाधान पेशेवर ने उपरोक्त उत्तरदाताओं के दावे को वैचारिक रूप से स्वीकार किया है।

आई. एन. आर. 1 पर इस आधार पर कि उक्त राशि के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष विवाद लंबित थे। हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांकित 08.03.2019 के फैसले के माध्यम से निर्देश दिया किउक्त उत्तरदाताओं के पूरे दावे को पंजीकृत करने के लिए समाधान पेशेवर। एन. सी. एल. ए. टी. ने उपरोक्त एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा और प्रत्यर्थियों के दावे को स्वीकार किया। इस प्रकार, विवादित निर्णय के इस हिस्से को इस आधार पर अलग कर दिया गया है कि समाधान पेशेवर ने 1 रुपये के अनुमानित मूल्य पर दावे को स्वीकार करने में सही था क्योंकि

इन दावों के संबंध में विवाद। [पैरा 102] [423–ए–डी]

10.16 निगमित देनदार का सी. आई. आर. पी. होगा

आर्सेलर मित्तल की दिनांक 23.10.2018 की समाधान योजना के अनुसार, जैसा कि 27.03.2019 पर लेनदारों की समिति द्वारा संशोधित और स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें संहिता की धारा 30 (2) और विनियमन 38 का पालन करके विभिन्न वर्गों के लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया गया है। [पैरा 103] [423–एफ]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम उड़ीसा मैंगनीज और खनिज

लिमिटेड सी. ए. (आई. बी.) नं. 391 / के. बी./2018–संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 12 एससीआर 362

उस पर भरोसा करें

पैरा 27, 82 [2019] 16 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 57, 82

[2017] 8 एससीआर 33

उस पर भरोसा करें

पैरा 41

[2017] 13 एससीआर 751

उस पर भरोसा करें

पैरा 41

[1996] 6 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

[1955] 2 एससीआर 1331

पैरा 61

संदर्भित किया गया है

[1997] 3 एससीआर 1131

पैरा 61

संदर्भित किया गया है

(2018) 9 स्केल 597

उस पर भरोसा करें

पैरा 67

[1954] एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

[1978] 1 एससीआर 338

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

[2016] 11 एससीआर 419

संदर्भित किया गया है

पैरा 75, 79

[1982] 1 एससीआर 629

संदर्भित किया गया है

पैरा 77

[1994] 3 पूरक। एससीआर 40

संदर्भित किया गया है

पैरा 77

[1988] 2 पूरक। एससीआर 528

संदर्भित किया गया है

पैरा 79

[2013] 12 एससीआर 674

संदर्भित किया गया है

पैरा 79

[2017] 4 एससीआर 881

संदर्भित किया गया है

पैरा 79

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 5

पैरा 82

[2003] 3 एससीआर 762

उस पर भरोसा करें

पैरा 82

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 8766

8767 2019 से।

राष्ट्रीय संविधान के 04.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने 2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 257 और 2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 265 में कहा।

के साथ

सिविल अपील सं। 5634–5635 , 5636–5637 , 5716–5719 , 5996 , 6266 ,

6269 , 6409 , 6433–6434 , 8768 , 7266 , 7260 , 8769 92019 में, रिट याचिका (सिविल) संख्या। 1055 , 1064 , 1049 , 1050 , 1057 , 1058 , 1061 , 1060 , 1056 , 1063 , 1066 , 1087 , 1110 , 1113 , 1121 , 1246 , 1296 2019 से।

के. के. वेणुगोपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता, एसजी,

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., पी. के. जानी, ए. ए. जी., राकेश द्विवेदी, गोपाल सुब्रमण्यम, श्याम दीवान, हरीश एन. साल्वे, नीरज किशन कौल, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट समिति।

वी. सतीश कुमार गुप्ता

सुश्री अनुश्री प्रशित कपाड़िया, अभिषेक शाह, सुदर्शन मेनन, समरेंद्र बी., राम गुप्ता, सुश्री नेहा नाइक, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भरत सूद, सुश्री श्रुति जोस,धनंजय कुमार, रौणक ढिल्लन, सुश्री अनन्या धर चौधरी, सुश्री इशमीत कौर, सुश्री सिलोना महापात्रा (मेसर्स के लिए)। सिरिल अमरचंद मंगलदास), सौम्या दत्ता, प्रदीप मिश्रा, मनोज कुमार शर्मा, दिलीप ध्यानी, सूरज सिंह, सुश्री पल्लवी प्रताप, सुश्री नीमा (मेसर्स प्रताप एंड कंपनी के लिए), रजत नवेत, मनीष के. बिश्नोई, सुश्री महक बख्शी, अजय भार्गव, श्रीमती वनिता भार्गव, श्रीमती वामिका त्रेहन,

सुश्री वंशा सेठी सुनेजा, गौरव जुनेजा, आदित्य गंजू, सुश्री प्रियंका

मल्होत्रा (खेतान एंड कंपनी के लिए), सुश्री गरिमा बजाज, सतेंद्र के. राय, चंद्र प्रकाश, अक्षय गिरीश रिंगे, सुश्री मेघा मुखर्जी,एम/एस। डी. एस. के. लीगल, विपिन कुमार जय, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. एफ. नरीमन, जे.

2019 की सिविल अपील डायरी संख्या 31409 में देरी और

1. अपीलों और रिट याचिकाओं का यह समूह समाधान आवेदकों, समाधान पेशेवरों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। ऋणदाताओं की समिति जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के तहत गठित की गई है, और अंतिम, लेकिन किसी भी तरह से कम से कम, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (इसके बाद "एन. सी. एल. टी". के रूप में संदर्भित) की अधिकारिता।

" न्यायनिर्णायक प्राधिकरण) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय

न्यायाधिकरण (इसके बाद "एन. सी. एल. ए. टी"./"अपीलीय न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित), क्या समाधान योजनाएं हैं जिन्हें समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है लेनदार। दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 4 और 6 की संवैधानिक वैधता (इसके बाद)

"2019 के संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित) को भी चुनौती दी गई है। ये अपीलें और रिट याचिकाएं इस न्यायालय के फैसले के बाद की हैं।

निर्णय दिनांक 04.10.2018, आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट के रूप में रिपोर्ट किया गया

सीमित वी। सतीश कुमार गुप्ता (2019) 2 एससीसी 1.

2. एन. सी. एल. टी., अहमदाबाद ने <आई. डी. 1 पर कंपनी याचिका (आई. बी.) को स्वीकार किया। कोड की धारा 7 के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर एक याचिका के साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा 2017 की संख्या 39 दायर की गई। एक सतीश कुमार गुप्ता को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में समाधान पेशेवर के रूप में पुष्टि की गई थी। 06.10.2017 पर, समाधान पेशेवर ने इकोनॉमिक टाइम्स में एक विज्ञापन के माध्यम से, सभी इच्छुक समाधान आवेदकों से कॉर्पोरेट देनदार, अर्थात् एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के पुनर्वास के लिए समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए रुचि की अभिव्यक्तियों को आमंत्रित किया। 24.12.2017 पर, समाधान पेशेवर ने प्रस्ताव के लिए एक अनुरोध जारी किया (इसके बाद "RFP" के रूप में संदर्भित), अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त कॉर्पोरेट देनदार के लिए समाधान योजनाओं को आमंत्रित किया, जिसे बाद में 08.02.2018 पर संशोधित किया गया था। दो समाधान योजनाएं 12.02.2018 पर प्रस्तुत की गईं, एक आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा (जिसे इसके बाद "आर्सेलर मित्तल" के रूप में

संदर्भित किया गया है) और दूसरी न्यूमेटल लिमिटेड द्वारा (जिसे इसके बाद "न्यूमेटल" के रूप में संदर्भित किया गया है) दोनों ईएसएसएआर स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट समिति द्वारा।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

श्रमिकों और कर्मचारियों के अलावा परिचालन ऋणदाताओं के कुल स्वीकृत दावों के रूप में 196 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था, लेकिन केवल व्यापार ऋणदाताओं और सरकारी ऋणदाताओं को। "एक करोड़ से कम के दावों वाले" के रूप में परिभाषित छोटे व्यापार लेनदारों को पूरी तरह से सम्मानित किया जाना था, जैसा कि श्रमिकों और श्रमिकों के दावे थे।निगमित देनदार के कर्मचारी, 18 करोड़ रुपये की राशि। महत्वपूर्ण रूप से, समाधान आवेदक ने लेनदारों की समिति को यह तय करने का अधिकार दिया कि किस तरीके से पेश किया जा रहा वित्तीय पैकेज सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बीच वितरित किया जाएगा।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसे एक असुरक्षित लेनदार कहा गया था, को अपने स्वीकृत दावों की कुल 5 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाना था। उस पर

19.04.2018 , न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने निगमित ऋणदाता की ऋणदाताओं की समिति को, जो तब तक अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा स्थापित की गई थी, उपरोक्त समाधान आवेदकों की पात्रता पर विचार करने का निर्देश दिया।

3. 10.09.2018 पर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को प्रस्ताव द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के एक सुरक्षित वित्तीय लेनदार के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

पेशेवर। 04.10.2018 पर, इस न्यायालय ने आर्सेलर मित्तल और न्यूमेटल दोनों को उनकी समाधान योजनाओं को संहिता की धारा 29–ए द्वारा प्रभावित होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आर्सेलर मित्तल और न्यूमेटल दोनों को अपने संबंधित एनपीए का भुगतान करने के लिए एक और अवसर दिया जाए

उच्चतम न्यायालय के फैसले के दो सप्ताह के भीतर निगमित देनदार, जिसमें विफल रहने पर निगमित देनदार परिसमापन में चला जाएगा। 18.10.2018 पर, आर्सेलर मित्तल ने समाधान पेशेवर और लेनदारों की समिति को सूचित किया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भुगतान किया है।

न्यायालय का निर्णय दिनांकित 04.10.2018। हालांकि, न्यूमेटल ने ऐसा कोई भुगतान नहीं किया। नतीजतन, 19.10.2018 पर, आर्सेलर मित्तल को फिर से प्रस्तुत किया गया इसकी 02.04.2018 की समाधान योजना, जिसका मूल्यांकन उसी तारीख को लेनदारों की समिति द्वारा किया गया था–आर्सेलर मित्तल को [2019] 16 एस. सी. आर. घोषित किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई उच्चतम मूल्यांकन समाधान आवेदक बनाम वेदांत। ऑन. 2018 , आर्सेलर मित्तल की अंतिम बातचीत समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति द्वारा 92.24% बहुमत से हटा दिया गया था। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष सभी कार्यवाही के बाद, एन. सी. एल. टी. ने दिनांक 08.03.2019 द्वारा आर्सेलर मित्तल द्वारा दायर पोषण योजना को निम्नानुसार अनुमति देने के लिए आवेदन का निपटारा कियाः

. हमारा विचार है कि परिचालन लेनदारों के बकाया को वित्तीय लेनदारों के बकाया की तुलना में कम से कम समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत के साथ–साथ अनुचितता के वेडनसबरी सिद्धांत और आनुपातिकता के सिद्धांत पर कम से कम समान व्यवहार मिलना चाहिए, ताकि 1 करोड़ रुपये के ऋण मूल्य वाले परिचालन लेनदारों को भुगतान करने में असमानता से बचा जा सके। करोड़ और उससे अधिक (1 रुपये का टोकन) और भेदभावपूर्ण व्यवहार के आरोप को खारिज किया जा सकता है। इसलिए, हमारे विचार में, यदि विभाजन के लिए एक उचित सूत्र तैयार किया जाता है ताकि

85 % समाधान आवेदक द्वारा दी गई राशि में से

वित्तीय लेनदारों और शेष 15 प्रतिशत के बीच वितरितराशि का शेष प्रचालन लेनदारों के बीच वितरण किया जाता है, फिर प्रचालन लेनदारों के पूरे दावे का, जो लगभग 1 करोड़ रुपये के बराबर होता है, काफी हद तक भुगतान किया जा सकता है या कम से कम प्रचालन लेनदारों को चित्रा शर्मा बनाम मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में अपने स्वीकृत और निर्विवाद दावे का 50 प्रतिशत प्राप्त हो सकता है। भारत संघ (ऊपर)। इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, अगर वित्तीय लेनदार और

सी. ओ. सी. के सदस्य ब्याज का त्याग करने को तैयार हैं

उनके मूल ऋण पर घटक, क्योंकि यह रिकॉर्ड में स्थापित स्थिति है कि निगम की प्रमुख ऋण देयता

ऋणी कंपनी वर्ष 2017 में लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई जब इन आईबी याचिकाओं को स्वीकार किया गया था, जिसमें ब्याज घटक भी शामिल है और अन्य परिचालन ऋणदाताओं और हितधारकों के लिए 15 प्रतिशत राशि का प्रावधान करके यथासंभव ब्याज घटक में कटौती करके, हमारा विचार है कि सभी परिचालन ऋणदाताओं के ऋणों को उचित और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जा सकता है और फिर परिचालन ऋणदाताओं द्वारा पसंद किए जाने वाले ऐसे आई. ए. भी बन जाएंगे।

निष्फल और इस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रत्येक आई. ए. के गुणों से निपटने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार, यह कानूनी कार्यवाही की बहुलता से बचने और एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिट की सीमा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी भी बाधा को दूर करने के लिए फायदेमंद होगा।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समाधान योजना और मुख्य विषय और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए

आई एंड बी कोड प्रस्तुत करें "।

4. एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष की गई अपीलों में दिनांक 20.03.2019 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने लेनदारों की समिति को निर्देश दिया

किए गए कुछ सुझावों पर निर्णय लें। इसके अनुसार

27.03.2019 पर लेनदारों की समिति ने निर्णय लिया–मतदान करने के लिए

एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30.03.2019 पर हस्ताक्षर किए गए, और,

अधिकांश 70.73% ने अनुग्रह राशि का भुगतान करने की मंजूरी दी

1,000 1 करोड़ रुपये से अधिक के परिचालन ऋणदाताओं को। अपीलें

तब एन. सी. एल. ए. टी. के अंतर्वर्ती आदेशों के खिलाफ मुझे सुना गया।एन. आई. एस. कोर्ट, जिसने अपने दिनांक 12.04.2019 के आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ–साथ निर्देश दिया

–एन. सी. एल. टी. के दिनांकित 08.03.2019 निर्णय का कार्यान्वयन और

एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील का न्यायिक निपटान।

5. अपने अंतिम निर्णय दिनांक 04.07.2019 द्वारा, NCLAT ने अभिनिर्धारित किया किः

(i) समाधान योजना में देय राशि के भुगतान के मामले में वित्तीय लेनदार और परिचालन लेनदार के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है, और इसलिए,

लेनदार और परिचालन लेनदार बराबर के हकदार हैं।एक समाधान योजना के तहत उपचार। तदनुसार, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने द्वारा अपनाई गई गणना की विधि के अनुसार अनुमोदित समाधान योजना के तहत देय आय को फिर से वितरित किया है ताकि सभी वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों को उनके द्वारा स्वीकार की गई राशि का 60.7% भुगतान किया जा सके।

दावे;

((ii) प्रतिभूति और प्रतिभूति ब्याज भुगतान के आवंटन के उद्देश्यों के लिए समाधान के चरण में अप्रासंगिक है, जिससे यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक वित्तीय लेनदार (चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित) को 10 लाख रुपये के बराबर या उससे अधिक के दावे के साथ उसके स्वीकृत दावे का भुगतान किया जाए।

उनके सुरक्षा हितों की परवाह किए बिना;

(iii) परिभाषा के अनुसार परिचालन ऋणदाताओं के भीतर अलग–अलग वर्ग होते हैं और उन्हें वितरण के उद्देश्य से उप–वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है (किसी भी श्रेणी को अस्वीकार करते हुए)।

वित्तीय लेनदारों के बीच वर्गीकरण) स्वीकार की गई राशि के आधार पर जिससे यह निर्देश दिया जाता है कि

आई. एन. आर. 1 करोड़ के बराबर या उससे अधिक के दावे वाले परिचालन लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों का 60.268% भुगतान किया जाएगा।

[2019] 16 एस सी आर।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

(iv) परिचालन ऋणदाताओं के कुछ अतिरिक्त दावे (जिनमें से कुछ अत्यधिक विलंबित थे और/या पर्याप्त प्रमाण के बिना) स्वीकार किए गए थे, जैसे कि अनुमोदित समाधान योजना की मंजूरी के समय लगभग 5,058 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिचालन ऋण लगभग 19 करोड़ रुपये का परिचालन ऋण बन गया।

(v) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार द्वारा उत्पन्न लाभ (इसके बाद)

"सी. आई. आर. पी". के रूप में संदर्भित) वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।

निगमित ऋणी का।

(vi) एक उप–समिति या कोर समिति नहीं हो सकती है

संहिता के तहत गठित, एक विदेशी होने के नाते। ऋणदाताओं की समिति को ही सब कुछ लेना है।

निर्णय स्वयं लें।

(vii) लेनदारों की समिति को अधिकार नहीं दिया गया है।

यह तय करना कि किस तरीके से एक या अन्य लेनदारों के बीच वितरण किया जाना है, क्योंकि वित्तीय और परिचालन के बीच हितों का टकराव होगा

लेनदार, वित्तीय लेनदार जो खुद का पक्ष लेते हैं

परिचालन लेनदारों का नुकसान।

viii) संहिता की धारा 53 को निगमित समाधान प्रक्रिया के दौरान लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह केवल परिसमापन के चरण में लागू होगी।(ix) समाधान पेशेवर द्वारा तय किए गए और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए दावे अंतिम हैं और सभी लेनदारों के लिए बाध्यकारी हैं। हालाँकि, जिन दावों पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया है, उनका निर्णय एक उपयुक्त मंच द्वारा किया जा सकता है।

संहिता की धारा 60 (6) की शर्तें।

(x) जिन वित्तीय लेनदारों के पक्ष में गारंटी निष्पादित की गई थी, क्योंकि उनका कुल दावा गारंटी की सीमा तक संतुष्ट है, वे ऐसे दावों को फिर से आंदोलन नहीं कर सकते हैं।

प्रमुख उधारकर्ता के विपरीत।

हमने श्री गोपाल द्वारा दिए गए विस्तृत तर्क सुने हैं।

हम और श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति पर।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति की ओर से। उन्होंने तर्क दिया है कि संहिता के प्रावधान एक व्यापक प्रावधान प्रदान करते हैं

लेनदारों और निगमित देनदार के बीच लेन–देन की प्रकृति के आधार पर वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के रूप में लेनदारों का वर्गीकरण। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि संहिता नहीं है

वित्तीय लेनदारों, जो सुरक्षित या असुरक्षित हो सकते हैं, और/या वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के बीच अलग–अलग स्थिति वाले लेनदारों के साथ समान व्यवहार को अनिवार्य करना। संहिता केवल विभिन्न वर्गों के लेनदारों के साथ समान व्यवहार करती है, यह मानते हुए कि विभिन्न वर्ग अलग–अलग व्यवहार के योग्य हैं। उनके अनुसार, एक वर्ग के रूप में वित्तीय लेनदारों को बेहतर दर्जा प्राप्त है।

संहिता के प्रावधान। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सामान्य कानूनसंपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 48 में निहित भूमि,

1882 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 को संहिता द्वारा उप–मौन नहीं लिया गया होगा और इस उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों पर भरोसा किया गया है। उन्होंने दिवाला कानून पर UNCITRAL विधायी गाइड (इसके बाद "UNCITRAL लेजिस्लेटिव गाइड" के रूप में संदर्भित) का भी उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया, जिसे इस न्यायालय द्वारा स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड v में संदर्भित किया गया था। भारत संघ (2019) 4 एस. सी. सी. 17, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की "व्यवस्थित और प्रभावी दिवाला प्रक्रिया–प्रमुख मुद्दे" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट पर।

उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए फैसलों का भी उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया जो इस तथ्य को उजागर करते हैं कि वर्गीकरण की अनुमति है ताकि उन व्यक्तियों में अंतर किया जा सके जो असमान हैं, जिनके साथ तब समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कई विशेषज्ञ रिपोर्टों के अलावा, पास्कल डी बोएक और थॉमस लारिया द्वारा "सुरक्षा हित के लिए मानकों के विकास" पर आईएमएफ पेपर पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए,ऋण और/या प्रतिभूति ब्याज की प्रकृति के आधार पर लेनदारों का वर्गीकरण किसी भी दिवाला संहिता के लिए अनिवार्य है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के साथ असुरक्षित लेनदारों के बराबर व्यवहार किया जाना है, तो ऐसे सुरक्षित लेनदार संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य के विपरीत, कॉर्पोरेट समाधान के बजाय परिसमापन के लिए मतदान करेंगे। उन्होंने

तब तर्क दिया कि वित्तीय क्षेत्र का स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो अन्यथा नष्ट हो जाएगा, यदि

विवादित निर्णय को प्रभावी बनाया जाना था। उन्होंने स्विस रिबन (उपरोक्त) के पैराग्राफ 27 और 28 पर दृढ़ता से भरोसा किया, विशेष रूप से, जो [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के बीच अंतर, अधिकांश वित्तीय लेनदार सुरक्षित लेनदार होते हैं और अधिकांश परिचालन लेनदार असुरक्षित होते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि के. शशिधर बनाम में निर्धारित कानून। इंडियन ओवरसीज बैंक 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 257 ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब लेनदारों की समिति के वाणिज्यिक ज्ञान की बात आती है तो न्यायिक हस्तक्षेप होता है, जिसे विवादित फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित किया गया है, जिसमें कहा गया है किलेनदारों का उन राशियों के वितरण से कोई लेना–देना नहीं है जो समाधान आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व ऋणों के भुगतान के लिए डाली जाती हैं। उन्होंने इस प्रस्तुति के समर्थन के लिए दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट, 2015 (इसके बाद "बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट" के रूप में संदर्भित) के साथ–साथ यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. विधायी गाइड पर बहुत अधिक भरोसा किया। इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक समाधान योजना एक कॉर्पोरेट देनदार के लिए समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तावित एक सहमति आधारित योजना है। इस तरह की योजना का प्रतिपक्ष लेनदारों की समिति है, जो

66 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी की न्यूनतम सहमति देने की आवश्यकता होती है, जो सहमति तब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आधार बन जाती है

निगमित देनदार के लिए समाधान योजना को मंजूरी दें। एक बार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होने के बाद, ऐसी योजना सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाती है जैसा कि संहिता की धारा 31 में उल्लेख किया गया है। इसलिए, ऐसी योजना का कोई भी संशोधन, जैसा कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा किया गया है, अवैध है। उन्होंने तब तर्क दिया कि लेनदारों की समिति के पास ऐसी योजना के तहत आय के वितरण सहित समाधान योजना के सभी वाणिज्यिक पहलुओं से निपटने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र दोनों हैं, और संहिता की धारा 30 में हाल ही में किए गए संशोधनों का भी उल्लेख किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है। उन्होंने कहा कि आर्सेलर मित्तल योजना, जैसा कि संशोधित किया गया है, परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों की देखभाल करती है, और कहा कि सी. आई. आर. पी. के 600 विषम दिनों के दौरान परिचालन लेनदारों को 55,000 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली राशि का भुगतान किया गया था, परिचालन लेनदारों जिनके दावे 1 करोड़ रुपये से अधिक थे, उन्हें अब उनके स्वीकृत बकाया का लगभग 20 प्रतिशत भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि कॉर्पोरेट देनदार के खाते को वर्गीकृत किए जाने के कारण पिछले तीन वर्षों में सुरक्षित लेनदारों को लगभग 17,000 करोड़ रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ है।

एनपीए के रूप में। उन्होंने तब तर्क दिया कि लेनदारों की समिति द्वारा एक उप–समिति का गठन संहिता के तहत अनुमत है, और इस प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए कुछ निर्णयों का उल्लेख किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उप–

समिति को कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी गई थी, न ही उप–समिति ने किसी भी समय राशि के वितरण पर निर्णय लिया या सिफारिश भी नहीं की थी।

इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने ए. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट समिति को स्वीकार किया। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

13, 767 करोड़ रुपये के विभिन्न अस्वीकृत/विवादित/अनुमानित दावे, जो परिचालन लेनदारों द्वारा मूल रूप से दावा की गई राशि से अधिक थे। बुद्धि के गैर–अनुप्रयोग के विभिन्न उदाहरणों को इंगित किया गया था जिनके द्वारा 11,278 रुपये के दावे किए गए थे, जो अभी तक स्पष्ट नहीं किए गए थे।एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा भुगतान के लिए स्वीकार किया गया था, और दोहरे भुगतान के विभिन्न उदाहरण भी दिए गए थे। यह भी तर्क दिया गया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने गलती से समाधान योजना के अनुमोदन के बाद संहिता की धारा 60 (6) का उल्लेख करके और उस पर भरोसा करके संहिता के प्रावधानों के बाहर कई विवादित दावों को उठाने की अनुमति दी, जिसने केवल वर्जित दावों के लिए सीमा को बचा लिया। तब उन्होंने तर्क दिया कि

लेनदारों की समिति का अधिकार; न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ–साथ एन. सी. एल. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र को संहिता में निहित सीमाओं से परे विस्तारित किया; और लेनदारों की समिति के वाणिज्यिक ज्ञान के सबसे बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन किया है जो 66 प्रतिशत से अधिक बहुमत से परिलक्षित होता है, जिसे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को पूरी तरह से संशोधित और प्रतिस्थापित करके रद्द कर दिया गया है। लेनदारों की समिति।

7. भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने इस पर किए गए निवेदन का समर्थन किया है।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति की ओर से। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, जबकि उनके मुवक्किल और अन्य

सुरक्षित लेनदार अपने ऋण के 99.66% की सीमा तक सुरक्षित हैं। बकाया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एकमात्र प्रतिभूति कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपतटीय क्षेत्र में रखे गए शेयरों की गिरवी है।

मॉरीशस की सहायक कंपनी, अर्थात् एस्सार स्टील ऑफशोर लिमिटेड (इसके बाद "ईएसओएल" के रूप में संदर्भित), और ईएसओएल गिरवी रखे गए शेयरों का उचित मूल्य केवल आईएनआर 24.86 करोड़ निर्धारित किया गया है, जबकि कुल बकाया आईएनआर 3487.10 करोड़ (स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कुल स्वीकृत ऋण का 0.7%) है। इस प्रकार, उनके अनुसार, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आई. एन. आर. 3462.14 करोड़ की सीमा तक एक असुरक्षित लेनदार है, और आई. एन. आर. 6.71 करोड़ की राशि के मुकाबले जो [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के तहत देय था, एनसीएलएटी ने अब इस आंकड़े को लगभग बढ़ा दिया है

संहिता के तहत अपने सीमित अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर 2160 करोड़ रुपये। उपरोक्त के अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक उप–समिति के गठन को कोई चुनौती देने से वंचित है क्योंकि इसने कई बैठकों में भाग लिया था जिसमें उसने उप–समिति पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, और वास्तव में उप–समिति का हिस्सा बनने का अनुरोध किया था। फिर उन्होंने तर्क दिया कि उप–समिति द्वारा की गई बातचीत लेनदारों की समिति के आदेश के अनुसार थी, जो अकेले सभी निर्णय लेती थी; उप–समिति केवल लेनदारों की समिति की एक कार्यकारी शाखा थी।

8. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ओर से श्री कपिल सिब्बल ने सभी पहलुओं पर एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले का बचाव किया। उनके अनुसार,

आर्सेलर मित्तल द्वारा दिया गया प्रस्ताव कॉर्पोरेट देनदार के सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बकाया मूलधन का 100% भुगतान करने के लिए एक अग्रिम राशि के रूप में 42,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना था।कि यह राशि केवल न्यूमेटल द्वारा 07.09.2018 पर अग्रिम भुगतान के रूप में 37,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप दी गई थी

सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के लिए। विद्वान वकील के अनुसार, 42,000 करोड़ रुपये की राशि का पता तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को देय मूल राशि को भी उक्त आंकड़े में शामिल नहीं किया जाता है। आर्सेलर मित्तल इंडिया (उपरोक्त) मामले में फैसले से पहले हुई अंतिम सुनवाई में, इस माननीय न्यायालय के समक्ष ऋणदाताओं की समिति के वकील ने 42,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा दिया था और यह राशि भुगतान का न्यूनतम मूल्य हो सकती है।

आगे की बातचीत के लिए। हालाँकि, अंततः जो निकला वह कम मूल्य का भुगतान है, अर्थात् 39,500 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में, 2,500 करोड़ रुपये को गारंटीकृत कार्यशील पूंजी समायोजन की दिशा में एक आईवॉश के रूप में जोड़ा जा रहा है। इसका कारण यह था कि ओडिशा स्लरी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

" ओ. एस. पी. आई. एल.), कॉर्पोरेट देनदार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, के पास एक स्लरी पाइपलाइन थी। आर्सेलर मित्तल ने उक्त स्लरी पाइपलाइन का निर्बाध उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सहमति व्यक्त की कि वह ओ. एस. पी. आई. एल. के ऋण का अधिग्रहण करेगी। ओ. एस. पी. आई. एल. के ऋणों के इस तरह के अधिग्रहण को प्राप्त करने के लिए, लेनदारों की मुख्य समिति ने आर्सेलर मित्तल को गंभीर प्रस्ताव से मुक्त कर दिया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 42,000 करोड़ रुपये की राशि का अग्रिम भुगतान करने के लिए कहा गया, और इस कथित राशि से 2,500 करोड़ रुपये की राशि कम कर दी गई। इस प्रकार, ई. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स समिति की समिति द्वारा अनुमोदित कोर समिति का निर्णय।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

लेनदारों को आर्सेलर मित्तल द्वारा अग्रिम भुगतान के रूप में गारंटी से कम राशि स्वीकार करनी थी। श्री सिब्बल ने तब एक कोर समिति/उप–समिति के गठन के खिलाफ अपनी बंदूकें प्रशिक्षित करते हुए कहा कि यह संहिता के प्रावधानों के खिलाफ है, और जैसा कि मूल रूप से कल्पना की गई थी, यह केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व को सुविधाजनक बनाने के लिए था, जिसे किसी भी मामले में, 31.05.2018 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कोर समिति

हालाँकि, आर्सेलर मित्तल के साथ गुप्त बातचीत जारी रही जिसके द्वारा उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऋण को लगभग पूरी तरह से दफन कर दिया। यह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की 2585 करोड़ रुपये (2646 करोड़ रुपये घटाकर 61 करोड़ रुपये) की पात्रता को कम करके किया गया था, यदि इसके बजाय ऋण के मूल्य के आधार पर बकाया भुगतान किया जाना था।सुरक्षा का मूल्य। किसी भी मामले में, यह तर्क दिया गया कि आर्सेलर मित्तल की समाधान योजना अपने आप में त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि यह भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियमन 38 (1ए) के विपरीत होगी।

(निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (इसके बाद "2016 विनियम" के रूप में संदर्भित), क्योंकि यह सभी हितधारकों के हितों से संबंधित नहीं था। यह आर. एफ. पी. के विपरीत भी होगा जो 24.12.2017, खंड 4.6 पर जारी किया गया था। 1 (घ) जिसमें कहा गया है कि समाधान योजना में एक विवरण होना चाहिए था कि यह सभी हितधारकों के हितों से कैसे निपटेगा, जिसमें सुरक्षित वित्तीय लेनदारों, असुरक्षित वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि का विभाजन शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो कि ऋणदाताओं की समिति को समाधान योजना द्वारा आर्सेलर मित्तल के साथ गुप्त बातचीत के कारण बचा था। विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि संहिता के प्रावधानों के तहत, लेनदारों की समिति की भूमिका समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने तक सीमित है, जिसमें समाधान आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व लेनदारों को देय राशि के वितरण का तरीका शामिल नहीं है। किसी भी स्थिति में, ऋणदाताओं की समिति का निर्णय

इस मामले के तथ्यों में वितरण का तरीका अवैध और मनमाना है, क्योंकि एक बार जब किसी लेनदार को वित्तीय लेनदार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ऐसा लेनदार अन्य सभी वित्तीय लेनदारों के साथ समान व्यवहार का हकदार होता है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित। इस उद्देश्य के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने UNCITRAL लेजिस्लेटिव गाइड के साथ–साथ BLRC रिपोर्ट, 2015 पर भरोसा किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, संसद ने सलाह दी है कि जब प्रक्रिया की बात आती है तो वित्तीय या परिचालन लेनदारों के विभिन्न वर्गों का निर्माण न करें।ऋणों का समाधान; और ऋण के मूल्य को महत्व दिया जाता है, इसके विपरीत, प्रतिभूति के मूल्य को केवल तब महत्व दिया जाता है जब [2019] 16 एस. सी. आर.

परिसमापन प्रक्रिया होनी है। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 53 संहिता केवल परिसमापन के दौरान लागू होगी और दिवालियापन के समाधान के चरण में नहीं, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि "सुरक्षित लेनदार"

जैसा कि संहिता की धारा 3 (30) द्वारा परिभाषित किया गया है, इसका उपयोग केवल संहिता की धारा 53 में किया गया है जो "परिसमापन प्रक्रिया" नामक अध्याय III में निहित है और संहिता के अध्याय II में बिल्कुल नहीं है जिसका शीर्षक "कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया" है। अध्याय 2 में, केवल वित्तीय और

परिचालन लेनदारों के बारे में, जैसा कि परिभाषित किया गया है, बात की जाती है। वास्तव में, 09.08.2018 पर आयोजित लेनदारों की समिति की 17 वीं बैठक में, लेनदारों की समिति ने पहले निर्णय लिया था कि अग्रिम भुगतान

किए गए ऋण को वित्तीय लेनदारों के बीच उनके मतदान शेयरों के आधार पर विभाजित किया जाएगा, जो बदले में ऋण के आधार पर तय किया जाता है

उनमें से प्रत्येक के लिए ऋणी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि लेनदारों की समिति संभवतः वितरण के तरीके को तय नहीं कर सकती क्योंकि यह हितों के गंभीर टकराव को जन्म देगी, क्योंकि बहुमत को मिल सकता है।

एक साथ अल्पसंख्यक पर रफशोड की सवारी करने के लिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वित्तीय लेनदारों के सुरक्षा हित के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, जो सुरक्षा हित स्वयं पहले शुल्क धारकों से दूसरे शुल्क धारकों और फिर अधीनस्थ और अवशिष्ट शुल्क धारकों के लिए भिन्न हो सकता है। तथ्य यह है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को एक सुरक्षित वित्तीय लेनदार के रूप में मान्यता दी गई है, हालांकि केवल 10.09.2018 पर

समाधान आवेदक द्वारा, किसी अन्य वित्तीय लेनदारों द्वारा चुनौती नहीं दी जाती है। इसके अलावा, आई. एन. आर. 24.86 करोड़ पर गिरवी रखे गए शेयरों का मूल्यांकन अपने आप में एक त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन है, शेयरों का वास्तविक मूल्य 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

9. श्री सिब्बल इसके बाद हमें 2019 के संशोधन अधिनियम और विशेष रूप से 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 6 पर ले गए, जिसने वर्तमान मामले में एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले के तुरंत बाद संहिता की धारा 30 में संशोधन किया। यह संशोधन संहिता में किया गया था जिसके प्रभाव से

स्पष्टीकरण 2 जिसे संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, वर्तमान मामले के तथ्य उपरोक्त स्पष्टीकरण के उपखंड (i) से (iii) के भीतर नहीं आते हैं। संशोधित धारा 30 (2) (बी) को उसमें निहित स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ने और धारा 30 (4) के संशोधन से किसी को भी किसी भी तरह से संदेह नहीं होगा कि संशोधन एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले से बाहर निकलने के लिए किया गया था ताकि लगभग 2,100 करोड़ रुपये की बड़ी राशि, जो कि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की एक निजी समिति को देय हो।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नामक विदेशी बैंक घटकर लगभग 61 करोड़ रुपये रह जाता है, ताकि राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य संस्थाओं, जिनमें सरकार का हित है, को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नुकसान के लिए पाई का एक बड़ा हिस्सा मिल सके। विधायिका ने,

इसलिए, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर कदम उठाने और विधायी रूप से निर्णय लेने के लिए शक्तियों के पृथक्करण की सीमाओं को पार किया। अन्यथा भी, विद्वान वकील के अनुसार, यह प्रावधान शक्ति का एक मनमाना प्रयोग है जो धारा 53 में लाता है, जो केवल तभी लागू होता है जब निगमित देनदार निगमित समाधान प्रक्रिया में समाप्त हो जाता है।संहिता की मूल योजना के विपरीत। इसके अलावा, स्पष्टीकरण 1 सीधे न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करता है और यह नहीं कह सकता है कि वितरण निष्पक्ष और न्यायसंगत होगा, जिसका निर्णय केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है, न कि संसद द्वारा। इसके अलावा, धारा 30 (4) में किए गए संशोधन में संभवतः "व्यवहार्यता और व्यवहार्यता" अभिव्यक्ति के भीतर एक सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति हित का मूल्य शामिल नहीं हो सकता है जो केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि इसे वर्तमान मामले में लागू किया जाए।

10. श्री अरविंद दातार ने श्री सिब्बल की दलीलों का समर्थन किया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ओर से भी पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को दिया गया ऋण भी कॉर्पोरेट देनदार की परियोजना संपत्ति के लिए दिया गया ऋण है और भारतीय स्टेट बैंक को इस तरह के ऋण के बारे में पूरी जानकारी थी जिसका लाभ कॉर्पोरेट देनदार ने उठाया था। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एक विशेष प्रयोजन वाहन है ताकि बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को पूरा करने के लिए निगमित देनदार के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

11. उन्होंने अभिव्यक्ति के अर्थ को विस्तार से बताया।

" 2016 विनियमों के विनियम 39 (3) में निहित संशोधन, यह तर्क देते हुए कि संशोधन करने की शक्ति में शामिल नहीं है

समान रूप से स्थित लेनदारों के बीच भेदभाव करने की शक्ति। इसके अलावा, लेनदारों की समिति वित्तीय के बीच रैंकिंग नहीं कर सकती है। लेनदार या अन्यथा एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाते हैं। उन्होंने दोहराया कि एक सुरक्षित वित्तीय लेनदार के रूप में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थिति को लेनदारों की समिति के किसी भी सदस्य द्वारा विवादित नहीं किया गया है।

12. श्री रंजीत कुमार, कॉर्पोरेट के एक परिचालन लेनदार, आइडियल मूवर्स लिमिटेड की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं

देनदार ने कहा कि समाधान पेशेवर द्वारा स्वीकार किया गया दावा ।INR 178,50,51,792 था, और मूल समाधान योजना में उसके मुवक्किल को पुनर्भुगतान के रूप में कुछ भी नहीं था। यह एन. सी. एल. टी. के फैसले [2019] 16 एस. सी. आर. के बाद ही है।

जब आर्सेलर मित्तल द्वारा आम तौर पर परिचालन लेनदारों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया था, तो उनके मुवक्किल को अब स्वीकार किए गए दावे का 20.5% प्राप्त होगा। बेशक एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले के तहत, उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। उन्होंने संहिता की प्रस्तावना और इसके कुछ प्रावधानों को पढ़कर तर्क दिया कि संहिता का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगमित ऋणी सी. आई. आर. पी. के दौरान एक चालू संस्था के रूप में अपना व्यवसाय करता रहे, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में

परिचालन लेनदारों को उनके बकाया का भुगतान करना पड़ता है–जैसे श्रमिकों, बिजली बकाया, आदि। यही कारण है कि सी. आई. आर. पी. को सभी हितधारकों के हितों का संतुलन सुनिश्चित करना है जो केवल एक व्यवहार्य और व्यवहार्य समाधान योजना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो प्रभावी कार्यान्वयन में सक्षम है। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि पुनरुद्धार की प्रक्रिया और परिसमापन की प्रक्रिया अलग और अलग है और संहिता द्वारा इस तरह से व्यवहार किया गया है। ऐसा होने पर, परिसमापन में लागू होने वाले भुगतान की प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से तब लागू नहीं हो सकती हैं जब कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में चलाया जा रहा है क्योंकि अन्यथा केवल सुरक्षित लेनदारों को भुगतान किया जाएगा, न कि परिचालन लेनदारों को जो व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक हैं। यह इस तथ्य से उपजा है कि दिवाला समाधान प्रक्रिया कॉर्पोरेट देनदारों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए है, जबकि परिसमापन प्रक्रिया कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को बेचकर बकाया राशि की वसूली करने के लिए है। उन्होंने कुछ टिप्पणियों पर दृढ़ता से भरोसा किया

उपरोक्त प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए स्विस रिबन (ऊपर)। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि UNCITRAL लेजिस्लेटिव गाइड, एक मार्गदर्शक होने के नाते

कानून, संहिता लागू होने के बाद इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि यह स्पष्ट है कि 2019 का संशोधन अधिनियम बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है ताकि एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को लागू किया जा सके।

कानून द्वारा तटस्थ। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय दिनांकित 04.07.2019 है और 2019 का संशोधन अधिनियम केवल एक महीने बाद यानी 06.08.2019 पर पारित किया गया था। किसी भी स्थायी समिति से परामर्श नहीं किया गया, जैसा कि संहिता में किए गए सभी पिछले संशोधनों के मामले में किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से मनमाने प्रावधान जोड़े गए थे। उन्होंने 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 4 के खिलाफ अपनी बंदूकें प्रशिक्षित करते हुए तर्क दिया कि किसी भी अदालत द्वारा विवादों के निर्णय के लिए समय सीमा लागू या निर्धारित नहीं की जा सकती है, कम से कम भारत के सभी सर्वोच्च न्यायालय से। अवधि.अदालती कार्यवाही में लिए गए समय को संभवतः एक समय सीमा के भीतर शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह तब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की भूमिका को रद्द कर देगा।

और अपीलीय न्यायाधिकरण, और संहिता के प्राथमिक उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा, जो परिसमापन के बजाय संकल्प है।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

13. श्री हरिन पी. रावल, कमलजीत सिंह अहलूवालिया की ओर से रिट याचिका (सिविल) No.1058 में पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

2019 2019 के संशोधन अधिनियम पर भी हमला किया। श्री सिब्बल और श्री रंजीत कुमार द्वारा दिए गए तर्कों के अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 30 में किए गए संशोधन बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, 2015 के तर्क और डिजाइन के विपरीत होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 का संशोधन अधिनियम, जहां तक यह पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, संवैधानिक रूप से कमजोर है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें किए गए संशोधन किसी भी तरह से स्पष्ट हैं लेकिन नए मूल हैं।

संशोधन।

14. श्री ए. के. गुप्ता, एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता। 2019 की सिविल अपील No.6409 में सीमित,

एक परिचालन लेनदार के रूप में अपने ग्राहक के वर्गीकरण पर हमला किया और तथ्यों के आधार पर, अपीलार्थी ने एक सुविधा समझौता किया था,

कॉरपोरेट देनदार की सहायक कंपनी एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड को 75 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को मंजूरी। इसके बाद उधारकर्ता ने एक प्रवर्तक दायित्व समझौता किया जिसके द्वारा एक एस्सार पावर

लिमिटेड ने चेक की व्यवस्था करने का दायित्व लिया निगमित देनदार। इस अपीलार्थी के पक्ष में 62 करोड़ रुपये के ऐसे पोस्ट-डेट चेक जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप यह अपीलार्थी भी एक वित्तीय लेनदार के रूप में वर्गीकृत होने का हकदार है, न कि एक परिचालन ऋणदाता के रूप में।

लेनदार। इस प्रकार उन्होंने अपने मामले के इस पहलू पर समाधान पेशेवर, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्ष पर हमला किया।

15. श्री मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, दक्षिण गुजरात विज कंपनी की ओर से पेश हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि एन. सी. एल. ए. टी. ने सही कहा था।

निर्देश दिया कि उनके मुवक्किल के दावे पर अन्य सभी लेनदारों के साथ विचार किया जाना चाहिए, और वैकल्पिक रूप से प्रार्थना की कि निर्देश जारी किए जाएं कि उनके मुवक्किल को कॉर्पोरेट देनदार से दावा की गई राशि की वसूली करने का अधिकार हो, जो अदालत के निर्णय के अधीन हो। श्रीमती द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ भी ऐसी ही थीं। गुजरात ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड की ओर से रामचंद्रन। श्री.

वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह गुजरात राज्य की ओर से पेश हुए और उन्होंने एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले के अनुच्छेद 196 का समर्थन किया, जिसके द्वारा उनके मुवक्किल को बिक्री कर बकाया का 60.26% भुगतान किया जाएगा। श्री प्रशांत रुइया की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्षों का समर्थन किया, क्योंकि एन. सी. एल. ए. टी. ने माना कि उनके मुवक्किल द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी अप्रभावी हो गई थी [2019] 16 एस. सी. आर.

मूल ऋणदाताओं को समाधान के माध्यम से ऋण के भुगतान को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा, श्री रोहतगी ने यह भी तर्क दिया कि उक्त गारंटर द्वारा इस तरह के अधिकार की सकारात्मक छूट के अभाव में भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत गारंटर को प्रदान किए जाने का अधिकार और क्षतिपूर्ति का अधिकार बना रहेगा। 16. आर्सेलर मित्तल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने मानक द्वारा दायर अपील का उल्लेख किया।

चार्टर्ड बैंक, 2019 की सिविल अपील संख्या 6433 होने के नाते, और कहा कि उसमें मांगा गया उपाय उसके अनुच्छेद 221 की सीमा तक विवादित निर्णय को रद्द करने तक सीमित था, जिसमें कहा गया था कि जिन वित्तीय लेनदारों के पक्ष में गारंटी को निष्पादित किया गया था, वे कर सकते थे

बहुत अच्छे कारण से अपने मुवक्किल के साथ बातचीत करते समय लेनदारों की समिति द्वारा अनुमति दी गई थी। 17. आर्सेलर मित्तल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने इस तथ्य पर जोर दिया कि

दिवाला समाधान प्रक्रिया का महत्व यह है कि न केवल निगमित देनदार को अपने पैरों पर खड़ा किया जाना चाहिए, बल्कि समाधान आवेदक जिसकी योजना स्वीकार की गई है, उसे नए सिरे से शुरू करने में सक्षम होना चाहिए। यह मामला होने पर, स्पष्ट रूप से श्री रोहतगी का तर्क है कि पूर्व प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी समाप्त नहीं होती है और कम से कम, अधीनता का अधिकार नहीं लिया जा सकता है, सफल समाधान आवेदक पर बूमरैंग होगा यदि इस तरह के अधिकार को जारी रखने की अनुमति दी जानी थी। श्री सलमान खुर्शीद

और डॉयचे बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. त्रिपाठी ने जोर देकर कहा कि अलग को मान्यता देना महत्वपूर्ण है

लेनदारों के वर्ग और एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिटर्स समिति की ओर से दिए गए तर्कों को दोहराया।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उनके अनुचरों की संख्या के बारे में कि वित्तीय लेनदारों के बीच उप वर्गीकरण करना कैसे महत्वपूर्ण है, और साथ ही परिचालन के बीच भी

लेनदार, ताकि वास्तविक समानता हो सके, यानी, उनके बीच समानता हो। बराबर हैं। गेल की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री विकास मेहता ने विवादित एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले के पैराग्राफ 84 को स्वीकार किया और तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के तथ्यों को गलत तरीके से कहा गया था क्योंकि स्वीकार किए गए दावों के आंकड़े गलत तरीके से बताए गए हैं।

18. श्रीमती माधवी दीवान, भारत की विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की दलीलों का जवाब दिया और

संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 4 और 6 की संवैधानिक अयोग्यता के बारे में परिचालन लेनदार। उन्होंने तर्क दिया कि संशोधन संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हैं, जो एक समयबद्ध सीमा में कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि परिसंपत्तियों का मूल्य और जिस समय के भीतर दिवाला समाधान होता है, वह विपरीत अनुपात में होता है क्योंकि समय के साथ इन परिसंपत्तियों के मूल्य का क्षरण होता है। उन्होंने पिछले प्रयोगों की ओर इशारा किया जो विफल रहे थे और कुछ निर्णयों को यह दिखाने के लिए जोड़ा कि पिछले अधिनियमों की विफलता जैसे कि बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (इसके बाद "एस. आई. सी. ए". के रूप में संदर्भित) और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 (इसके बाद "ऋण की वसूली अधिनियम" के रूप में संदर्भित) मामलों के निपटान में भारी देरी के कारण थे। 2015 की बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट में पाए जाने वाले दिवाला संहिता के ढांचे के लिए मूल अवधारणा के अनुसार इसी खामी को दूर करने की मांग की गई थी। उन्होंने 2016 विनियमों के विनियम 39–सी और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (इसके बाद) के 32 (ई) और (एफ) का भी उल्लेख किया।

कि यदि निगमित देनदार परिसमापन में चला जाता है, तो भी निगमित देनदार के उपक्रम को बेचने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है।कि 330 दिनों से अधिक के 90 दिन भी एक चालू चिंता के रूप में कॉर्पोरेट देनदार के निपटान के लिए उपलब्ध हैं। जहाँ तक 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 6 को चुनौती देने का संबंध है, उन्होंने तर्क दिया कि [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक संकल्प आवेदक और के बीच एक सहजीवी संबंध है

लेनदारों की समिति, जो अकेले ही आवश्यक बहुमत से एक वाणिज्यिक निर्णय लेती है कि कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करना है या नहीं। धारा 30 (2) (बी) के स्पष्टीकरण 1 का कारण यह है कि क्या उचित और न्यायसंगत है, इसका निर्धारण संहिता के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए, जो कि कुछ न्यूनतम दिशानिर्देशों के पालन के अधीन, लेनदारों की समिति का वाणिज्यिक विवेक है। इस प्रकार, परिचालन लेनदारों, जिन्हें मूल रूप से केवल न्यूनतम भुगतान किया जाना था, जो एक कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में उन्हें भुगतान किया जाएगा, उन्हें अब दो से अधिक राशि का भुगतान किया जाना है, जिससे समाधान आवेदक द्वारा परिचालन लेनदारों को न्यूनतम के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि की सीमा बढ़ जाती है, जिसे संशोधित प्रावधान के तहत बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, असहमत वित्तीय लेनदारों को भी अब पहली बार न्यूनतम गारंटीकृत राशि का भुगतान किया जाना है, क्योंकि 66 प्रतिशत वित्तीय लेनदार एक निश्चित वर्ग के वित्तीय लेनदारों को 'शून्य' वसूली दे सकते हैं, जिस स्थिति में यह प्रावधान अब उनके बचाव में आता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें संहिता की धारा 53 (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 6 में धारा 53 का उल्लेख इस क्रम में नहीं है कि परिसमापन के बारे में प्राथमिकताओं को लेनदारों के बीच विभाजित

किया जाए, बल्कि केवल इस क्रम में है कि न्यूनतम राशि की गणना की जाए ताकि यह देखा जा सके कि परिचालन लेनदार और असंतुष्ट वित्तीय लेनदार

संशोधन से पहले उन्हें जो मिलता उससे कुछ अधिक प्राप्त करें। जहाँ तक प्रतिस्थापित धारा 30 (2) (बी) के स्पष्टीकरण 2 का संबंध है, उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए आर्सेलर मित्तल इंडिया (ऊपर) और स्विस रिबन (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया कि एक संकल्प आवेदक में अपनी योजना को स्वीकार करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। यह मामला होने के कारण और एक अपील कार्यवाही की निरंतरता होने के कारण, स्पष्टीकरण 2 द्वारा उल्लिखित तीन मामलों में संशोधित कानून को लागू करने में कुछ भी गलत नहीं है। जहां तक 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 30 (4) को जोड़ने का संबंध है, विचार इसी मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को खत्म करने का थायह कहते हुए कि लेनदारों के विभिन्न वर्गों के बीच उप–वर्गीकरण लेनदारों की समिति द्वारा भी एक सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति हित के मूल्य के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने राज्य सभा में आई. डी. 1 पर हुई बहस को भी विस्तार से पढ़ा, जिसमें माननीय मंत्री ने इस संशोधन को लागू किया था। उनके अनुसार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (इसके बाद एएसएसएआर स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट समिति को संदर्भित किया गया है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जैसा कि "फिक्की") ने सचिव को दिनांकित 17.07.2019 का अभ्यावेदन दिया,

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इसी मामले में एन. सी. एल. ए. टी. के त्रुटिपूर्ण निर्णय की ओर इशारा किया और सरकार से संहिता में तेजी से संशोधन करने के लिए कहा ताकि कानून को बहाल किया जा सके जैसा कि यह मूल रूप से था, जिसके जवाब में सरकार और संसद ने 2019 का संशोधन अधिनियम लागू किया।

19. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को लिखित तर्कों द्वारा पूरक किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह अच्छी तरह से तय है कि विधायिका हमेशा अदालत के फैसले में सीधे हस्तक्षेप किए बिना न्यायिक फैसले के आधार को छीन सकती है, और कई का हवाला दिया है।इस बिंदु को मजबूत करने के लिए निर्णय। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 4 और 6 की संवैधानिक वैधता पर श्री सिब्बल का हमला इस आधार पर कि संशोधन इस मामले में निर्णय को समाप्त करने के लिए किया गया था, ताकि उनके मुवक्किल बिना किसी चीज के चले जा सकें, इस सुविचारित सिद्धांत से जवाब दिया जाता है कि विधानमंडल के किसी अधिनियम पर अनुचित या बुरे उद्देश्य के आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है, और इसके समर्थन में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का हवाला दिया।

समाधान पेशेवर की भूमिका

20. निगमित देनदार के पुनरुत्थान में समाधान पेशेवर की भूमिका 2016 के विनियमों के साथ पठित संहिता की कई धाराओं में विस्तार से बताई गई है।

21. धारा 7,9 या 10 के तहत एक आवेदन स्वीकार करने के बाद, गेंद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ घूमना शुरू कर देती है, जिसमें आदेश दिया जाता है कि धारा 15 के तहत दावों को प्रस्तुत करने के लिए बुलाने के

साथ–साथ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी–संहिता की धारा 13 (1) (बी) देखें। इस उद्देश्य के लिए, न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण निर्धारित तरीके से एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति करता है

धारा 16 में नीचे–संहिता की धारा 13 (1) (सी) देखें। सी. आई. आर. पी. की सार्वजनिक घोषणा में, धारा 15 (1) के तहत, दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, दी जानी है।

अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण, जो निगमित देनदार के प्रबंधन के साथ निहित होगा और इसके लिए जिम्मेदार होगा दावा प्राप्त करने की तारीख भी दी जाएगी और जिस तारीख को सी. आई. आर. पी. बंद होगा, वह भी दी जाएगी–संहिता की धारा 15 (1) (सी), (डी) और (एफ) देखें। संहिता की धारा 17 के तहत, मामलों का प्रबंधन

निगमित देनदार की राशि अंतरिम समाधान पेशेवर, [2019] 16 एस. सी. आर. में निहित होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित देनदार का निदेशक मंडल कानून द्वारा निलंबित है। अंतरिम समाधान पेशेवर के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में लेनदारों द्वारा प्रस्तुत सभी दावों को प्राप्त करना और उनका मिलान करना और लेनदारों की एक समिति का गठन करना है–संहिता की धारा 18 (1) (बी) और (सी) देखें। संहिता की धारा 20 के तहत, अंतरिम समाधान पेशेवर को सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना है।

निगमित देनदार की संपत्ति का मूल्य और निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन एक चालू चिंता के रूप में।

22. ऋणदाताओं की समिति की पहली बैठक में, जो इसके गठन के 7 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी, समिति बहुमत से

वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत के वोट के लिए, अंतरिम समाधान पेशेवर को एक समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त करने या अंतरिम समाधान पेशेवर को किसी अन्य समाधान पेशेवर द्वारा प्रतिस्थापित करने का तुरंत संकल्प लेना चाहिए–संहिता की धारा 22 (1) और (2) देखें। धारा 23 (1) के तहत समाधान पेशेवर पूरे सी. आई. आर. पी. का संचालन करेगा और निगम के संचालन का प्रबंधन करेगा।

कुल ऋण के 10 प्रतिशत से कम नहीं। संहिता की धारा 18 के तहत अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्यों की तरह, समाधान पेशेवर का कर्तव्य होगा कि वह उनकी संपत्तियों का संरक्षण और सुरक्षा करे। निगमित देनदार के निरंतर व्यावसायिक संचालन सहित निगमित देनदार–संहिता की धारा 25 (1) देखें। इस उद्देश्य के लिए, उसे दावों की एक अद्यतन सूची बनाए रखनी है; लेनदारों की समिति की सभी बैठकों को बुलाना और भाग लेना; संहिता की धारा 29 के अनुसार सूचना ज्ञापन तैयार करना; संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करना;

और लेनदारों की समिति की बैठकों में सभी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करना–संहिता की धारा 25 (2) (ई) से (आई) देखें। संहिता की धारा 29 (1) के तहत, समाधान पेशेवर एक तैयार करेगा

सभी प्रासंगिक जानकारी वाला सूचना ज्ञापन, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, ताकि एक संभावित समाधान आवेदक द्वारा एक समाधान योजना तैयार की जा सके। संहिता की धारा 30 के तहत, समाधान आवेदक को तब समाधान पेशेवर को एक समाधान योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, जो सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार की गई हो।

इसके बाद, समाधान पेशेवर को अनुमोदन के लिए ऋणदाताओं की समिति के समक्ष ऐसी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए जो एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति के अनुरूप हों।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संहिता की धारा 30 (2) में निर्दिष्ट शर्तें–संहिता की धारा 30 (3) देखें। यदि समाधान योजना को आवश्यकता द्वारा अनुमोदित किया जाता है

23. संहिता के उपरोक्त प्रावधानों को 2016 के विनियमों में दर्शाया गया है। उपरोक्त विनियमों के अध्याय IV के तहत,परिचालन लेनदारों, वित्तीय लेनदारों, अन्य लेनदारों, श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा किए गए दावों को समाधान पेशेवर को उनके प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया जाना है–विनियम 7 से 12 देखें।

इसके बाद, विनियमन 13 के तहत, समाधान पेशेवर प्रत्येक दावे को दिवाला शुरू होने की तारीख के अनुसार सत्यापित करेगा, और उसके बाद लेनदारों की सूची बनाए रखें जिसमें लेनदारों के नाम भी शामिल हों।

उनके द्वारा दावा की गई राशि, उसके द्वारा स्वीकार की गई राशि और ऐसे दावों के संबंध में प्रतिभूति ब्याज, यदि कोई हो, और उपरोक्त सूची को लगातार अद्यतन करते रहें–विनियम 13 (1) देखें। 24. विनियमों का अध्याय X तब प्रस्तुत की गई समाधान योजनाओं से संबंधित है। विनियमन 35 के तहत, "उचित मूल्य" जैसा कि परिभाषित किया गया है

विनियमन 2 (एचबी) 1 और "परिसमापन मूल्य" जैसा कि विनियमन 2 (के) 2 द्वारा परिभाषित किया गया है विनियमन 27 के तहत नियुक्त दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे समाधान पेशेवर को सौंप दिया जाएगा।

25. के अनुसार समाधान योजनाओं की प्राप्ति के बाद

संहिता और विनियम, समाधान पेशेवर तब लेनदारों की समिति के प्रत्येक सदस्य को उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य प्रदान करेगा–विनियमन 35 (2) देखें। विनियमन 36 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए आधार बनाता है। इस विनियमन द्वारा उल्लिखित सूचना ज्ञापन में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

1 भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 2 (एच. बी.) के तहत–"उचित मूल्य" का अर्थ है निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का

अनुमानित प्राप्य मूल्य, यदि उनका आदान–प्रदान किसी इच्छुक खरीदार और इच्छुक विक्रेता के बीच दिवाला शुरू होने की तारीख को किया जाना था।

दलों ने ज्ञानपूर्वक, समझदारी से और बिना किसी मजबूरी के काम किया था

2 आईडी। विनियमन 2 (के) के तहत–"परिसमापन मूल्य" का अर्थ है निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का अनुमानित प्राप्य मूल्य, यदि निगमित देनदार को परिसमापन किया जाना था।

दिवाला प्रारम्भ होने की तिथि पर।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट" (क) ऐसे विवरण के साथ परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, जैसा कि

दिवाला शुरू होने की तारीख, जो आम तौर पर उनके मूल्यों का पता लगाने के लिए आवश्यक होती है।

व्याख्याः " विवरण "में विवरण शामिल हैं जैसे कि

अधिग्रहण की तारीख, अधिग्रहण की लागत, शेष उपयोगी जीवन, पहचान संख्या, मूल्यह्रास शुल्क, पुस्तक मूल्य और कोई अन्य प्रासंगिक विवरण।

((ख) नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरण;

(ग) पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए निगमित देनदार के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और चालू वित्त वर्ष के लिए अनंतिम वित्तीय विवरण जो उस तारीख से चौदह दिन से पहले नहीं बनाए गए हैं।

आवेदन;

(घ) लेनदारों की एक सूची जिसमें लेनदारों के नाम, उनके द्वारा दावा की गई राशि, उनके दावों की राशि और प्रतिभूति ब्याज, यदि कोई हो, शामिल हैं –

ऐसे दावे;

(ई) निगमित देनदार से या उसे देय ऋण का विवरण

संबंधित पक्षों के संबंध में;

(च) अन्य व्यक्तियों द्वारा निगमित देनदार के ऋणों के संबंध में दी गई गारंटी का विवरण,

यह निर्दिष्ट करना कि कौन सा गारंटर एक संबंधित पक्ष है;

(छ) हिस्सेदारी के आकार के साथ कॉर्पोरेट देनदार में कम से कम एक प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले सदस्यों या भागीदारों के नाम और पते;

(ज) सभी भौतिक मुकदमों और चल रहे मुकदमे का विवरण

सरकार द्वारा शुरू की गई जाँच या कार्यवाही और

वैधानिक प्राधिकरण;

((i) श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या और उनकी देनदारियाँ

उनके प्रति निगमित ऋणी;

(जे) * * *

(के) * * *

(1) अन्य जानकारी, जो समाधान पेशेवर है

समिति के लिए प्रासंगिक समझते हैं। एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

26. विनियमन 36–ए के तहत, समाधान पेशेवर तब रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित करेगा।अनुसूची का फॉर्म जी। इस दस्तावेज़ को, अन्य बातों के साथ–साथ, निगमित देनदार के बारे में ऐसी बुनियादी जानकारी भी प्रदान करनी चाहिए जिसकी आवश्यकता हो।

एक संभावित समाधान आवेदक द्वारा अपनी रुचि की अभिव्यक्ति के लिए–देखें

उनके समावेशन या बहिष्कार पर आपत्ति, फिर लेनदारों की समिति को संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करेगा–विनियमन 36–ए (10) से (12) देखें। विनियमन 36–बी के तहत, समाधान पेशेवर विनियमन 2 (एच) (ए) 3 द्वारा परिभाषित सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और बताए गए समय के भीतर समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करेगा। महत्वपूर्ण रूप से, समाधान पेशेवर अनुसूची के फॉर्म एच में अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ सी. आई. आर. पी. को पूरा करने की अधिकतम अवधि से कम से कम 15 दिन पहले, लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा।27. ऊपर बताए गए विस्तृत प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि समाधान पेशेवर एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं है

संहिता की धारा 7,9 या 10 के तहत आवेदन स्वीकार करने के चरण से लेकर न्यायनिर्णायक द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने तक केवल एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन करना।

प्राधिकरण, लेकिन एक प्रमुख व्यक्ति भी है जो लेनदारों की समिति की बैठकों को नियुक्त और बुलाने के लिए है, ताकि वे समाधान योजनाओं पर निर्णय ले सकें जो विस्तृत के अनुसार प्रस्तुत की जाती हैं3 भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 2

(हेक्टेयर) के तहत–(हेक्टेयर)–"मूल्यांकन मैट्रिक्स" का अर्थ है ऐसे मानदंड जिन्हें लागू किया जाना है और समाधान योजनाओं पर विचार करने के लिए समिति द्वारा अनुमोदित ऐसे मानदंडों को लागू करने का तरीका।

इसकी मंजूरी के लिए [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाधान पेशेवर द्वारा समाधान आवेदकों को दी गई जानकारी। समाधान पेशेवर का एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य सभी लेनदारों के दावों को एकत्र करना, मिलान करना और अंत में स्वीकार करना है, जिनकी समाधान आवेदक द्वारा भुगतान के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से या बिल्कुल भी जांच नहीं की जानी चाहिए और अंत में बातचीत की जानी चाहिए और समिति द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

लेनदार। वास्तव में, आर्सेलरमिटल इंडिया (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने संहिता और उपरोक्त विनियमों के तहत समाधान पेशेवर की भूमिका का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि उक्त भूमिका निम्नलिखित शब्दों में न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक हैः

" 80. लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि एक संकल्प

पेशेवर केवल "जांच" और "पुष्टि" करने के लिए है कि प्रत्येक समाधान योजना धारा 30 (2) द्वारा प्रदान की गई है। धारा 25 (2) (i) के तहत, समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति की बैठकों में सभी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने का कार्य करेगा। इसके बाद धारा 30 (3) आती है, जो

यह बताता है कि समाधान पेशेवर प्रस्तुत करेगा

लेनदारों की समिति, अपने अनुमोदन के लिए, ऐसी समाधान योजनाएं जो उप–धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती हैं। इस प्रावधान को धारा 25 (2) (i) के साथ और धारा 30 (4) के दूसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो प्रदान करता है कि जहां कोई समाधान आवेदक धारा 29–ए (सी) के तहत अयोग्य पाया जाता है, तो समाधान आवेदक को ऋणदाताओं की समिति द्वारा ऐसी अवधि की अनुमति दी जाएगी, जो 30 दिनों से अधिक नहीं होगी।

के अनुसार अतिदेय राशि का भुगतान करें

धारा 29–ए (सी) का परंतुक। इन सभी प्रावधानों का अवलोकन

इस बात की जांच करें कि विभिन्न आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना ऋणदाताओं की समिति को प्रस्तुत करने से पहले सभी मामलों में पूर्ण है। समाधान पेशेवर को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तुत समाधान योजनाएं ऋणदाताओं की समिति के समक्ष रखे जाने से पहले सभी मामलों में पूर्ण हैं, जो अनुमोदन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं।यह। तथ्य यह है कि समाधान पेशेवर

को यह भी पुष्टि करनी है कि एक समाधान योजना संहिता की धारा 29–ए सहित वर्तमान में लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, केवल इसका मतलब है कि उसकी प्रथम दृष्टया राय दी जानी है

लेनदारों की समिति कि एक कानून है या नहीं किया गया है

उल्लंघन किया। धारा 30 (2) (ई) समाधान पेशेवर को यह "तय" करने का अधिकार नहीं देती है कि क्या समाधान योजना एम. एम. आई. टी. ई. ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड को लागू करती है या नहीं।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36–ए में विशेष रूप से निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" 36 – ए. (8) समाधान पेशेवर रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर उचित परिश्रम करेगा ताकि यह संतुष्ट किया जा सके कि

संभावित समाधान आवेदक अनुपालन करता है

(क) धारा की उप–धारा (2) के खंड (ज) के प्रावधान

25 ;

(ख) धारा 29–क के लागू प्रावधान, और

(ग) अन्य आवश्यकताएँ, जैसा कि निमंत्रण में निर्दिष्ट किया गया है

रुचि की अभिव्यक्ति।

(9) समाधान पेशेवर उप–विनियम (8) के तहत उचित परिश्रम करने के लिए संभावित समाधान आवेदक से कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांग सकता है।

(10) समाधान पेशेवर एक अस्थायी सूची जारी करेगा

समिति और रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने वाले सभी संभावित समाधान आवेदकों को रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। (11) उप–विनियम (10) में निर्दिष्ट अनंतिम सूची में किसी संभावित समाधान आवेदक को शामिल करने या बाहर करने पर कोई आपत्ति सहायक दस्तावेजों के साथ की जा सकती है।

अनंतिम सूची जारी होने की तारीख से पाँच दिन।

आपत्तियों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि के दस दिनों के भीतर संभावित समाधान आवेदक समिति के समक्ष। 81. इस प्रकार, समाधान पेशेवर का महत्व यह सुनिश्चित करना है कि एक समाधान योजना सभी मामलों में पूर्ण हो, और

लेनदारों की समिति को रिपोर्ट करने के लिए उचित परिश्रम करें कि क्या यह क्रम में है या नहीं। भले ही ऐसा न हो

समाधान पेशेवर के लिए ऋणदाताओं की समिति को समाधान योजना प्रस्तुत करते समय कारण देना आवश्यक है, यह चीजों की योग्यता में होगा यदि वह प्रत्येक प्रस्ताव [2019] 16 एस. सी. आर. के संबंध में अपने द्वारा की गई उचित परिश्रम रिपोर्ट को जोड़ता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचाराधीन योजनाएं, और संक्षेप में बताएँ कि ऐसा क्यों होता है

या कानून के अनुरूप नहीं है।

संभावित समाधान आवेदक की भूमिका

28. UNCITRAL लेजिस्लेटिव गाइड चर्चा करता है कि क्या करना चाहिए

दिवाला संहिता में समाधान योजना की विषय–वस्तुएं:

" 4. यह योजना

अदालती पुष्टि की आवश्यकता। कई दिवाला कानूनों में पुनर्गठन योजना की सामग्री को संबोधित करने वाले प्रावधान शामिल हैं। कुछ कानून सामान्य मानदंडों के संदर्भ में योजना की सामग्री को संबोधित करते हैं, जैसे कि आवश्यकताएं कि पुनर्गठन योजना को सभी पक्षों को ऋणी की वित्तीय स्थिति और योजना में प्रस्तावित किए जा रहे कानूनी अधिकारों के परिवर्तन दोनों के बारे में पर्याप्त और स्पष्ट रूप से जानकारी का खुलासा करना चाहिए, या न्यूनतम आवश्यकताओं के संदर्भ में, जैसे कि योजना को करना चाहिए कुछ पसंदीदा दावों के भुगतान के लिए प्रावधान। होना चाहिए।

इस बात पर ध्यान दिया कि किसी योजना को प्रत्येक वर्ग के लेनदार के अधिकारों को संशोधित या अन्यथा प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है।

19. अन्य कानून अधिक विशिष्ट आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं कि देनदार की वित्तीय स्थिति और एक योजना में शामिल किए जा सकने वाले प्रस्तावों के संबंध में किस जानकारी की आवश्यकता है। देनदार की वित्तीय स्थिति की जानकारी में परिसंपत्ति और देयता विवरण; नकदी प्रवाह विवरण; और देनदार की वित्तीय स्थिति के कारणों या कारणों से संबंधित जानकारी शामिल हो सकती है।

योजना द्वारा प्रस्तावित जानकारी में योजना के उद्देश्य और परिस्थितियों के आधार पर शामिल हो सकती है।

किसी विशेष देनदार का, दावों के वर्गों का विवरण; योजना के तहत संशोधित या प्रभावित दावे और एएसएसएआर स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की एम. एम. आई. टी. ई. को दिया जाने वाला उपचार।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

योजना के तहत प्रत्येक वर्ग; की निरंतरता या अस्वीकृति

ऐसे अनुबंध जो पूरी तरह से निष्पादित नहीं किए गए हैं; अप्रचलित पट्टों का उपचार; देनदार की परिसंपत्तियों से निपटने के लिए उपाय और व्यवस्था (जैसे। हस्तांतरण, परिसमापन या प्रतिधारण); भारित परिसंपत्तियों की बिक्री या अन्य उपचार; प्रकटीकरण और स्वीकृति

परिपक्वता तिथि या ब्याज दर या बकाया प्रतिभूति हितों की अन्य अवधि में परिवर्तन; योजना के कार्यान्वयन में देनदार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका और देनदार के व्यवसाय के भविष्य के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान; दावों का निपटान और लेनदारों को जो राशि प्राप्त होगी वह परिसमापन में प्राप्त होने वाली राशि से अधिक होगी; दावों पर ब्याज का भुगतान; उन परिसंपत्तियों में ब्याज रखने वालों के बीच संपत्ति की सभी या किसी भी हिस्से का वितरण; देनदार का गठन करने वाले साधन या जैविक दस्तावेज में संभावित परिवर्तन (जैसे। उप–कानूनों या संघ के लेखों में परिवर्तन) या देनदार की पूंजी संरचना या एक या अधिक व्यक्तियों के साथ देनदार का विलय या समेकन; आधारजिस पर व्यवसाय व्यापार करने में सक्षम होगा और सफलतापूर्वक पुनर्गठित किया जा सकता है; योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण; और योजना के कार्यान्वयन की अवधि, जिसमें शामिल हैं –

कुछ मामलों में वैधानिक अधिकतम अवधि होती है। 20. किसी योजना में शामिल की जाने वाली विस्तृत जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला को निर्दिष्ट करने के बजाय, दिवाला कानून के लिए यह वांछनीय हो सकता है कि वह योजना की न्यूनतम सामग्री की पहचान करे, योजना के प्रमुख उद्देश्यों और कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करे। उदाहरण के लिए, दिवाला कानून के लिए योजना को लेनदारों के वर्गों के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता हो सकती है और योजना में प्रत्येक के साथ क्या व्यवहार किया जाना है; योजना के नियम और शर्तें (जैसे अनुबंधों का व्यवहार और देनदार की चल रही भूमिका); और योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या आवश्यक है (जैसे परिसंपत्तियों या व्यवसाय के कुछ हिस्सों की बिक्री, परिपक्वता तिथियों का विस्तार, व्यवसाय की पूंजी संरचना में परिवर्तन और ऋणदाता की देखरेख)।

कार्यान्वयन) "।

29. संहिता के तहत, संभावित समाधान आवेदक को कॉर्पोरेट देनदार, ऋण [2019] 16 एस. सी. आर. के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संहिता की धारा 7,9 या 10 के तहत प्रवेश आवेदन से पहले, इसके द्वारा और एक चालू संस्था के रूप में इसकी गतिविधियों द्वारा। इस उद्देश्य के लिए,

सूचना में निहित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार

रैंडम के साथ–साथ विनियमन में उल्लिखित मूल्यांकन मैट्रिक्स एक बार जब यह रुचि की अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, तो निम्नलिखित को रखा जाता है।

विनियम 36–ए (7) में जो इस प्रकार हैः

" 36 – ए. रुचि व्यक्त करने के लिए निमंत्रण

XXX XXX XXX

(7) रुचि की अभिव्यक्ति बिना शर्त होगी और

साथ में

(क) भावी समाधान आवेदक द्वारा एक वचन कि वह धारा 25 की उप–धारा (2) के खंड (ज) के तहत समिति द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है;(ख) निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के साक्ष्य में प्रासंगिक अभिलेख

खंड (ए);

(ग) भावी समाधान आवेदक द्वारा एक वचन कि वह धारा के तहत किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं है।

29 ए लागू होने की सीमा तक;

(घ) प्रासंगिक जानकारी और अभिलेख

खंड (ग) के तहत अयोग्यता का निर्धारण;

(ई) संभावित समाधान आवेदक द्वारा एक वचन कि वह समाधान पेशेवर को तुरंत सूचित करेगा यदि वह कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय अयोग्य हो जाता है;

(च) संभावित समाधान आवेदक द्वारा एक वचन कि ब्याज की अभिव्यक्ति में प्रदान की गई प्रत्येक जानकारी और रिकॉर्ड सही और सही है और किसी भी समय किसी भी गलत जानकारी या रिकॉर्ड की खोज आवेदक को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य बना देगी, किसी भी वापसी योग्य जमा राशि को जब्त कर लेगी, और दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगी।

संहिता के तहत; और

(छ) संभावित समाधान आवेदक द्वारा इस आशय का वचन कि वह जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसी जानकारी का उपयोग एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति के लिए नहीं करेगा।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित लाभ या अनुचित हानि और उप–धारा (2) के तहत आवश्यकताओं का पालन करना।

धारा 29 "

इसके बाद, संभावित द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना

अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए निगमित देनदार के दिवाला समाधान के लिए, जिसमें परिसंपत्तियों का हस्तांतरण या बिक्री शामिल हो सकती है।या उसका कुछ हिस्सा, चाहे वह सुरक्षा हितों के अधीन हो या नहीं। यह योजना किसी भी प्रतिभूति की संतुष्टि या संशोधन के लिए प्रदान कर सकती है।

एक सुरक्षित लेनदार का ब्याज और इसमें कमी का भी प्रावधान हो सकता है विभिन्न वर्गों के लेनदारों को देय राशि–विनियमन 37 देखें।

30. तदनुसार, विनियमन 38 तब अनिवार्य से संबंधित है

समाधान योजना की सामग्री, यह स्पष्ट करती है कि ऐसी योजना में एक प्रावधान होना चाहिए कि परिचालन लेनदारों को देय राशि दी जाएगी

योजना की अवधि, व्यवसाय का प्रबंधन और नियंत्रणऐसी अवधि के दौरान निगमित देनदार, और इसका कार्यान्वयन। इसे यह भी प्रदर्शित करना चाहिए कि यह व्यवहार्य और व्यवहार्य है, और यह कि संकल्प

आवेदक के पास उक्त योजना को लागू करने की क्षमता है। विनियमन 38, महत्वपूर्ण होने के कारण, नीचे दिया गया है:

" 38. समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री (1) एक संकल्प के तहत परिचालन लेनदारों को देय राशि

वित्तीय ऋणदाताओं की तुलना में भुगतान में योजना को प्राथमिकता दी जाएगी।

निगमित देनदार के लेनदार और परिचालन लेनदार।(2) एक समाधान योजना में निम्नलिखित प्रावधान होंगे:

(क) योजना की अवधि और इसकी कार्यान्वयन अनुसूची;

(ख) व्यवसाय का प्रबंधन और नियंत्रण

अपने कार्यकाल के दौरान निगमित देनदार; और

(ग) इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्याप्त साधन।

(3) एक समाधान योजना यह प्रदर्शित करेगी कि –

(ए) यह डिफ़ॉल्ट के कारण को संबोधित करता है;

(ख) यह व्यवहार्य और व्यवहार्य है;

(ग) इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं;

(घ) इसमें आवश्यक अनुमोदन और समयसीमा के प्रावधान हैं।

उसी के लिए; और

(ङ) समाधान आवेदक के पास इसे लागू करने की क्षमता है।

समाधान योजना "।

निगम में लेनदारों की समिति की भूमिका

समाधान प्रक्रिया

31. चूँकि यह लेनदारों की समिति का व्यावसायिक विवेक है जो यह तय करना है कि किसी विशेष समाधान योजना की स्वीकृति के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार का पुनर्वास किया जाए या नहीं,

संहिता और विनियमों के प्रावधानों में ऐसी समिति की स्थापना के महत्व को विस्तार से रेखांकित किया गया है और निर्णयों को इन पर छोड़ दिया गया है – उपरोक्त सदस्यों के अपेक्षित बहुमत द्वारा किया जाना

समिति अपने विवेकाधिकार पर। इस प्रकार, संहिता की धारा 21 (2) में कहा गया है कि लेनदारों की समिति में सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगे।

निगमित ऋणी का। " संहिता की धारा 5 (7) में वित्तीय लेनदारों को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि जिन व्यक्तियों पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या

स्थानांतरण किया गया। " वित्तीय ऋण "को तब संहिता की धारा 5 (8) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण, जिसे धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित किया जाता है। "सुरक्षित लेनदार" को संहिता की धारा 3 (30) में अलग से परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक लेनदार जिसके पक्ष में एक प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है और "प्रतिभूति ब्याज" को धारा 3 (31) द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" 3. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकताएँ हैं।XXX XXX XXX

(31) " प्रतिभूति ब्याज का अर्थ है अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या संपत्ति का दावा, जो किसी लेन–देन द्वारा किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाया गया हो या उसके लिए प्रदान किया गया हो, जो किसी लेन–देन के भुगतान या प्रदर्शन को सुरक्षित करता हो।

दायित्व और इसमें बंधक, शुल्क, परिकल्पना शामिल है,

एसाइनमेंट और बोझ या कोई अन्य समझौता या एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भुगतान या किसी भी दायित्व के निष्पादन को सुरक्षित करने वाली व्यवस्था

किसी भी व्यक्ति के बारे में:बशर्ते कि प्रतिभूति हित में प्रदर्शन शामिल नहीं होगा

गारंटी; "

32. इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा यह तय किया गया है कि संहिता को लागू करने के लिए एक स्पष्ट विभाजन किया गया है

वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के बीच। हमारे कुछ निर्णयों में यह भी देखा गया है कि अधिकांश वित्तीय लेनदार सुरक्षित लेनदार हैं और अधिकांश परिचालन लेनदार असुरक्षित हैं।

लेनदार। निगमित देनदार के मामलों को संभालने वाले और उन्हें हल करने वाले केवल वित्तीय लेनदारों के लिए तर्क उन कारणों के लिए है जिन पर 2015 की बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट द्वारा विचार–विमर्श किया गया है, जो दिवाला संहिता के अधिनियमन का आधार बने।

33. इस मोड़ पर, उपरोक्त रिपोर्ट से प्रासंगिक उद्धरण निर्धारित करना महत्वपूर्ण है:

" 2. कार्यकारी सारांश XXX XXX XXX

दिवालियापन प्रक्रिया में प्रमुख आर्थिक प्रश्न

XXX XXX XXX

समिति का मानना है कि ऐसी संभावनाओं का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए केवल एक ही सही मंच है: एक लेनदार समिति, जहाँ सभी वित्तीय लेनदारों के पास ऋण की मात्रा के अनुपात में वोट होते हैं। अतीत में, भारत में कानूनों ने इस प्रश्न में सरकार (विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका) के हथियार लाए हैं। समिति

द्वारा इससे सख्ती से बचा गया है। एक चूककर्ता फर्म का उचित स्वभाव एक व्यावसायिक निर्णय है, और केवल लेनदारों को ही इसे करना चाहिए।

XXX XXX XXX

5. कानूनी संस्थाओं के लिए प्रक्रिया

XXX XXX XXX

लेनदार समिति द्वारा व्यावसायिक निर्णय

व्यवसाय के मामलों पर सभी निर्णय वित्तीय लेनदारों की एक समिति द्वारा लिए जाएंगे। इसमें इकाई को एक चालू चिंता के रूप में रखने के प्रस्तावों का मूल्यांकन करना शामिल है, जिसमें [2019] 16 एस. सी. आर. के बारे में निर्णय शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यवसाय या इकाइयों की बिक्री, ऋण चुकाना या पुनर्गठन। ऋणी लेनदार समिति में एक गैर–मतदान सदस्य होगा, और उसे सभी बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा। लेनदार समिति का मतदान बहुमत से होगा, जहां बहुमत के लिए वजन के हिसाब से 75 प्रतिशत से अधिक वोट की आवश्यकता होती है।

इकाई को एक चालू चिंता के रूप में रखने के लिए समाधान का चयनऋणदाता समिति द्वारा मतदान किया जाएगा। वहाँ कोई नहीं है

प्रस्तावों पर बाधाएं जो समाधान पेशेवर लेनदारों की समिति को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेनदार समिति के बहुमत के अलावा, समाधान पेशेवर को न्यायनिर्णायक को यह पुष्टि करने की आवश्यकता होती है कि अंतिम समाधान तीन अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। पहला यह है कि समाधान के लिए स्पष्ट रूप से किसी भी अंतरिम वित्त और लागत के पुनर्भुगतान की आवश्यकता होनी चाहिए।

दिवाला समाधान प्रक्रिया का भुगतान अन्य भुगतानों की तुलना में प्राथमिकता से किया जाएगा। दूसरा, योजना में स्पष्ट रूप से उन सभी लेनदारों को भुगतान शामिल होना चाहिए जो समाधान लागू होने के बाद एक उचित अवधि के भीतर लेनदारों की समिति में नहीं हैं। अंत में, योजना को समाधानों को लागू करते समय इकाई के कार्यों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों का पालन करना चाहिए। XXX XXX XXX

5.3. 1 आई. आर. पी. की शुरुआत में कदम

लेनदार समिति के पास बातचीत में बहुमत से अंतिम समाधान तय करने की शक्ति होगी। बहुमत के लिए 75 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर ऋणदाताओं की आवश्यकता होती है।कुल वित्तीय देनदारियों के भार द्वारा समिति। बहुमत के मत में किसी भी असहमति पर एक विकल्प भी शामिल होगा।

एक बार बहुमत वोट प्राप्त होने के बाद लेनदार। समिति ने इस बात पर विचार–विमर्श किया कि ऋणदाता समिति में किसे होना चाहिए, जिसे ऋणदाता समिति की शक्ति दी गई है कि वह अंततः इकाई को एक चालू संस्था के रूप में रखे या इसे समाप्त कर दे। समिति ने तर्क दिया कि

लेनदार समिति के सदस्यों को व्यवहार्यता का आकलन करने की क्षमता के साथ–साथ बातचीत में मौजूदा देनदारियों की शर्तों को संशोधित करने के लिए तैयार होना चाहिए।

आमतौर पर, ए. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

परिचालन ऋणदाता न तो मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम हैं

इकाई की दिवालियापन के संबंध में, और न ही जोखिम लेने के लिए तैयार इकाई के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए भुगतान को स्थगित करना।

समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्रक्रिया को तेज करने के लिए और

कुशलता से, संहिता यह प्रदान करेगी कि लेनदार समिति

इसे केवल वित्तीय लेनदारों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।5.3. 3 आई. आर. पी. में दिवालियापन का समाधान प्राप्त करना

समिति की राय है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए

एक चालू चिंता के रूप में इकाई। जिस प्रकार और तरीके सेसंभावित समाधान समय और पर्यावरण के लिए विशिष्ट हैं।

जो दिवालिया दिखाई देता है, उसके विकसित होने की उम्मीद है

समय के साथ, और बाजार के विकास के साथ। कोड

पूर्वाग्रह के बिना, आई. आर. पी. की शेष बाधाओं के भीतर। इसलिए, दिवालियापन का समाधान कैसे किया जाए, यह नहीं होगा।

संहिता में निर्धारित। संहिता में कोई प्रतिबंध नहीं होगा

संभावित तरीकों से जिसमें इकाई का व्यवसाय मॉडल, या

इसके वित्तीय मॉडल, या दोनों को बदला जा सकता है ताकि

एक चालू चिंता के रूप में इकाई। संहिता में यह नहीं कहा जाएगा कि इकाई

पुनर्जीवित किया जाना है, या ऋण का पुनर्गठन किया जाना है, या इकाई है

समाप्त करने के लिए। यह निर्णय विचार–विमर्श से लिया जाएगा।

प्रस्तावित समाधानों के जवाब में लेनदारों की समिति

बाजार में "।

(जोर दिया गया)

34. उपरोक्त उद्धरण में जो कहा गया है उसका अनुसरण करते हैं

आई. टी. आर. ए. एल. विधायी मार्गदर्शिका जो निम्नानुसार निर्धारित करती हैः

" 2. किसी योजना की प्रकृति या रूप

3. पुनर्गठन का उद्देश्य संभावित को अधिकतम करना है।

अंततः लेनदारों को वापसी, एक बेहतर परिणाम प्रदान करते हुए यदि

देनदार का परिसमापन किया जाना था और व्यवहार्य व्यवसायों को संरक्षित किया जाना था

आपूर्तिकर्ता। पुनर्गठन में शामिल विभिन्न घटकों के साथ कार्यवाही, प्रत्येक के अलग–अलग विचार हो सकते हैं कि कैसे विभिन्न

ग्राहक या आपूर्तिकर्ता, के साथ निरंतर व्यवसाय करना पसंद कर सकते हैंअपने ऋण के त्वरित पुनर्भुगतान के लिए ऋणी। कुछ लेनदार [2019] 16 एस. सी. आर. कर सकते हैं।

व्यवसाय में इक्विटी हिस्सेदारी लेने के पक्ष में, जबकि अन्य करेंगे नहीं। आमतौर पर, इसलिए, विकल्पों की एक श्रृंखला है जिसमें से

किसी मामले में चयन करने के लिए। यदि कोई दिवाला कानून अपनाता है

उपलब्ध विकल्पों की सीमा के लिए निर्देशात्मक दृष्टिकोण या

किसी विशेष मामले में किए जाने वाले चुनाव के लिए, यह संभावना है

उन लोगों के लिए पुनर्गठन योजनाएं जिन्हें केवल पूरी तरह से पुनर्वास के लिए डिज़ाइन किया गया हैऋणी; ऋण को बट्टे खाते में डालने से रोकें;

राशि जो अंततः निर्दिष्ट करके लेनदारों को भुगतान की जानी चाहिए न्यूनतम प्रतिशत; या इक्विटी के लिए ऋण के आदान–प्रदान को प्रतिबंधित करता है। ए.

गैर–हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण जो ऐसा निर्धारित नहीं करता है

सीमाएँ अनुमति देने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करने की संभावना है

XXX XXX XXX 20. विस्तृत विवरण की एक विस्तृत श्रृंखला को निर्दिष्ट करने के बजाय

किसी योजना में शामिल की जाने वाली जानकारी वांछनीय हो सकती है

दिवाला कानून की न्यूनतम सामग्री की पहचान करने के लिए

योजना के प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक योजना और

कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएँ। उदाहरण के लिए, दिवालियापन

कानून ऋणदाताओं के वर्गों का विस्तार करने के लिए योजना की आवश्यकता हो सकती है और

प्रत्येक उपचार योजना में दिया जाना है; शर्तें और

योजना की शर्तें (जैसे अनुबंधों का उपचार और

देनदार की चालू भूमिका); और इसके लिए क्या आवश्यक है

व्यवसाय, परिपक्वता तिथियों का विस्तार, पूंजी में परिवर्तन व्यवसाय की संरचना और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण) "।

(जोर दिया गया)

35. संहिता की धारा 24 समिति की बैठकों से संबंधित है।

लेनदारों से। यद्यपि समाधान योजना के अनुमोदन पर मतदान केवल उन वित्तीय लेनदारों के साथ होता है जो लेनदारों की समिति बनाते हैं, फिर भी

समाधान पेशेवर को उपरोक्त बैठक का संचालन करना है जिसमें निलंबित निदेशक मंडल के सदस्य एक साथ उपस्थित हो सकते हैं।

परिचालन लेनदारों के एक प्रतिनिधि के साथ, बशर्ते कि सभी परिचालन लेनदारों का कुल बकाया 10 प्रतिशत से कम न हो पूरे ऋण का–संहिता की धारा 24 (2), (3) और (4) देखें। मतदान एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक क्रेडिट समिति को सौंपे गए मतदान के हिस्से के अनुसार होगा।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वित्तीय लेनदार, जो ऐसे लेनदारों को देय वित्तीय ऋणों पर आधारित है–संहिता की धारा 24 (6) देखें। 36. भले ही यह समाधान पेशेवर है जो कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में चलाता है

मध्यवर्ती अवधि, फिर भी, ऐसे समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति के कम से कम 66 प्रतिशत मतों की पूर्व मंजूरी के बिना कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन से संबंधित कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं। संहिता की धारा 28 महत्वपूर्ण है और इसे नीचे दिया गया है:

" 28. कुछ कार्यों के लिए लेनदारों की समिति की मंजूरी

(1) उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, समाधान पेशेवर,

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, इनमें से कोई भी नहीं लेगी समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना निम्नलिखित कार्रवाई

ऋणदाता अर्थात्:

(क) लेनदारों की समिति द्वारा तय की जाने वाली राशि से अधिक कोई भी अंतरिम वित्त जुटाना।

बैठक;

(ख) परिसंपत्तियों पर कोई प्रतिभूति ब्याज सृजित करना।

निगमित देनदार;

(ग) निगमित देनदार की पूंजी संरचना में परिवर्तन करना, जिसमें अतिरिक्त प्रतिभूतियां जारी करना भी शामिल है।

प्रतिभूतियों का एक नया वर्ग बनाना या कॉर्पोरेट के मामले में जारी प्रतिभूतियों की वापसी या मोचन

देनदार एक कंपनी है;

(घ) के स्वामित्व हित में किसी भी परिवर्तन को दर्ज करें।

निगमित देनदार;

(ङ) लेनदारों की समिति द्वारा तय की जाने वाली राशि से अधिक राशि वाले किसी भी खाते से डेबिट लेनदेन के लिए निगमित देनदार के खातों को बनाए रखने वाले वित्तीय संस्थानों को निर्देश दें।

बैठक;

(च) कोई भी संबंधित पक्ष लेनदेन करना;

(छ) निगम के किसी भी संवैधानिक दस्तावेज में संशोधन करना।

कर्जदार;

(ज) अपना अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंपें; [2019] 16 एस. सी. आर.

(i) निगमित देनदार या उनके नामितों के किसी भी शेयरधारक के शेयरों का निपटान या निपटान करने की अनुमति देना।

तृतीय पक्षों के लिए;

(जे) निगम के प्रबंधन में कोई बदलाव करना।

देनदार या उसकी सहायक कंपनी;

(के) हस्तांतरण अधिकार या वित्तीय ऋण या भौतिक अनुबंधों के तहत परिचालन ऋण व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा;

(1) समिति द्वारा निर्दिष्ट ऐसे कार्मिकों की नियुक्ति या अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करना।

ऋणदाता; या

(एम) सांविधिक लेखा परीक्षकों या निगमित देनदार के आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करना।

(2) प्रस्ताव पेशेवर लेनदारों की समिति की एक बैठक बुलाएगा और इससे पहले लेनदारों का वोट लेगा।

उप–धारा (1) के तहत कोई भी कार्रवाई करना।(3) उप–धारा (1) के तहत किसी भी कार्रवाई को लेनदारों की समिति द्वारा तब तक अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रति धारा छियासठ के मत से अनुमोदित न किया जाए।

(4) जहां उप–धारा (1) के तहत कोई कार्रवाई समाधान पेशेवर द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए बिना की जाती है इस धारा में अपेक्षित तरीके से लेनदारों की समिति, ऐसी कार्रवाई शून्य होगी।

(5) लेनदारों की समिति उप–धारा (4) के तहत समाधान पेशेवर की कार्रवाइयों के बारे में बोर्ड को सूचित कर सकती है।

इस संहिता के तहत उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करना।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चूंकि निगमित संकल्प अंततः ऋणदाताओं की समिति के बहुमत के हाथों में होता है, इसलिए समाधान पेशेवर द्वारा निगमित ऋणदाता के प्रबंधन के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है जो निगमित ऋणदाता के प्रबंधन के अधिग्रहण और ऋणदाताओं की समिति के आवश्यक बहुमत द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति द्वारा निगमित संकल्प के बीच के अंतराल में किए जाने वाले प्रमुख निर्णयों को प्रभावित करता है। सबसे

महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 30 (4) के तहत, लेनदारों की समिति एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति बना सकती है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसकी व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत के मत से एक समाधान योजना को मंजूरी दें और

व्यवहार्यता और विभिन्न अन्य आवश्यकताएँ जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

37. 2016 के विनियमों के विनियम 18 से 26 तक ऋणदाताओं की समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों से संबंधित हैं। बैठक में कोरम विनियमन 22 द्वारा तय किया जाता है, और बैठक का संचालन विनियमन 24 के तहत किया जाना है। मतदान के तहत होता है

विनियम 25 और 26। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विनियम 39 (3) में कहा गया हैः

" 39. समाधान योजना को मंजूरीXXX XXX XXX

(3) समिति सर्वोत्तम समाधान योजना की पहचान करने के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सख्ती से उप–विनियमन (1) के तहत प्राप्त समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करेगी और इसे ऐसे संशोधनों के साथ मंजूरी दे सकती है जो उसे उचित लगे। बशर्ते कि समिति किसी भी समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है

इस तरह के संशोधन जो वे उचित समझते हैं।

38. यह विनियमन संहिता की धारा 30 (4) को स्पष्ट करता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अंततः यह समिति का व्यावसायिक विवेक है।

लेनदारों का जो बहुमत द्वारा मानी गई चीज़ को अनुमोदित करने के लिए कार्य करता है ऐसे लेनदारों का सबसे अच्छा समाधान योजना होना, जिसे अंततः स्वीकार कर लिया जाता है

ऐसी समिति द्वारा संभावित समाधान आवेदकों के साथ अपनी शर्तों की बातचीत के बाद।

39. के. शशिधर (ऊपर) में, निगमित समाधान प्रक्रिया में लेनदारों की समिति की भूमिका इसके द्वारा निर्धारित की गई थी न्यायालय इस प्रकारः

" 20. सी. ओ. सी. का गठन आई एंड बी कोड की धारा 21 के अनुसार किया जाता है, जिसमें वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं। 'वित्तीय लेनदार' शब्द को सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 5 (7) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है –

जिस व्यक्ति पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है। यह ध्यान दिया जाए कि दिवाला समाधान की प्रक्रिया और निगमित देनदारियों से संबंधित परिसमापन को आंशिक रूप से संहिताबद्ध किया गया है

आई एंड बी कोड का ॥, जिसमें सात अध्याय शामिल हैं। अध्याय । भविष्यवाणी करता है कि भाग ॥ [2019] 16 एस. सी. आर. से संबंधित मामलों में लागू होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित देनदार की दिवालियापन और परिसमापन जहां न्यूनतम

प्रावधानों की योजना, यह स्पष्ट है कि संहिता के भाग ॥ में प्रावधान स्व–निहित कोड हैं, जो प्रदान करते हैं सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना पर विचार करने की प्रक्रिया।

21. संबंधित निगमित देनदारियों (के. एस. एंड पी. आई. पी. एल. और आई. आई. एल.) से संबंधित विवाद किस स्तर पर पहुंचा था

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) धारा 30 (4) के अंतर्गत आता है।

आई एंड बी कोड, जो अक्टूबर 2017 में प्रासंगिक समय पर पढ़ा गया था

इस प्रकारः

" 30 (4) – लेनदारों की समिति कम से कम पचहत्तर प्रतिशत मतदान के मत से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है।

वित्तीय लेनदारों का हिस्सा।

22. यदि सी. ओ. सी. ने मतदान हिस्सेदारी के अपेक्षित प्रतिशत से समाधान योजना को मंजूरी दी थी, तो सूचना एवं प्रसारण की धारा 30 (6) के अनुसार

एक प्रस्ताव के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को पूरा करता हैधारा 30 (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताएँ। न अधिक और न ही कम।

यह स्पष्ट रूप से सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 में लिखा गया है, जो इस प्रकार है (अक्टूबर 2017 के अनुसार):

प्राधिकरण संतुष्ट है कि द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाधारा 30 की उप–धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति की बैठक

धारा 30 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगा जो निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों पर बाध्यकारी होगी।

समाधान योजना में शामिल गारंटर और अन्य हितधारक।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि समाधान योजना उप में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है।

धारा (1), यह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

ए. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(3) उप–धारा (1) के तहत अनुमोदन के आदेश के बाद,

(क) न्यायनिर्णायक द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश

धारा 14 के तहत प्राधिकरण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

(ख) समाधान पेशेवर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया और समाधान योजना के संचालन से संबंधित सभी रिकॉर्ड बोर्ड को भेजेगा।

इसे अपने डेटाबेस में दर्ज किया जाना है।

लेकिन आई एंड बी कोड की धारा 33 (1) के तहत परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य है। विधायिका ने अनुदान नहीं दिया है सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक निर्णय का विश्लेषण या मूल्यांकन करने के लिए अधिकार क्षेत्र या प्राधिकरण के साथ निर्णय प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.)

असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति के औचित्य की जांच करना बहुत कम है। विधायी इतिहास और जिस पृष्ठभूमि में आई एंड बी संहिता लागू की गई है, उससे यह पता चलता है कि एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है

चूक करने वाली कंपनियों से देय ऋण की वसूली में तेजी लाने के लिए अपनाया गया है। नए दृष्टिकोण में, एक शांत अवधि है जिसके बाद एक त्वरित समाधान प्रक्रिया है

270 दिनों (बाहरी सीमा) के भीतर पूरा किया गया जिसमें विफल रहने पर, दीक्षापरिसमापन प्रक्रिया को अपरिहार्य और अनिवार्य बना दिया गया है। पहले की व्यवस्था में, निगमित देनदार अनिश्चित काल के लिए बीमार की धारा 22 के तहत दिए गए संरक्षण का आनंद लेना जारी रख सकता था।

औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 या ऐसे अन्य अधिनियमों के तहत जिन्हें अब छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, सी. ओ. सी. के व्यावसायिक ज्ञान को बिना किसी न्यायिक कार्य के सर्वोपरि दर्जा दिया गया है।

उल्लिखित प्रक्रियाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप

निगमित देनदार की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के बारे में प्रस्तावित समाधान योजना। वे पूरी तरह से के आधार पर कार्य करते हैं

प्रस्तावित समाधान योजना की जांच और उनके विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया मूल्यांकन। विषय वस्तु पर राय [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. ओ. सी. की बैठकों में उचित विचार–विमर्श के बाद उनके द्वारा मतदान के माध्यम से व्यक्त किया गया, मतदान शेयरों के अनुसार, एक सामूहिक व्यवसाय है।

प्राधिकरण। इसे गैर–न्यायोचित बना दिया गया है "।40. समिति के बहुमत निर्णय का महत्व

इसके बाद संहिता की धारा 31 (1) में लेनदारों के बारे में बताया गया है जो इस प्रकार हैः

" 31. समाधान योजना को मंजूरी

(4) धारा 30 उप में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है।धारा 30 की धारा (2) के अनुसार, यह आदेश द्वारा उस समाधान योजना को मंजूरी देगा जो निगमित देनदार और उसके लिए बाध्यकारी होगी।

समाधान योजना में शामिल कर्मचारी, सदस्य, ऋणदाता, गारंटर और अन्य हितधारक।

इस प्रकार, ऋणदाताओं की समिति के बहुमत निर्णय पर एक समाधान योजना की "व्यवहार्यता और व्यवहार्यता" छोड़ दी गई है, जो

लेनदार संभावित समाधान आवेदक को इस प्रभाव के लिए एक संशोधन का सुझाव देंगे कि इस तरह के बकाया का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट देनदार के लिए सबसे बुनियादी और आवश्यक तत्व के अभाव में व्यवसाय को जारी रखना असंभव न हो।इस तरह के व्यवसाय को चलाना, अर्थात् बिजली। यह, बदले में, समाधान आवेदक द्वारा धन के वितरण के रूप में परिणामी संशोधन के साथ स्वीकार किया जा सकता है, प्रस्तावित समाधान आवेदक द्वारा दिए गए अग्रिम भुगतान से एक निश्चित प्रकार के परिचालन लेनदार, अर्थात् बिजली वितरण कंपनी को भुगतान प्रदान किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय और परिचालन लेनदारों को देय राशि में कमी भी हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिकांश लेनदारों का व्यावसायिक विवेक है जो संभावित समाधान आवेदक के साथ बातचीत के माध्यम से यह निर्धारित करना है कि कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया कैसे और किस तरह से होनी है।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र और अपीलीय न्यायाधिकरण

41. जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है जो पहले किसी वित्तीय या प्रचालन संबंधी आवेदन को स्वीकार करता है।

लेनदार, या स्वयं निगमित देनदार द्वारा धारा 7,9 और 10 के तहत

कोड। एक बार ऐसा करने के बाद, संहिता द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर, और जैसा कि अभिनव उद्योगों में हमारे निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है लिमिटेड वी. आईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407 और मैक्वेरी बैंक लिमिटेड बनाम। शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2018) 2 एस. सी. सी. 674, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण तब एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति करता है जो निगम के दिन–प्रतिदिन के संचालन के बारे में प्रशासनिक निर्णय लेता है।

देनदार; दावों का मिलान और उनके प्रवेश; और ऊपर बताए गए तरीके से समाधान योजनाओं के लिए आह्वान। ऋणदाताओं की समिति के अपेक्षित बहुमत द्वारा एक समाधान योजना को अनुमोदित करने के बाद, उपरोक्त योजना को संहिता की धारा 31 (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से पारित होना चाहिए। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र संहिता की धारा 30 (2) द्वारा सीमित है। इस संदर्भ में, के. शशिधर (ऊपर) में इस अदालत का निर्णय बहुत प्रासंगिक है।

42. के. शशिधर (ऊपर) में इस न्यायालय को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था। यह

न्यायालय ने निर्धारित किए जाने वाले प्रश्नों को निम्नानुसार निर्धारित किया:

वित्तीय लेनदारों का हिस्सा; और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में कि सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का प्रतिशत अनिवार्य है। इसके अलावा, क्या यह निर्णय करने वाले प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के लिए किसी अन्य कारक (आई एंड बी संहिता की धारा 30 (2) या 61 (3) में निर्दिष्ट के अलावा, जैसा भी मामला हो) पर विचार करने के लिए खुला है, जो समाधान आवेदक और समाधान योजना का समर्थन करने वाले हितधारक, प्रासंगिक हो सकते हैं?

XXX XXX XXX

25. हालाँकि, न्यायालय को उस विशिष्ट मुद्दे से निपटने के लिए नहीं कहा गया था जिस पर वर्तमान मामलों में विचार किया जा रहा है, अर्थात् [2019] 16 एस. सी. आर. के संबंध में न्यायिक प्राधिकरण द्वारा न्यायिक समीक्षा का दायरा।

अनुमोदन के प्रस्ताव पर सी. ओ. सी. द्वारा व्यक्त राय के लिए

समाधान योजना "।

2016 के विनियमों को स्वीकार करने के बाद, न्यायालय ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण का कथन भी निर्धारित किया

नल इस प्रकार हैः

" 42. जबकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) का विवेक

धारा 31 द्वारा वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के अपेक्षित प्रतिशत द्वारा "अनुमोदित" समाधान योजना की जांच तक सीमित है। यहाँ तक कि उस जाँच में भी, जिन आधारों पर

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है जो धारा 30 (2) में निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में है, जब समाधान योजना उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

धारा 30 (2) पर लौटते हुए, की जाने वाली जांच इस संबंध में है कि क्या समाधान योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैंः ((i) भुगतानदिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत एक निर्दिष्ट तरीके से

समाधान योजना, (v) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, (vi) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। बोर्ड निर्दिष्ट सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 188 के तहत स्थापित किया गया है। बोर्ड की शक्तियों और कार्यों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है –

आई एंड बी संहिता की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना। मतदान के समय वित्तीय लेनदारों की व्यक्तिपरक संतुष्टि विभिन्न कारकों का एक मिश्रित बोझ होना तय है। स्पष्ट रूप से, प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और समाधान आवेदक की सामान्य क्षमता के बारे में उनकी धारणाओं को शामिल करते हुए अनुमानित योजना को वास्तविकता में बदलने के लिए। समाधान आवेदक ने मानक डेटा द्वारा समर्थित अनुमान दिए होंगे, लेकिन फिर भी असहमत वित्तीय लेनदारों की राय में, यह अटकलों से मुक्त नहीं होगा। येये पहलू पूरी तरह से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की वित्तीय सीमा के दायरे में आते हैं।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ऋणदाता जिन्हें समाधान योजना पर मतदान करने के लिए कहा जाता हैआई एंड बी संहिता की धारा 30 (4)।

43. इसी कारण से, एन. सी. एल. ए. टी. की कार्यवाही जारी रखने की अधिकारिता भी उस संबंध में और विशेष रूप से आई एंड बी संहिता की धारा 32 के कारण सीमित होगी, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश से कोई भी अपील आई एंड बी संहिता की धारा 61 (3) में निर्दिष्ट तरीके और आधारों पर होगी। सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (3) इस प्रकार हैः

(2) XXX XXX XXX (3) धारा 31 के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है, अर्थात्:

((i) अनुमोदित समाधान योजना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।

((ii) समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है।

निगमित दिवाला समाधान अवधि;

((iii) निगम के परिचालन ऋणदाताओं को देय ऋण।

समाधान योजना में देनदार के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से;

((iv) अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से पुनर्भुगतान के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का प्रावधान नहीं किया गया है; या

(v) समाधान योजना किसी अन्य योजना का पालन नहीं करती है।

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानदंड।

XXXXXX "। 44. आई एंड बी संहिता के प्रावधानों को नंगे पढ़ने पर, यह प्रतीत होता है कि धारा 61 (1) के तहत अपील का उपाय "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा पारित आदेश" के खिलाफ है–जो हम मान लेंगे कि इस तथ्य की रिकॉर्डिंग से भी संबंधित हो सकता है कि [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार कर दिया गया है या वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम के वोट द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। निर्विवाद रूप से, अपीलीय प्राधिकरण की अधिकारिता की चौड़ाई और अपील के आधारों सहित अपील का उपचार कानून का एक हिस्सा है। एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. में अधिकार क्षेत्र और अधिकार का निवेश करने वाले प्रावधानों, जैसा कि पहले देखा गया है, ने सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी नहीं देने या उसे अस्वीकार करने के व्यावसायिक निर्णय को न्यायसंगत नहीं बनाया है। इस स्थिति को स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट सीमित आधारों से प्रबलित किया जाता है

वह भी धारा 31 के तहत "समाधान योजना को मंजूरी देने" के आदेश के खिलाफ अपील करें। पहला, कि अनुमोदित समाधान योजना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। दूसरा, निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान "समाधान पेशेवर द्वारा" शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है। तीसरा, परिचालन लेनदारों को देय ऋणों का समाधान योजना में निर्धारित तरीके से प्रावधान नहीं किया गया है। चौथा, अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से पुनर्भुगतान के लिए दिवाला समाधान योजना लागत का प्रावधान

नहीं किया गया है। पाँचवाँ, समाधान योजना बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मानदंड का पालन नहीं करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मामले या आधार चाहे वे धारा 30 (2) के तहत हों या सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 61 (3) के तहत–"अनुमोदित" प्रस्ताव की वैधता का परीक्षण करने से संबंधित हैं। सी. ओ. सी. द्वारा योजना; और उस समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए नहीं जिसे सी. ओ. सी. द्वारा अपने व्यावसायिक निर्णय के प्रयोग में अस्वीकृत या अस्वीकार कर दिया गया है।

45. निसन्देह, ऐसी अपील में जांच इन तक सीमित होगी –

आई एंड बी संहिता की धारा 30 (2) के तहत समाधान पेशेवर द्वारा या आई एंड बी संहिता की धारा 31 (1) के साथ पठित धारा 31 (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति।

किसी अन्य जांच की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को दिया गया अधिकार क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से सीमित है। यह केवल इसके संबंध में चुनौती की जांच कर सकता है

सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (3) में निर्दिष्ट आधार, जो स्वायत्तता की जांच के अलावा अन्य मामलों तक सीमित है या असहमत वित्तीय लेनदारों का वाणिज्यिक ज्ञान। इस प्रकार, निर्धारित प्राधिकरणों (एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी.) को आई. एंड बी. संहिता में निर्दिष्ट सीमित अधिकार क्षेत्र दिया गया है और वे समानता के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं या पूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

ए. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

46. हमारे विचार में, न तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और न ही अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को असहमत वित्तीय लेनदारों के वाणिज्यिक ज्ञान को उलटने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है और वह भी इस आधार पर कि यह केवल अल्पसंख्यक वित्तीय लेनदारों की राय है। तथ्य यह है कि पर्याप्त या बहुमत प्रतिशत वित्तीय लेनदारों के पास है

समाधान योजना को मंजूरी देने का कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि मंजूरी वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 75 प्रतिशत (2018 डब्ल्यू. ई. एफ. के संशोधन के बाद, 66 प्रतिशत) के मत से न हो। इसे अलग तरीके से कहें तो सूचना और प्रसारण संहिता के अध्याय–II में प्रतिपादित परिसमापन प्रक्रिया की कार्रवाई से तभी बचा जा सकता है जब समाधान योजना को कम मतों से मंजूरी दी जाए।वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से अधिक (अक्टूबर, 2017 तक)। इसके विपरीत, विधायी इरादा अल्पसंख्यक असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों की राय या परिकल्पना को बनाए रखना है। यदि यह निर्दिष्ट प्रतिशत (अक्टूबर, 2017 में 25 प्रतिशत) से कम नहीं है, तो यह प्रबल होना चाहिए। और अब डब्ल्यू. ई. एफ. 06.06.2018 संशोधन के बाद, 44 प्रतिशत)। प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार करने के लिए वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम आवश्यक प्रतिशत द्वारा मतदान का अपरिहार्य परिणाम, न्यायिक रूप से, इसकी मानित अस्वीकृति में निहित है।

XXX XXX XXX 49. यह तर्क, हालांकि पहली बार में आकर्षक है, लेकिन अगर स्वीकार किया जाता है, तो हमें आई एंड बी कोड के प्रावधानों को फिर से लिखने की आवश्यकता होगी। इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक (असहमत) वित्तीय लेनदारों के वाणिज्यिक ज्ञान को चुनौती देने के लिए एक आधार के रूप में जानबूझकर यह निर्धारित नहीं करने के विधायी इरादे के साथ हिंसा भी होगी। मान लीजिए, उन निगमित ऋणदाताओं के संबंध में समाधान योजना की प्रक्रिया आवश्यक है जिनमें उनके वित्तीय ऋणदाताओं ने वसूली की उम्मीद खो दी है और जो गैर–निष्पादक या दीर्घकालिक चूककर्ता बन गए हैं। तथ्य यह है कि

संबंधित निगमित देनदार अभी भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम था, वित्तीय लेनदारों को देय ऋण की वसूली को स्थगित करने या अपने नुकसान को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं करता है। चाहे जो भी हो, जांच का दायरा और वे आधार जिनके आधार पर सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के "अनुमोदन" के निर्णय में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, धारा 30 (2) के साथ पठित धारा 31 (1) में और अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा आई. एंड बी. संहिता की धारा 61 (3) के साथ पठित धारा 32 के तहत निर्धारित किया गया है।

प्रस्तावित समाधान योजना का समर्थन नहीं करने के लिए असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के बिना सी. ओ. सी. के "वाणिज्यिक निर्णय" को उलटने के लिए समाधान पेशेवर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या उस मामले के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को सशक्त बनाने के लिए विधायिका द्वारा संबंधित प्रावधान की परिकल्पना की गई है। जबकि, विधायी इतिहास से इस बात के विपरीत संकेत मिलते हैं कि वित्तीय लेनदारों के वाणिज्यिक या व्यावसायिक निर्णय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी न्यायिक समीक्षा के लिए खुले नहीं हैं।

51. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि आई एंड बी कोड और अक्टूबर 2017 में लागू होने वाले उसके तहत बनाए गए नियमों में, असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को समाधान योजना को अस्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सूचना और प्रसारण संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार करने या उसकी न्यायिक समीक्षा में शामिल होने में असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के दृष्टिकोण की न्यायसंगतता की निगरानी करने का अधिकार देता है। सहमति से, प्रस्ताव द्वारा जांच

पेशेवर सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना पर विचार करने से पहले होता है। समाधान पेशेवर को वित्तीय क्षेत्र के भीतर के मामलों पर अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

आई एंड बी कोड की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना को मंजूरी या अस्वीकार करने के लिए लेनदार। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 (1) के साथ पठित धारा 30 (2) में निर्दिष्ट सीमित आधारों पर "अनुमोदित" समाधान योजना की जांच कर सकता है। यह कोई अन्य जांच नहीं कर सकता है और न ही अभ्यास के संबंध में कोई निर्देश जारी करने के लिए सक्षम है।

वित्तीय लेनदारों के व्यावसायिक ज्ञान का–चाहे वह अनुमोदन करने, अस्वीकार करने या अनुपस्थित रहने के लिए हो, जैसा भी मामला हो। यहां तक कि अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष जांच सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (3) के तहत आधारों तक सीमित है। यह मतदान के समय वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यक्त की गई राय की निष्पक्षता की जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र को अभिनिर्धारित नहीं करता है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने से अल्पसंख्यक असहमत वित्तीय लेनदारों को भी इसके तर्क या न्याय पर सवाल उठाने में मदद मिलेगी।

अधिकांश वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यक्त वाणिज्यिक राय, यद्यपि अनुमोदन के लिए मतदान हिस्सेदारी के आवश्यक प्रतिशत द्वारा

समाधान योजना; और इस प्रक्रिया में निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को स्वीकार करने पर अनुमोदित समाधान योजना को अस्वीकार करने के लिए अधिकृत करें।

ऐसी चुनौती।

यह एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स समिति में निहित अधिकार क्षेत्र का दायरा नहीं है। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आई एंड बी संहिता की धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरणसमाधान योजना के अनुमोदन से निपटना "।

जहाँ तक अपीलीय न्यायाधिकरण का संबंध है, संबंधित और संहिता की धारा 61 (3) के साथ पठित धारा 32 में ऐसी समीक्षा के मानदंड स्पष्ट रूप से के. शशिधर (उपर्युक्त) में निर्धारित किए गए हैं। 43. हालाँकि, श्री सिब्बल ने हमें यह मानने के लिए प्रोत्साहित किया कि के. शशिधर (ऊपर) संहिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान से चूक गए जो संहिता की धारा 60 (5) में निहित है। धारा 60 (5) इस प्रकार हैः

" 60. निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

XXX XXX XXX

(5) उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रीय कंपनी कानून

न्यायाधिकरण के पास निम्नलिखित पर विचार करने या उनका निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र होगा –

(क) निगम द्वारा या उसके विरुद्ध कोई आवेदन या कार्यवाही

ऋणी या निगमित व्यक्ति;

((ख) निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा, जिसमें इनमें से किसी के द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए दावे भी शामिल हैं।

भारत में स्थित इसकी सहायक कंपनियां; और

(ग) निगमित देनदार के दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कानून या तथ्यों का कोई प्रश्न या

इस संहिता के तहत निगमित व्यक्ति "।

यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 60 (5) का अबाधित खंड उस समय लागू किसी अन्य कानून की बात करता है, जो स्पष्ट रूप से लागू होता है।

संहिता के तहत दिवाला समाधान या परिसमापन के संबंध में। इस तरह की अवशिष्ट अधिकारिता किसी भी तरह से संहिता की धारा 30 (2) को प्रभावित नहीं करती है जो न्यायनिर्णायक की अधिकारिता को सीमित करती है। प्राधिकरण जब समाधान योजना की पुष्टि की बात आती है, जैसा कि संहिता की धारा 31 (1) द्वारा अनिवार्य किया गया है। एक सामंजस्यपूर्ण पठन, [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, संहिता की धारा 31 (1) और धारा 60 (5) के परिणामस्वरूप धारा के तहत एन. सी. एल. टी. की अवशिष्ट अधिकारिता होगी।

60 (5) (ग) संहिता की धारा 31 (1) को किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है।

संहिता की धारा 30 (2) के बाहर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में कुछ विवेकाधीन या इक्विटी क्षेत्राधिकार के निवेश द्वारा, जब यह एक समाधान योजना पर आता है जिस पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। इस तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए।

44. न्यूनतम मूल्य जो संचालन के लिए भुगतान किया जाना आवश्यक है

समाधान योजना के तहत लेनदारों को संहिता की धारा 30 (2) (बी) के तहत धारा 53 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि के रूप में निर्धारित किया गया है। 2018 में सरकार द्वारा गठित दिवाला समिति को संहिता के कामकाज में उत्पन्न होने वाले प्रमुख मुद्दों का अध्ययन करने और संहिता में किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों, यदि कोई हों, की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। दिवाला समिति की रिपोर्ट, 2018 (जिसे इसके बाद "समिति की रिपोर्ट, 2018" के रूप में संदर्भित किया गया है) में अन्य बातों के साथ-साथ आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया।

संहिता की धारा 30 (2) (बी) के अनुसार, क्योंकि इसमें परिचालन लेनदारों को "परिसमापन मूल्य" के न्यूनतम भुगतान का प्रावधान किया गया है और इससे अधिक कुछ नहीं, और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया हैः

" 18. परिचालन के लिए गारंटीकृत मूल्य

ऋणदाता एक समाधान योजना के तहत 18.1 संहिता की धारा 30 (2) (बी) में आर. पी. से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक समाधान योजना में कम से कम भुगतान का प्रावधान हो।

सभी परिचालन लेनदारों के लिए परिसमापन मूल्य। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 (1) (बी) में प्रावधान है कि परिसमापन मूल्य होना चाहिए

सभी वित्तीय लेनदारों को समय से पहले परिचालन लेनदारों को भुगतान किया गया

और एन. सी. एल. टी. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के तीस दिनों के भीतर। बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसमापन मूल्य की गारंटी परिचालन लेनदारों को प्रदान की गई है क्योंकि उन्हें सी. ओ. सी. का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं है जो कॉर्पोरेट देनदार के भाग्य को निर्धारित करता है। (बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, 2015)

18.2 हालांकि, द्वारा प्राप्त कुछ सार्वजनिक टिप्पणियां

समिति ने कहा कि व्यवहार में, परिसमापन मूल्य जिसकी परिचालन लेनदारों को गारंटी दी जाती है, वह नगण्य हो सकता है क्योंकि वे संहिता की धारा 53 के तहत लेनदारों की अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विशेष रूप से, असुरक्षित परिचालन लेनदारों के मामले में, यह तर्क दिया गया था कि उनके पास एएसएसएआर स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा के लिए कॉर्पोरेट देनदार को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति जारी रखने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह एक 'चालू चिंता' बनी हुई है क्योंकि उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है।

18.3 समिति ने संचालन की स्थिति पर विचार-विमर्श किया

लेनदार और सी. आई. आर. पी. में उनकी भूमिका। इसने परिचालन लेनदारों को दिए जाने वाले मूल्य को निर्धारित करने के लिए आधार के रूप में 'उचित मूल्य' का उपयोग करने की व्यवहार्यता पर विचार किया। उचित मूल्य को सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 2 (1) (एच. बी.) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का अनुमानित प्राप्य मूल्य, यदि वे थे

एक इच्छुक खरीदार और एक इच्छुक विक्रेता के बीच दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख को उचित विपणन के बाद और जहां पक्षों ने कार्रवाई की थी, एक हाथ की लंबाई के लेनदेन में आदान-प्रदान किया जाना है।

ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्ण ढंग से और बिना किसी मजबूरी के। हालांकि, यह महसूस किया गया कि उचित मूल्य का मूल्यांकन और अग्रिम भुगतान करना मुश्किल हो सकता है। समिति ने परिचालन लेनदारों को गारंटी देने के लिए आधार के रूप में 'समाधान मूल्य' या 'बोली मूल्य' का उपयोग करने की संभावना पर भी चर्चा की, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं था।

उपयुक्त माना जाता है।

18.4 समिति को यह बताया गया था कि परिसमापन मूल्य एक आधार के रूप में प्रदान किया गया है और व्यवहार में, कई परिचालन लेनदारों को इस मूल्य से अधिक भुगतान मिल सकता है। समिति ने परिचालन ऋणदाताओं और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता की सराहना की (" एमएसएमई ")। इस संबंध में समिति ने कहा कि

अधिकांश परिचालन ऋणदाता जो निगमित देनदार के व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें समाधान योजना के हिस्से के रूप में भुगतान किया जाता है क्योंकि उनके पास आपूर्ति में कटौती करके निगमित देनदार को दबाने की शक्ति होती है। सचित्र रूप से, के मामले मेंसिनर्जीज–डोरे ऑटोमेटिव लिमिटेड। (कंपनी अपील सं. 123/2017, एन. सी. एल. टी. हैदराबाद, निर्णय की तिथि–02 अगस्त, 2017), मूल समाधान योजना परिसमापन मूल्य से अधिक परिचालन लेनदारों को भुगतान के लिए प्रदान की गई थी, लेकिन विचार किया कि यह

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 38 के तहत प्रदान किए गए 30–दिवसीय अधिदेश के बोझ को कम करते हुए वित्तीय लेनदारों को भुगतान के बाद अलग–अलग तरीके से किया जाएगा। हालांकि, इसे एन. सी. एल. टी. द्वारा संशोधित किया गया था और परिचालन ऋणदाता थे

ऋण की मात्रा और लेनदारों की प्रकृति के कारण समय से पहले भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह, होटल गौडवन प्रा. लि. के मामले में समाधान योजना को मंजूरी दी गई। लिमिटेड (कंपनी अपील सं।

37/2017 , एन. सी. एल. टी. प्रधान पीठ, निर्णय की तिथि 13 [2019] 16 एस. सी. आर.

दिसंबर, 2017) के सभी मौजूदा बकाया के भुगतान के लिए प्रदान किया गया

परिचालन लेनदारों को बिना किसी बख्शीश के। समिति ने

उन्हें न्यूनतम किस चीज की गारंटी दी जानी चाहिए, उससे छेड़छाड़ करके नहीं। वैधानिक रूप से, लेकिन समग्र रूप से समाधान योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार करके।

यह नियामक निकायों के समर्पित प्रयासों से हासिल किया जा सकता है।जिसमें आई. बी. बी. आई. और भारतीय बैंक संघ शामिल हैं।

18.5 अंत में, समिति ने सहमति व्यक्त की कि वर्तमान में, अधिकांश

समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में हैं और कोई नहीं है

इस तर्क को आगे बढ़ाने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य कि

समाधान प्रक्रिया में लेनदारों को उचित हिस्सा नहीं मिलता है।संहिता की वर्तमान योजना के तहत। इसलिए समिति ने

बिना किए वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया संहिता में कोई भी संशोधन "।

(जोर दिया गया)

अंततः समिति ने किसी भी संशोधन के खिलाफ निर्णय लिया

संहिता की मौजूदा योजना के लिए बनाया गया, जिससे एक समाधान योजना के तहत परिचालन लेनदारों को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम मूल्य के बारे में प्रिस्क्रिप्शन को बनाए रखा गया।

45. हालाँकि, जैसा कि सही तर्क दिया गया है

परिचालन लेनदारों, संहिता की प्रस्तावना कॉर्पोरेट देनदारों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन की बात करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगमित देनदार दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान एक चालू संस्था के रूप में काम करता रहे और इसलिए विभिन्न कंपनियों को पिछले और वर्तमान भुगतान करना चाहिए।

सभी दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एक चालू चिंता के रूप में चल रहे कॉर्पोरेट देनदार की बात करते हैं। श्रमिकों को भुगतान करने की आवश्यकता है, बिजली बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता है, कच्चे माल की खरीद करने की आवश्यकता है, आदि। यह वास्तव में स्विस रिबन में इस अदालत के फैसले में परिलक्षित होता है। (ऊपर) इस प्रकार हैः

" 26. संहिता की प्रस्तावना में इस प्रकार कहा गया हैः" संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम

कॉरपोरेट व्यक्तियों का पुनर्गठन और दिवाला समाधान, एम. एम. आई. टी. ई. ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समयबद्ध तरीके से ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों का मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना ताकि उन्हें कुशलता से चलाया जा सके, संहिता का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह बदले में उद्यमिता को बढ़ावा देगा क्योंकि निगमित ऋणी के प्रबंधन में व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसलिए, जब एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाता है, तो यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम होता है, जो बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। इन सबसे ऊपर,अंततः, सभी हितधारकों के हितों की देखभाल की जाती है क्योंकि निगमित देनदार स्वयं समाधान योजना का लाभार्थी बन जाता है–श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, ऋणदाताओं को लंबे समय में पूरा भुगतान किया

जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा संकट में है, ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। अधिक से अधिक

निवेश उन निधियों से किया जा सकता है जो अर्थव्यवस्था में वापस आ गए हैं, व्यवसाय फिर आसान हो जाता है, जो कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की ओर ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका उपयोग केवल अंतिम रूप में किया जाता है। यदि या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं हैं तो उपाय करें। परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में बेच सकता है।

(आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड v. देखें। सतीश कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1] पैरा 83, एफ. एन. 3 पर।

(जोर दिया गया)

46. यही कारण है कि विनियमन 38 (1ए) एक समाधान योजना की बात करता है जिसमें एक बयान भी शामिल है कि इसने कॉर्पोरेट देनदार के परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों से कैसे निपटा है। विनियम 38 (1) में यह भी कहा गया है कि देय राशि

इस मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की न्यायिक समीक्षा कि ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना ने धारा 30 (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया है, में न्यायिक समीक्षा शामिल होगी जो धारा 30 (2) (ई) में उल्लिखित है।संहिता भी कुछ समय के लिए लागू कानून के प्रावधान हैं। इस प्रकार, जबकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण लेनदारों की समिति द्वारा लिए गए वाणिज्यिक निर्णय के गुण–दोष पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उपलब्ध सीमित न्यायिक समीक्षा यह देखने के लिए है कि लेनदारों की समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि कॉर्पोरेट देनदार को दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की आवश्यकता है; कि उसे अपनी संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की आवश्यकता है; और यह कि परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा गया है। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण तथ्यों के किसी दिए गए समूह पर पाता है कि उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो वह ऋणदाताओं की समिति को एक समाधान योजना वापस भेज सकता है ताकि इस तरह की योजना को संतुष्ट करने के बाद फिर से प्रस्तुत किया जा सके।

उपरोक्त मापदंड। इस प्रकार समाधान योजना को मंजूरी देते समय लेनदारों की समिति द्वारा दिए गए कारणों पर विचार किया जा सकता है – केवल इस दृष्टिकोण से प्राधिकरण का न्यायनिर्णयन करना, और एक बार यह ए. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस बात से संतुष्ट है कि लेनदारों की समिति ने इन प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दिया है, फिर उसे समाधान योजना को पारित करना चाहिए, अन्य चीजें समान हैं।

सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार; समानता सिद्धांत

47. विवादित एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले ने बोर्ड के नीचे एक समानता सिद्धांत लागू किया है जिसमें कहा गया है कि क्या लेनदार सुरक्षित हैं या असुरक्षित, वित्तीय या परिचालन, न्यायसंगत व्यवहार की मांग है कि उन सभी को लेनदारों के एक समूह के रूप में माना जाए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चुकाई जाने वाली ऋण राशि के संदर्भ में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है, इस आधार पर कि क्या वे सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं, और क्या वे वित्तीय या परिचालन लेनदार हैं। उपरोक्त निर्णय उपरोक्त निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिए स्विस रिबन (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के कुछ पैराग्राफ पर निर्भर करता है।

48. UNCITRAL लेजिस्लेटिव गाइड में कहा गया हैः

" प्रभावी योजना के प्रमुख उद्देश्यों और संरचना को तैयार करना।

और कुशल दिवाला कानून XXX XXX XXX

4. समान रूप से स्थित लेनदारों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना।

7. न्यायसंगत व्यवहार का उद्देश्य इस धारणा पर आधारित है कि, सामूहिक कार्यवाही में, समान कानूनी अधिकारों वाले लेनदारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके सापेक्ष श्रेणी और हितों के अनुसार उनके दावे पर वितरण प्राप्त किया जाना चाहिए। यह प्रमुख उद्देश्य यह मानता है कि सभी लेनदारों के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं हैसमान रूप से, लेकिन इस तरह से जो विभिन्न सौदेबाजी को दर्शाता है

उन्होंने कर्जदार पर हमला किया है। यह एक परिभाषित कारक के रूप में कम प्रासंगिक है जहां देनदार के साथ कोई विशिष्ट ऋण अनुबंध नहीं है, जैसे कि नुकसान के दावेदारों (जैसे पर्यावरणीय क्षति के लिए) और कर अधिकारियों के मामले में। भले ही न्यायसंगत व्यवहार के सिद्धांत को सामाजिक नीति द्वारा प्राथमिकताओं पर संशोधित किया जा सकता है और दावों के धारकों से संबंधित विशेषाधिकारों को रास्ता दिया जा सकता है।

या हित जो उत्पन्न होते हैं, उदाहरण के लिए, कानून के संचालन से, यह यह सुनिश्चित करके अपना महत्व बनाए रखता है कि दावों को प्राथमिकता दी गई है।

समान वर्ग वर्ग के सभी सदस्यों को समान रूप से प्रभावित करता है। न्यायसंगत व्यवहार की नीति कई लोगों में व्याप्त है

एक दिवाला कानून के पहलू, जिसमें रोक या निलंबन का आवेदन, अधिनियमों और लेनदेन को अलग करने के प्रावधान और [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिवाला संपदा के लिए मूल्य पुनः प्राप्त करना, दावों का वर्गीकरण, पुनर्गठन और वितरण तंत्र में मतदान प्रक्रियाएं।

एक दिवाला कानून को धोखाधड़ी और पक्षपात की समस्याओं का समाधान करना चाहिए जो वित्तीय संकट के मामलों में उत्पन्न हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, कि लेनदारों के साथ न्यायसंगत व्यवहार के लिए हानिकारक कार्यों और लेनदेन से बचा जा सकता है।

XXX XXX XXX

5. योजना को मंजूरी

(i) दावों का वर्गीकरण 27. दावों को वर्गीकृत करने का प्राथमिक उद्देश्य संतुष्ट करना है

लेनदारों को निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार प्रदान करने की आवश्यकताएँ, समान रूप से स्थित दावों को समान तरीके से व्यवहार करना और यह सुनिश्चित करना कि किसी विशेष वर्ग के सभी लेनदारों को पुनर्गठन योजना द्वारा शर्तों की एक ही सूची की पेशकश की जाए। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि प्राथमिकता वाले दावों को प्राथमिकता के अनुसार माना जाए दिवाला कानून के तहत स्थापित। इससे प्रमुख लेनदारों के दावों का इलाज करना भी आसान हो सकता है, जिन्हें असुरक्षित लेनदारों के सामान्य वर्ग से अलग व्यवहार प्राप्त करने के लिए राजी किया जा सकता है, जहां योजना को संभव बनाने के लिए उस उपचार की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, वर्गीकरण दिवालिया कार्यवाही की जटिलता और लागत को बढ़ा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने विभिन्न वर्गों की पहचान की गई है। एक विकल्प, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन लेनदारों को विशेष उपचार प्राप्त होना चाहिए, वे नहीं हैं

बहुमत द्वारा उत्पीड़ित, उन समूहों को अदालत में बहुमत के फैसले को चुनौती देने का अवसर देना हो सकता है यदि

उनके साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से व्यवहार नहीं किया गया है। यह तथ्य कि ऐसी सुविधा मौजूद है, हतोत्साहित करने के लिए काम कर सकती है

प्रस्ताव बनाने से बहुमत जो प्राथमिकता वाले लेनदारों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाएगा।

((ii) असहमत ऋणदाताओं के साथ व्यवहार

28. जहां तक असंतुष्ट लेनदारों के व्यवहार का सवाल है, पुनर्गठन की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए असंतुष्ट अल्पसंख्यकों पर एक वर्ग के बहुमत द्वारा सहमत योजना को लागू करने का एक तरीका प्रदान करना आवश्यक होगा। ए. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की एम. एम. आई. टी. ई. पर मतदान के लिए चुने गए तंत्र के आधार पर भी यह आवश्यक हो सकता है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

योजना और क्या लेनदार वर्गों में मतदान करते हैं, इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या योजना को लेनदारों और अन्य प्रभावित दलों के असहमत वर्गों पर बाध्यकारी बनाया जा सकता है।

29. इस हद तक कि एक योजना को अनुमोदित और लागू किया जा सकता है असहमति रखने वाले दलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि योजना की सामग्री असहमति रखने वालों के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करे

पक्षकार और, विशेष रूप से, कि उनके अधिकार अनुचित रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, कानून यह प्रावधान कर सकता है कि असहमत लेनदारों को तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि कुछ व्यवहार का आश्वासन नहीं दिया जाता है। एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, वह व्यवहार यह हो सकता है कि लेनदारों को प्राप्त होगा

कम से कम योजना के तहत जितना उन्हें परिसमापन कार्यवाही में प्राप्त हुआ होगा। यदि लेनदार सुरक्षित हैं, तो आवश्यक व्यवहार यह हो सकता है कि लेनदार को उसके प्रतिभूति ब्याज के मूल्य का भुगतान प्राप्त हो, जबकि असुरक्षित लेनदारों के मामले में यह हो सकता है कि इक्विटी धारकों सहित किसी भी कनिष्ठ हित को कुछ भी प्राप्त न हो। इस हद तक कि अनुमोदन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लेनदारों और अन्य लोगों के दावों में महत्वपूर्ण कमी आती है

प्रभावित पक्ष उनकी सहमति के बिना (विशेष रूप से सुरक्षित)

लेनदार), एक जोखिम है कि लेनदार भविष्य में ऋण प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होंगे। योजना के अनुमोदन के लिए तंत्र, और उचित सुरक्षा उपायों की उपलब्धता, इसलिए है

इन हितों की रक्षा के लिए काफी महत्व है।

XXX XXX XXX

(ग) सुरक्षित और प्राथमिकता वाले लेनदारों द्वारा अनुमोदन(i) मतदान करने के लिए सुरक्षित और प्राथमिकता वाले लेनदारों की आवश्यकता

एक सुरक्षित लेनदार किस हद तक मतदान करने का हकदार है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दिवाला व्यवस्था किस तरह से सुरक्षित लेनदारों के साथ व्यवहार करती है, एक पुनर्गठन योजना किस हद तक सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हित को प्रभावित कर सकती है और किस हद तक भारित परिसंपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार के दावे को पूरा करेगा। 35. एक दृष्टिकोण के तहत, जहां दिवालिया कानून सुरक्षित लेनदारों को प्रभावित नहीं करता है और विशेष रूप से, उन्हें [2019] 16 एस. सी. आर.

भारित परिसंपत्तियों के खिलाफ अपने अधिकारों को लागू करने से, इन लेनदारों को वोट देने का अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके सुरक्षा हित योजना से प्रभावित नहीं होंगे। प्राथमिकता

लेनदार इस दृष्टिकोण के तहत एक समान स्थिति में हैं, योजना उनके दावों के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है और वे बिना प्राथमिकता के भुगतान किए जाने से पहले लेनदारों को पूरा भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं। हालाँकि, इस दृष्टिकोण की सीमा यह है कि यह एक सफल पुनर्गठन की संभावनाओं को कम कर सकता है जहाँ

लागू करें। इसी तरह, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ एक सफल पुनर्गठन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्राथमिकता वाले लेनदारों को योजना की मंजूरी पर अपने दावों के पूर्ण मूल्य से कम प्राप्त हो।पुनर्गठन की संभावनाओं में सुधार हो सकता है यदि प्राथमिकता वाले लेनदार समय के साथ भुगतान स्वीकार करेंगे और यदि सुरक्षित लेनदार करेंगे

समय के साथ जब प्रतिभूति ऋण की शर्तों को संशोधित किया जाता है तो स्वीकार करें। यदि ये लेनदार योजना में शामिल नहीं हैं और अपने अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने के हकदार हैं, तो उन अधिकारों में संशोधन प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

((ii) सुरक्षित और प्राथमिकता वाले लेनदारों के वर्ग।

36. सुरक्षित और प्राथमिकता वाले लेनदारों के भाग लेने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, एक दूसरा दृष्टिकोण इन लेनदारों के लिए एक योजना पर असुरक्षित लेनदारों से अलग वर्गों के रूप में मतदान करने का प्रावधान करता है।

उनके दावों की शर्तों को संशोधित या प्रभावित करेगा, या अन्यथा योजना द्वारा बाध्य होने के लिए सहमति देगा। इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाना इन लेनदारों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए एक न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करता है और यह मानता है कि सुरक्षित और प्राथमिकता वाले लेनदारों के संबंधित अधिकार और हित असुरक्षित लेनदारों से अलग हैं। हालांकि, कई मामलों में, सुरक्षित और प्राथमिकता वाले लेनदारों के अधिकार एक–दूसरे से अलग होंगे और सभी सुरक्षित लेनदारों या सभी प्राथमिकता वाले लेनदारों को एक ही वर्ग में मतदान करने की आवश्यकता संभव नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में, कुछ कानूनों में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सुरक्षित लेनदार, जिसके पास भारित परिसंपत्तियों के लिए अलग–अलग अधिकार हैं, अपना एक वर्ग बनाता है। उन कानूनों में यह भी प्रावधान है कि, जहां सुरक्षित लेनदार एक वर्ग के रूप में मतदान करते हैं (उदाहरण के लिए जहां बॉन्ड के कई धारक हैं जो एम. एम. आई. टी. ई. ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा सुरक्षित हैं।

समान परिसंपत्तियाँ), सुरक्षित लेनदारों के एक वर्ग का अपेक्षित बहुमत आम तौर पर वही होगा जो असुरक्षित लेनदारों द्वारा अनुमोदन के लिए आवश्यक है, हालांकि ऐसे कानूनों के उदाहरण हैं जिनके लिए तरीके के आधार

पर अलग–अलग बहुमत की आवश्यकता होती है।जिसमें सुरक्षित लेनदार के अधिकार योजना से प्रभावित होते हैं (उदाहरण के लिए एक कानून में प्रावधान है कि जहां परिपक्वता की तारीख बढ़ाई जानी है, वहां तीन–चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है और जहां अधिकारों को अन्यथा बाधित किया जाना है, वहां चार–पांचवां बहुमत)। इसी तरह, प्राथमिकता वाले दावों की प्रत्येक श्रेणी उन कानूनों के तहत एक अलग वर्ग होगी।

XXX XXX XXX

((iii) जहां सुरक्षित लेनदार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं।

उनके दावे पर। 39. यह निर्धारित करने में कि इस मुद्दे पर कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षित वित्तपोषण की उपलब्धता और लागत पर वांछित दृष्टिकोण के प्रभाव का आकलन किया जाए और यथासंभव निश्चितता और पूर्वानुमेयता प्रदान की जाए, इसे दिवाला कानून के उद्देश्यों और सफल पुनर्गठन की अर्थव्यवस्था के लाभों के खिलाफ संतुलित किया जाए।

(जोर दिया गया)

बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, 2015 यह समझने में बहुत सहायक है कि सभी लेनदारों के अधिकारों का समान रूप से सम्मान करने का क्या अर्थ है। अनुच्छेद 3.4। 2 उक्त रिपोर्ट में कहा गया हैः

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"3.4. 2 डिजाइन को चलाने वाले सिद्धांत

समिति ने नए प्रारूप तैयार करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का चयन किया

दिवाला और दिवालियापन समाधान ढांचाः

9. कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रमुख हितधारक इसमें भाग लेंसामूहिक रूप से व्यवहार्यता का आकलन करना। कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी

लेनदार जिनके पास पुनर्गठन करने की क्षमता और इच्छा है

उनकी देनदारियाँ वार्ता प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए। द.उन सभी लेनदारों की देनदारियाँ जो बातचीत का हिस्सा नहीं हैं

प्रक्रिया को किसी भी बातचीत के समाधान में भी पूरा किया जाना चाहिए। 5. संहिता सभी लेनदारों के अधिकारों का समान रूप से सम्मान करेगी।

10. कानून को गिनती में लेनदार के प्रकार के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए।

समाधान में अंतिम समाधान पर वोट में उनका वजन दिवालियापन।

VI. संहिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वार्ता विफल हो

व्यवहार्यता स्थापित करें, दिवालियापन का परिणाम बाध्यकारी होना चाहिए।

11. कानून को किसी उद्यम के परिसमापन का आदेश देना चाहिए जो

अव्यवहार्य पाया गया है। बातचीत का यह परिणाम होना चाहिए

बहुत असाधारण के अलावा अन्य सभी अपीलों के खिलाफ संरक्षित किया जाए

VII. संहिता को प्राथमिकता की स्पष्टता सुनिश्चित करनी चाहिए, और यह कि अधिकारदिवालियापन के समाधान में सभी हितधारकों को बरकरार रखा जाता है।

12. कानून में वितरण की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए

चक्र में भाग लेने के लिए सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिएआत्मविश्वास के साथ उद्यमों का निर्माण करना।

13. जबकि कानून को समाधान करने में सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना चाहिए

दिवालियापन के दौरान समाधान और वसूली में कार्रवाई की तुलनादिवाला समाधान के चरण के साथ "।

(जोर दिया गया)

49. लेनदारों के साथ न्यायसंगत व्यवहार न्यायसंगत व्यवहार है।

उसी वर्ग के भीतर अमेरिकी न्यायशास्त्र, 2 डी, मी 9 (इसके बाद "अमेरिकी न्यायशास्त्र" के रूप में संदर्भित) में प्रतिध्वनित किया गया है।

वीएसः

ए. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" § 6. वितरणवितरण की समानता दिवालियापन अधिनियम का विषय है और

प्रमुख दिवालियापन नीति। दिवालियापन प्रणाली को डिज़ाइन किया गया है

समान रूप से स्थित एक संपत्ति को यथासंभव समान रूप से वितरित करें।

लेनदार। इस प्रकार, समान दर्जे के लेनदारों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

और समान रूप से।

देनदार के उपयोग पर रखी गई शर्तों में से एकएक नई शुरुआत प्राप्त करने के लिए दिवालियापन संहिता यह है कि देनदार व्यवहार करता है

दिवालियापन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके तहत दिवालियापन न्यायालय का रचनात्मक अधिकार है

अनुमति देने, अनुमति न देने, संगठित करने के उद्देश्य से प्रशासित,

और ऋणदाताओं के दावों को ऋण में, को और उस पर प्राथमिकता देना।

हालाँकि दिवालियापन संहिता की केंद्रीय नीति समानता हैसभी लेनदारों के बीच वितरण के अपवाद बनाए जाते हैं –

कुछ दावों को प्राथमिकता देना और दूसरों को अधीन करना। केंद्रीय नीति के अनुसार, समान प्राथमिकता वाले लेनदारों को

ऋणी की संपत्ति का आनुपातिक हिस्सा प्राप्त करें; इस प्रकार, जब

इधर–उधर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, दिवालियापन न्यायाधीश को चाहिए

ऋणदाताओं के बीच प्राथमिकताओं की स्थापना और परिसंपत्तियों का बंटवारासमान प्राथमिकता "।

(जोर दिया गया)

तथापि, श्री सिब्बल ने निम्नलिखित कथनों पर भरोसा किया:

रिकान ज्यूरिसप्रूडेंस, जो इस प्रकार है:

" अध्याय 11 पुनर्गठन, विशेष रूप से, एक कहा गया है

सामूहिक उपचार, जो सभी के लिए इष्टतम समाधान खोजने के लिए बनाया गया है

एक व्यवसाय से जुड़े पक्ष–न केवल व्यवसाय के लिए

स्वयं और न केवल अपने लेनदारों के लिए।

लेनदारों को एक–दूसरे से बचाना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी संहिता के तहत भी पुनर्गठन एक

संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से व्यवसाय के साथ किए गए सभी पक्षों के लिए एक इष्टतम समाधान खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया उपचार।इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य रूप से ऋणदाता एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है –

वचन कि लेनदारों को एक–दूसरे से बचाना भी महत्वपूर्ण है, [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसे अमेरिकी न्यायशास्त्र में फुटनोट 7 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो नीचे दिया गया हैः

" प्रथम केंद्रीय वित्तीय निगम। , 377 एफ. 3 डी 209 (2 डी सिर। 2004)

दिवालियापन संहिता आम तौर पर लेनदारों को प्रभावित नहीं करती है।दिवालियापन की कार्यवाही में अधिक अधिकार जो उन्हें अन्यथा लागू गैर–दिवालियापन कानून के तहत प्राप्त होंगे, जब तक कि यह किसी दिवालियापन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए न हो। वरमोंट एलेक में। पीढ़ी

& संचरण को–ऑप। , इंक., 240 बी. आर. 476 (बैंकर। डी. वी.

1999) "

इस फुटनोट को पढ़ने से पता चलेगा कि इसका क्या अर्थ है

लेनदारों को एक–दूसरे से बचाने का मतलब केवल यह है कि दिवालियापन संहिता को इस तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि दिवालियापन की कार्यवाही में लेनदारों को सामान्य कानून के तहत अधिक अधिकार दिए जाएं, जब तक कि यह किसी दिवालियापन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए न हो।

50. जिन लेनदारों के पास प्रतिभूति नहीं है, उनके हितों से अलग सुरक्षा हितों का मूल्यांकन करने का महत्व अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है पास्कल डी बोएक और थॉमस लारिया, काउंसल, आईएमएफ कानूनी विभाग द्वारा सुरक्षा हित के लिए मानकों के विकास पर आईएमएफ पेपर। विद्वान लेखकों का कहना हैः

हितों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा हित काम करते हैं स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य। प्रतिभूति ब्याज ऋण जोखिम को कम करते हैं।

पुनर्भुगतान की यह बढ़ी हुई संभावना व्यापक आर्थिक लाभ पैदा करती है। सबसे पहले, ऋण की उपलब्धता को बढ़ाया जाता है; उधारकर्ता उन मामलों में ऋण प्राप्त करते हैं जहां वे अन्यथा प्रतिभूति ब्याज के अभाव में विफल हो जाते। दूसरा, ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है।उदाहरण के लिए, कम ब्याज दरों और लंबी परिपक्वता वाली बेहतर शर्तों पर। असुरक्षित ऋण के तहत सुरक्षित ऋण की सापेक्ष लागत की वाणिज्यिक मान्यता को दर्शाती है

की वसूली के संबंध में सुरक्षित ऋण के लाभ

ऋण।

ए. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वित्तपोषण। दीर्घावधि में, सुरक्षा हितों के लिए एक प्रभावी ढांचा आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से, यह किफायती ऋण तक पहुंच का समर्थन करता है, जिससे माल के अधिग्रहण में सुविधा होती है। इसके अलावा, यह ऋण की आपूर्ति से वित्त विस्तार के लिए उद्यमों की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा, सुरक्षा हितों के लिए एक प्रभावी ढांचा विकास का समर्थन कर सकता है।

ऋण के कुशल आवंटन और ऋण दावों को साकार करने के लिए प्रभावी और पूर्वानुमेय तंत्र पर आधारित एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजारों को बढ़ावा देना।

XXX XXX XXX

III. सामान्य सिद्धांत

XXX XXX XXX

• स्पष्ट और पूर्वानुमेय प्राथमिकता नियम स्थापित करें

विभिन्न सुरक्षा हित उपकरणों और विभिन्न प्रकार के लेनदारों के बीच प्राथमिकताओं का मुद्दा बेहद जटिल है।

काफी हद तक संभावित प्रतिस्पर्धी हितों के असंख्य होने के कारण।

एक कानूनी ढांचा जो भी प्राथमिकता नियम स्थापित करता है, उन्हें स्पष्ट, पूर्वानुमेय और पारदर्शी होना चाहिए। उन्हें अनुमति देनी होगी। ऋणदाताओं को सुरक्षा हित बनाने से पहले अपनी स्थिति का आकलन करना और समय पर चूक के मामले में अपने अधिकारों को लागू करना,

अनुमानित और लागत प्रभावी तरीके से।

• लेनदार अधिकारों को लागू करने में सुविधा प्रदान करना।

कानून और कार्यप्रणाली में प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक है

सुरक्षित ऋण। एक प्रतिभूति ब्याज का लेनदार के लिए बहुत कम मूल्य होता है जब तक कि लेनदार इसे एक अनुमानित, कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम न हो।

और ऋणी और तीसरे पक्ष के साथ समय पर व्यवहार करना। एक प्रभावी ढांचे को त्वरित और पूर्वानुमेय बनाने की आवश्यकता है।दिवाला कार्यवाही के भीतर और बाहर दोनों को लागू करना। "[2019] 16 एस. सी. आर.

51. इसी तरह 2015 की विश्व बैंक की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक 'दिवालिया और ऋणदाता/ऋणदाता व्यवस्था के लिए सिद्धांत' है, में कहा गया हैः

" दावा और दावा समाधान प्रक्रियाएँ

हितधारक अधिकारों और प्राथमिकताओं का उपचार

C. 12.1 लेनदारों के अधिकार और दावों की प्राथमिकताएँवाणिज्यिक या के तहत दिवालिया कार्यवाही से पहले स्थापित

दिवालिया कार्यवाही में अन्य लागू कानूनों को बरकरार रखा जाना चाहिए।

लेनदारों की वैध अपेक्षाओं को बनाए रखना और

इस सामान्य नियम से विचलन केवल वहीं होना चाहिए जहांअन्य बाध्यकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक, जैसे कि

पुनर्गठन का समर्थन करने वाली नीति, या दिवालिया संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए। प्राथमिकता के नियमों को लेनदारों को प्रबंधन करने में सक्षम बनाना चाहिए

निम्नलिखित अतिरिक्त सिद्धांतों के अनुरूप कुशलता से ऋण देनाः

सी 12.2 सुरक्षित लेनदारों की प्राथमिकता उनके संपार्श्विक में होनी चाहिए।

सुरक्षित लेनदार की सहमति के बिना, संपार्श्विक में उसके हित को दिवालिया कार्यवाही के दौरान दी गई अन्य प्राथमिकताओं के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षित लेनदारों को वितरण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

C 12.3 सुरक्षित लेनदारों को उनके द्वारा दिए गए निम्नलिखित वितरण

संपार्श्विक और प्रशासन की लागतों और खर्चों से संबंधित दावों का भुगतान, वितरण के लिए उपलब्ध आय शेष सामान्य को परी पासु वितरित किया जाना चाहिए

आम तौर पर निजी अधिकारों पर हितों को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। प्राथमिकता वर्गों की संख्या को एक तक रखा जाना चाहिएन्यूनतम।

C. 12.4 श्रमिक उद्यम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और सावधानी बरतते हैं। कर्मचारियों के अधिकारों को संतुलित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

अन्य लेनदारों के साथ।

हालांकि, श्री सिब्बल ने कहा कि इस रिपोर्ट पर 2010 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के रूप में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, जिसका शीर्षक "ए ग्लोबल व्यू कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड" है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बिजनेस इन्सॉल्वेंसी सिस्टम (इसके बाद 2010 के रूप में संदर्भित)

वर्गीकरण और यह कि ऐसी प्रणाली का लाभ यह है कि यह किसी विशेष वर्ग में लेनदारों के बीच हितों के संभावित टकराव से बचाता है,रिपोर्ट में आगे कहा गया हैः

प्रमुख लेनदारों के लिए, जिन्हें असुरक्षित लेनदारों के सामान्य वर्ग से अलग व्यवहार प्राप्त करने का विकल्प चुनने के लिए राजी किया जा सकता है, जहां योजना को संभव बनाने के लिए ऐसा व्यवहार आवश्यक है। ऐसे मामलों में, इन प्रमुख लेनदारों के लिए व्यवहार आम तौर पर अन्य, समान रूप से स्थित लेनदारों की तुलना में कम अनुकूल शर्तों पर होता है। अंत में, वर्गीकरण लेनदारों के एक वर्ग के वोट को ओवरराइड करने का एक उपयोगी साधन हो सकता है जो उस योजना के खिलाफ मतदान करता है जहां वर्ग के साथ अन्यथा निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से व्यवहार किया जाता है। 4 "

यहां तक कि इस रिपोर्ट के अनुसार, असंतुष्ट लेनदारों पर एक "दबाव" एक दिवालिया कानून के तहत एकत्र होगा यदि ऐसे लेनदारों को एक समाधान योजना के तहत, कम से कम उतनी राशि प्राप्त होगी जो ऐसे लेनदारों को परिसमापन कार्यवाही में "परिसमापन मूल्य" के रूप में प्राप्त होगी।

53. इसके अलावा, फिलिप आर. वुड की पुस्तक "प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल इन्सॉल्वेंसी" में कहा गया हैः

" सुरक्षित लेनदार दिवालिया होने पर अति–प्राथमिकता वाले लेनदार होते हैं। प्रतिभूति को दिवालिया होने पर खड़ा होना चाहिए, जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। प्रतिभूति जो पक्षों के बीच मान्य है लेकिन के रूप में नहीं

ऋणी के लेनदारों के खिलाफ व्यर्थ है। दिवालियापन कानून जो दिवालियापन पर सुरक्षा को रोकता है या देरी करता है या कमजोर करता है या प्राथमिकता कम करता है

4 यह ओवरराइड, जिसे इसके प्रभाव के आधार पर "क्रैमडाउन" के रूप में जाना जाता है, अदालत को यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है कि एक अस्वीकार करने वाले वर्ग को उस योजना को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जहां वर्ग को लेनदार के दावों की सापेक्ष प्राथमिकता के अनुसार सख्ती से भुगतान किया जाता है और योजना के तहत ऐसे लेनदारों को परिसमापन कार्यवाही में प्राप्त होने वाली राशि के बराबर या उससे अधिक राशि का वितरण प्राप्त होगा। तर्क यह है कि ये लेनदार "फाउल" का दावा नहीं कर सकते हैं यदि उनकी वसूली कम से कम उतनी ही अच्छी है जितनी उन्हें प्राप्त होती अगर वे उद्यम को समाप्त करने में प्रबल होते।

कानून ने जो बनाया है उसे नष्ट करें। इसलिए अंत अधिक महत्वपूर्ण है।

शुरुआत से ज़्यादा।

सुरक्षा का तर्क–सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य और नीतियाँ सुरक्षा इस प्रकार हैः दिवालियापन पर लेनदारों का संरक्षण; कैस्केड या डोमिनोज़ दिवालियापन की सीमा; सुरक्षा पूंजी को प्रोत्साहित करती है,

उदा. उद्यम वित्त; प्रतिभूति ऋण की लागत को कम करती है, जैसे। बाजारों में मार्जिन संपार्श्विक; जो संपत्ति के लिए भुगतान करता है, उसे संपत्ति का अधिकार होना चाहिए; सुरक्षा निजी बचाव को प्रोत्साहित करती है क्योंकि बैंक सुरक्षित महसूस करता है; सुरक्षा रक्षात्मक नियंत्रण है, विशेष रूप से

परियोजना वित्त के मामले में; प्रतिभूति एक उचित आदान–प्रदान है

सुरक्षा पर मुख्य आपत्तियाँ सुरक्षा पर आपत्तियाँ मुख्य रूप से ऐतिहासिक हैं, लेकिन वे फिर से उठती हैं और जीवित रहती हैं। शत्रुता निम्न से उत्पन्न हो सकती हैः ऋणी–सूदखोरों और धन उधार देने वालों के प्रति प्राचीन शत्रुता से उत्तेजित संरक्षण और अब उपभोक्ता में व्यक्त किया जाता हैसंरक्षण कानून; झूठी संपत्ति की रोकथाम, अर्थात देनदार

कई संपत्तियाँ हैं लेकिन कुछ ही संपत्तियाँ हैं–यह आमतौर पर कब्जे की आवश्यकता (अक्षम क्योंकि सार्वजनिक नहीं) या सार्वजनिक पंजीकरण द्वारा पूरा किया जाता है; असुरक्षित लेनदारों को दिवालिया होने पर कम मिलता है और इसे दिवालियापन समानता के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, हालांकि अक्सर यह अवैतनिक कर्मचारियों की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित होता है और

छोटे लेनदार; प्रतिभूति प्राथमिकता जोखिमों के कारण वाणिज्यिक लेनदेन की सुरक्षा को बाधित करती है, उदाहरण के लिए माल का खरीदार;

सुरक्षित लेनदार आवश्यक वस्तु बेचकर बचाव कार्य को बाधित कर सकता है।

संपत्ति "। 54. वास्तव में, यदि अधिकारों को मान्यता देने वाला "सभी के लिए समानता" दृष्टिकोण

दिवाला समाधान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में लेनदारों के विभिन्न वर्गों को अपनाया जाता है, कई मामलों में, सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को समाधान के बजाय परिसमापन के लिए मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि उनके पास बेहतर अधिकार होंगे यदि कॉर्पोरेट देनदार को समाधान योजना को मंजूरी देने के बजाय समाप्त किया जाना था। यह संहिता के पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा जो पहले यह सुनिश्चित करना है कि संकटग्रस्त परिसंपत्तियाँ होती हैं और केवल तभी परिसमापन किया जाना चाहिए जब यह संभव न हो।

55. वित्तीय लेनदार धन उधार देने के व्यवसाय में हैं। द.

भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट, 2017–2018 दर्शाती है कि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की वित्तीय समिति के लिए भारतीय बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वर्ष 2017–2018 औसतन 2.5% है। इसी तरह, बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकों के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन का वैश्विक रुझान 3.3 प्रतिशत और ब्रिटेन में बैंकों के लिए 1.6 प्रतिशत था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वित्तीय लेनदार कम मार्जिन के साथ उधार दिए गए धन पर ब्याज अर्जित करके लाभ कमाते हैं, जो आम तौर पर 1 से 4 प्रतिशत के बीच होता है। इसके अलावा, वित्तीय लेनदार पूंजी प्रदाता हैं

कंपनियाँ, जो बदले में परिसंपत्तियाँ खरीदने और एक प्रदान करने में सक्षम हैं

ऐसी कंपनियों को अपने व्यावसायिक संचालन को चलाने में सक्षम बनाने के लिए कार्यशील पूंजी, जबकि परिचालन ऋणदाता द्वारा उधार दी गई राशि के लाभार्थी होते हैं।

वित्तीय लेनदार जिनका उपयोग तब कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाता है, और अक्सर

उनके द्वारा निगमित ऋणी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए ऐसी कार्यशील पूंजी से भुगतान प्राप्त करें। दूसरी ओर, तेल और गैस क्षेत्र के संबंध में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक न्यास, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा किए गए बाजार अनुसंधान में कहा गया है कि परिचालन ऋणदाताओं के लिए व्यावसायिक जोखिम जो अधिक लागत के साथ काम करते हैं।

उपभोग और लंबी प्रक्रिया जिसमें आमतौर पर मुकदमेबाजी शामिल होती है। वित्तीयलेनदार एक विनियमित बैंकिंग प्रणाली का भी हिस्सा हैं जिसमें न केवल चूककर्ताओं को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में घोषित करना शामिल है, बल्कि इसमें ऐसे ऋणों का पुनर्गठन भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर पूरी तरह या आंशिक रूप से ब्याज की पूर्व भुगतान की गई राशि को छोड़ दिया जाता है। वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच ये सभी अंतर स्विस रिबन (उपरोक्त) के निर्णय में अलग–अलग होते हुए भी परिलक्षित हुए हैं। इस प्रकार, इस न्यायालय ने कुछ मतभेदों पर विचार करते हुए कहा हैः

" 50. हमारे अनुसार, यह स्पष्ट है कि अधिकांश वित्तीय लेनदार, विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थान, सुरक्षित लेनदार हैं, जबकि अधिकांश परिचालन लेनदार असुरक्षित हैं, वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के साथ–साथ श्रमिकों को भुगतान जो बंधक दस्तावेजों द्वारा सुरक्षित नहीं हैं। यह अंतर सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के बीच एक अंतर है जो यूनाइटेड किंगडम और इस देश दोनों में कंपनी अधिनियमों के शुरुआती समय से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त के अलावा, वित्तीय लेनदारों के साथ ऋण समझौतों की प्रकृति अलग है [2019] 16 एस. सी. आर.

एक ऋण को समग्र रूप से याद रखें। परिचालन ऋणदाताओं के साथ अनुबंधों में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। साथ ही, जिस मंच पर विवाद का समाधान होता है, वह पूरी तरह से अलग है। परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंधों में मध्यस्थता खंड हो सकते हैं और हो सकते हैं जहां विवाद का समाधान निजी तौर पर किया जाता है। परिचालन ऋण भी प्रकृति में आवर्ती होते हैं और वास्तविक विवादों की संभावना होती है।

परिचालन ऋणों के मामले में वित्तीय ऋणों की तुलना में बहुत अधिक है। एक उदाहरण काफी होगा। आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएँ घटिया हो सकती हैं। जो सेवाएँ प्रदान की जाती हैं वे घटिया हो सकती हैं। हो सकता है कि वस्तुओं की आपूर्ति बिल्कुल नहीं की गई हो। ये सभी प्रचालन ऋण ऐसे मामले हैं जिन्हें मध्यस्थता में साबित किया जाना है या

व्यवसाय जब वित्तीय तनाव होता है, जो ऐसी चीजें हैं जो परिचालन लेनदार नहीं करते हैं और न ही कर सकते हैं। इस प्रकार, निगमित देनदार को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करते हुए, सभी लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना संहिता का उद्देश्य है। लेनदार परिचालन लेनदार से स्पष्ट रूप से अलग होते हैं और इसलिए, दोनों के बीच स्पष्ट रूप से एक समझ में आने वाला अंतर है जिसका उन वस्तुओं से सीधा संबंध है जिनकी मांग की गई है।

कोड द्वारा प्राप्त किया गया।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की XXX XXX XXX मिमीटी। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

75. चूँकि वित्तीय लेनदार व्यवसाय में हैं

साहूकार, बैंक और वित्तीय संस्थान निगम के व्यवसाय की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

ऋणी। ऋण देने के समय भी ये बैंक और वित्तीय संस्थान एक विस्तृत बाजार अध्ययन करते हैं जो

एक तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट, का मूल्यांकन शामिल है व्यवसाय, वित्तीय अनुमान, आदि। चूंकि यह विस्तृत अध्ययन ऋण स्वीकृत करने से पहले ही किया जा चुका है, और चूंकि वित्तीय लेनदारों ने कर्मचारियों को व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए प्रशिक्षित किया है, इसलिए वे ऋण की सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

एक समाधान योजना। दूसरी ओर, माल और सेवाएं प्रदान करने वाले परिचालन ऋणदाता केवल वसूली में शामिल होते हैंऐसी राशि जो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की जाती है, और आमतौर पर व्यवसाय की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने में असमर्थ होती है। द.

साफ है। XXX XXX XXX

76. इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, दिवाला कानून पर अपनी विधायी मार्गदर्शिका (UNCITRAL दिशानिर्देश) में इसके महत्व को पहचानता है

समान रूप से रखे गए लेनदारों और राज्यों के साथ निम्नानुसार न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करनाः

" समान रूप से स्थित लेनदारों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना।

7. न्यायसंगत व्यवहार का उद्देश्य इस धारणा पर आधारित है कि सामूहिक कार्यवाही में, समान कानूनी अधिकारों वाले लेनदारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसमें उनके दावे पर एक वितरण प्राप्त किया जाना चाहिए।

उनकी सापेक्ष श्रेणी और रुचियों के अनुसार। यह प्रमुख उद्देश्य यह मानता है कि सभी लेनदारों के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं हैसमान रूप से, लेकिन इस तरह से जो विभिन्न सौदेबाजी को दर्शाता है

उन्होंने कर्जदार पर हमला किया है। यह एक परिभाषित कारक के रूप में कम प्रासंगिक है जहां देनदार के साथ कोई विशिष्ट ऋण अनुबंध नहीं है, जैसे कि नुकसान के दावेदारों (जैसे पर्यावरणीय क्षति के लिए) और कर अधिकारियों के मामले में। भले ही सिद्धांत

न्यायसंगत व्यवहार को सामाजिक नीति द्वारा प्राथमिकताओं पर संशोधित किया जा सकता है और दावों के धारकों [2019] 16 एस. सी. आर. से संबंधित विशेषाधिकारों को रास्ता दिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31 जब तक कि परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान नहीं किया जाता है, जो परिसमापन मूल्य से कम नहीं है। इसके अलावा, 5–10–2018 पर, विनियमन 38 में संशोधन किया गया है। संशोधन से पहले, विनियम 38 इस प्रकार थाः " 38. समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री। — (1) एक समाधान योजना धन के विशिष्ट स्रोतों की पहचान करेगी जिनका उपयोग भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत और यह प्रावधान कि दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत, भुगतान न की गई सीमा तक,

किसी अन्य लेनदार को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा;

(ख) प्रचालन ऋणदाताओं को देय परिसमापन मूल्य और किसी भी वित्तीय ऋणदाता को प्राथमिकता में ऐसे भुगतान का प्रावधान जो किसी भी स्थिति में समाधान योजना के अनुमोदन के तीस दिनों की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी; और

(ग) असहमत वित्तीय लेनदारों के कारण परिसमापन मूल्य और

बशर्ते कि ऐसा भुगतान एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की किसी भी क्रेडिट समिति के समक्ष किया जाए। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उन वित्तीय लेनदारों द्वारा वसूली की जाती है जिन्होंने मतदान किया था।

समाधान योजना के पक्ष में "।

संशोधन के बाद, विनियमन 38 इस प्रकार हैः

" 38. समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री। — (1) द.

समाधान योजना के तहत परिचालन लेनदारों को देय राशि

भुगतान में वित्तीय लेनदारों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

(1 – ए) एक समाधान योजना में एक विवरण शामिल होगा कि यह कैसे होता है।

परिचालन ऋणदाताओं के अधिकारों का निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार, एक साथवित्तीय लेनदारों पर भुगतान में प्राथमिकता के साथ।

(जोर दिया गया)

56. पहले के पैराग्राफ को पैराग्राफ 77 डी हॉर्स पढ़कर,

अपीलीय न्यायाधिकरण गंभीर त्रुटि में पड़ गया है। पैराग्राफ 76 स्पष्ट रूप से UNCITRAL लेजिस्लेटिव गाइड को संदर्भित करता है जो इसे स्पष्ट करता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायसंगत व्यवहार केवल समान रूप से स्थित लेनदारों के लिए है। ऐसा होने के कारण, पैराग्राफ 77 में दिए गए अवलोकन का अर्थ यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि किसी भी समाधान योजना को पारित करने से पहले वित्तीय और परिचालन लेनदारों को समान राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। जिस पर

इसके विपरीत, अनुच्छेद 77 स्वयं यह स्पष्ट करता है कि इसमें अंतर है।

वित्तीय और परिचालन लेनदारों के ऋणों का भुगतान, परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान प्राप्त करना होता है, जो परिसमापन मूल्य से कम नहीं होता है, जो वित्तीय लेनदारों पर लागू नहीं होता है। द.पैराग्राफ 77 में संशोधित विनियमन 38 फिर से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि वित्तीय और परिचालन लेनदारों, या सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों को प्रतिशत के हिसाब से समान राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

समाधान योजना के तहत इससे पहले कि यह पारित हो सके। उक्त विनियमन के तहत परिचालन लेनदारों के अधिकारों के निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार में समाधान योजना शामिल है जिसमें कहा गया है कि इसने किस तरह के हितों से निपटा है

परिचालन लेनदार, जो यह कहने के समान नहीं है कि उन्हें अपने ऋण की समान राशि का आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह तथ्य कि परिचालन ऋणदाताओं को सभी वित्तीय ऋणदाताओं की तुलना में भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि इस तरह का भुगतान

आवश्यक रूप से वित्तीय लेनदारों के समान वसूली प्रतिशत होना चाहिए।

जब तक संहिता और विनियमों के प्रावधानों को पूरा किया गया है, यह लेनदारों की समिति के आवश्यक बहुमत का व्यावसायिक विवेक है जो एक प्रस्ताव पर बातचीत करना और उसे स्वीकार करना है।

योजना, जिसमें संभावित समाधान के साथ बातचीत करने के साथ–साथ विभिन्न वर्गों के लेनदारों को अंतर भुगतान शामिल हो सकता है

बेहतर या अलग–अलग शर्तों के लिए आवेदक जिसमें लेनदारों के विभिन्न वर्गों के बीच राशि के वितरण में अंतर भी शामिल हो सकता है।

57. वास्तव में, लेनदारों की समिति को सौंपकर

केवल वित्तीय लेनदारों के साथ समाधान योजनाओं को स्वीकार करने का विवेकाधिकार, परिचालन लेनदारों के पास कोई वोट नहीं है, संहिता स्वयं अलग करती है।

2016 के विनियमों में कहा गया है कि जब समाधान पेशेवर दावों का सत्यापन करता है, तो सुरक्षित लेनदारों के सुरक्षा हित को भी देखा जाता है और ध्यान रखा जाता है। इसी तरह, विनियमन 36 (2) (डी) जब लेनदारों की सूची और सूचना ज्ञापन में उनके द्वारा दावा की गई राशि (जो संभावित समाधान आवेदकों को प्रस्तुत की जानी है) का प्रावधान करता है, तो ऐसे दावों के संबंध में स्वीकार किए गए दावों की राशि और प्रतिभूति ब्याज का भी प्रावधान करता है। विनियमन 39 (4) के तहत, सी. आई. आर. पी. के बारे में समाधान पेशेवर का अनुपालन प्रमाण पत्रसफल होना नियमों के फॉर्म एच में निहित है। पैराग्राफ 6 और 7 में इस वैधानिक प्रपत्र में कहा गया हैः

" 6. समाधान योजना में सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 (1ए) के तहत एक बयान शामिल है कि इसने संहिता और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुपालन में सभी हितधारकों के हितों से कैसे निपटा है।

7. समाधान योजना के तहत हितधारकों के लिए प्रदान की गई राशि निम्नानुसार हैः

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(रुपये में राशि। लाख)

की श्रेणी

एस. आई.

राशि

राशि

राशि राशि

दावा किया गया स्वीकार

नहीं।

हितधारक

के तहत प्रदान किया गया

प्रदान किया गया

राशि

योजना

दावा किया गया (%)

असहमति सुरक्षित

1

वित्तीय लेनदारअन्य सुरक्षित वित्तीय

2

लेनदारअसहमति असुरक्षित

3

वित्तीय लेनदारअन्य असुरक्षित

4

वित्तीय लेनदार

परिचालन लेनदार

5

सरकारकामगार।

कर्मचारी

अन्य ऋण और देय राशि

4

कुल

काफी स्पष्ट रूप से, सुरक्षित और असुरक्षित वित्तीय लेनदार हैं

जब एक समाधान योजना के तहत भुगतान की जाने वाली राशि की बात आती है, तो क्या असहमति सुरक्षित या असुरक्षित वित्तीय राशि के साथ अंतर किया जाता है ऋणदाताओं को भुगतान किया जाना है। और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिचालन लेनदारों को इन सुरक्षित और असुरक्षित वित्तीय लेनदारों से अलग से वैधानिक फॉर्म एच के पैराग्राफ 7 के S.No.5 में देखा जाता है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि संहिता और विनियम, समग्र रूप से, विशेषज्ञ निकायों की टिप्पणियों और इस न्यायालय के फैसले के साथ, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समानता के सिद्धांत को असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह संहिता के उद्देश्य को नष्ट कर देगा–तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने के लिए। प्रत्येक लेनदार के साथ इस आधार पर समान व्यवहार किया जाना चाहिए कि वह किस वर्ग से संबंधित हैः सुरक्षित या असुरक्षित, वित्तीय या परिचालन।

58. हालाँकि, श्री सिब्बल ने इस फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया

न्यायालय मिहिर आर. मफतलाल बनाम। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1997) 1 एस. सी. सी. 579, और विशेष रूप से इसके पैराग्राफ 28 में, जिसमें निम्नानुसार कहा गया हैः

" 28. ..... धाराओं के प्रासंगिक प्रावधानों के संयुक्त पठन पर

391 और 393 यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी न्यायालय

जिसे ऐसी योजना को मंजूरी देने के लिए कहा जाता है, केवल

अधिकांश शेयरधारकों के अप्रत्यक्ष निर्णय के अनुसार जाना या

लेनदार या उनके संबंधित वर्ग जिन्होंने मतदान किया होगाअपेक्षित बहुमत से योजना का पक्ष लिया लेकिन न्यायालय को करना होगा

पता लगाने की दृष्टि से योजना के फायदे और नुकसान पर विचार करें। यह पता लगाना कि क्या योजना उचित, न्यायसंगत और उचित है और [2019] 16 एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून के किसी भी प्रावधान के विपरीत और यह किसी भी सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता है। यह समझौते की अवधारणा में निहित है या

व्यवस्था जो एक की अभेद्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है

कानून की अदालत। कोई भी न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौता या व्यवस्था की किसी भी योजना को कभी स्वीकार नहीं करेगा और जिसे आवश्यक बहुमत द्वारा समर्थित किया जा सकता है यदि न्यायालय यह पाता है कि यह एक अनुचित या अवैध योजना है या अन्यथा शेयरधारकों या लेनदारों के वर्ग के लिए अनुचित या अन्यायपूर्ण है जिनके लिए यह अभिप्रेत है। नतीजतन यह नहीं कहा जा सकता है कि एक कंपनी न्यायालय जिसके समक्ष ऐसी योजना को मंजूरी देने के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है, जिसे लेनदारों या सदस्यों या उनमें से किसी भी वर्ग का आवश्यक बहुमत समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए संबंधित कंपनी द्वारा योजना तैयार की गई है, उसे केवल एक रबर स्टाम्प के रूप में कार्य करना होगा और ऐसी योजना पर लगभग स्वचालित रूप से अपनी अनुमोदन की मुहर लगानी होगी। यह कहना ठीक नहीं है कि एक बार अदालत द्वारा योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद यह असहमत अल्पसंख्यक शेयरधारकों या लेनदारों को भी बाध्य कर देगा। इसलिए, कंपनी न्यायालय द्वारा इसकी मंजूरी के लिए रखी गई संबंधित योजना पर अपनी मंजूरी की मुहर लगाते समय योजना की निष्पक्षता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से सच है कि जहां तक कंपनी न्यायालय का संबंध है,

योजना की निरर्थकता के प्रश्न का निर्णय इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि बहुमत द्वारा स्वीकृत योजना असंतुष्ट अल्पमत के लेनदारों या सदस्यों के लिए बाध्यकारी रहेगी, भले ही उन्होंने इस तरह की सहमति नहीं दी हो।एक योजना और उस हद तक उनकी सहमति के अभाव का योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह माना जा सकता है कि समझौते और व्यवस्था की ऐसी योजना के मामले में भी

कंपनी न्यायालय की मंजूरी यह देखना होगा कि क्या प्रस्तावित योजना ऋणदाताओं या सदस्यों के पूरे वर्ग के लिए वैध और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें असंतुष्ट अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, जिन्हें इसे अनुमोदन के लिए पेश किया गया है और जिसे ऐसे वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किया गया है जिनके पास आवश्यक बहुमत है। ”

हालांकि, अगले पैराग्राफ में कहा गया हैः

" 29. हालांकि आगे सवाल बना हुआ है कि क्या अदालत के पास योजना की बारीकी से जांच करने और एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण की तरह अधिकार क्षेत्र है कि क्या योजना को एएसएसएआर स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति द्वारा पारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिकांश लेनदारों या सदस्यों या उनके संबंधित वर्गों ने धारा 391 की उप–धारा (2) के अनुसार योजना को मंजूरी दे दी है। इस पहलू पर कंपनी और लेनदारों के बीच समझौते या व्यवस्था की प्रकृति और

सदस्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह योजना के पक्षकारों का व्यावसायिक विवेक है जिन्होंने अदालत द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले आवश्यक बहुमत से इसका समर्थन करके योजना की उपयोगिता और औचित्य के बारे में एक सूचित निर्णय लिया है। न्यायालय निश्चित रूप से अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करेगा।

और समझौते के लिए संबंधित पक्षों के सूचित दृष्टिकोण पर निर्णय में बैठें क्योंकि यह संबंधित पक्षों के कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक ज्ञान के क्षेत्र में होगा। अदालत के पास न तो विशेषज्ञता है और न ही कंपनी के उन लेनदारों और सदस्यों द्वारा प्रयोग किए गए वाणिज्यिक ज्ञान में गहराई से उतरने का अधिकार क्षेत्र है जिन्होंने आवश्यक बहुमत से योजना की पुष्टि की है। नतीजतन, उस सीमा तक कंपनी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र परिधीय और पर्यवेक्षी है और अपीलीय नहीं है। क्रिकेट के खेल में कोर्ट एक अंपायर की तरह काम करता है जिसे यह देखना होता है कि दोनों टीमें नियमों के अनुसार अपना खेल खेलती हैं और सीमाओं को पार नहीं करती हैं। लेकिन इस बात पर निर्भर करते हुए कि खेल को कितना सर्वश्रेष्ठ खेला जाना है, यह खिलाड़ियों पर छोड़ दिया जाता है न कि अंपायर पर।

मिहिर मफतलाल (उपरोक्त) मामले में न्यायालय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के तहत समामेलन की योजनाओं पर विचार कर रहा था। उक्त अधिनियम की धारा 392 के तहत, उच्च न्यायालय एक पर्यवेक्षी के साथ निहित है

अधिकारिता, जिसमें उक्त योजनाओं के उचित संचालन के लिए निर्देश देने और ऐसी योजनाओं में संशोधन करने की शक्ति शामिल है, जो वह आवश्यक समझे। धारा 392 में यह शक्ति है –

जब संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की बात आती है तो इसकी अनुपस्थिति स्पष्ट है, जिसका अधिकार क्षेत्र धारा 30 (2) द्वारा सीमित है। यह धारा 30 (4) के तहत लेनदारों की समिति है।

विनियम 39 (3), जिसमें समाधान योजनाओं को अनुमोदित करने और उसमें संशोधन करने की शक्ति निहित है जैसा कि समिति उचित समझती है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 392 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के बीच यह महत्वपूर्ण अंतर है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह तय करना है कि कोई समाधान योजना है या नहीं।

कोड के तहत पास करता है। जब इस भेद को ध्यान में रखा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि इस आधार पर समाधान योजना को मंजूरी नहीं देने का कोई अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र नहीं है कि यह लेनदारों के एक वर्ग के लिए अनुचित या अन्यायपूर्ण है, इसलिए [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब तक कि प्रत्येक वर्ग के हित पर ध्यान दिया गया है और ध्यान दिया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 392 के तहत भी अंततः यह कंपनी का व्यावसायिक विवेक है।

योजना के पक्ष, 75 प्रतिशत बहुमत वोट में परिलक्षित होते हैं, जो तब सभी शेयरधारकों और लेनदारों को बांधता है। यहां तक कि धारा 391 और 392 के तहत, उच्च न्यायालय अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और इस तरह के व्यावसायिक विवेक पर निर्णय नहीं दे सकता है।

समिति द्वारा एक उप–समिति का गठन

लेनदार

59. श्री सिब्बल के प्रस्तुतिकरण का एक बड़ा हिस्सा आसपास केंद्रित था।

तथ्य यह है कि लेनदारों की समिति ने अपने कार्यों को एक उप–समिति को सौंप दिया, जो प्रत्यायोजन अस्वीकार्य है। इस प्रतिनिधि मंडल के परिणामस्वरूप, उप–समिति ने गुप्त रूप से उनके साथ बातचीत की आर्सेलर मित्तल, जिसने गुप्त वार्ता के बाद पूरी तरह से

उस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में असमान परिणाम, हालांकि एक वित्तीय लेनदार था, केवल 3487 करोड़ रुपये के अपने स्वीकृत दावे का भुगतान किया गया था, जबकि अन्य वित्तीय लेनदारों को उनके द्वारा किए गए दावे का भुगतान किया गया था।

60. संहिता की धारा 21 (8) के तहत, लेनदारों की समिति द्वारा सभी निर्णय 51 प्रतिशत बहुमत से लिए जा सकते हैं, जब तक कि संहिता के अन्य विशिष्ट प्रावधानों के तहत अधिक प्रतिशत की आवश्यकता न हो।

61. प्रद्यत कुमार भोस बनाम। माननीय प्रमुख

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (1955) 2 एस. सी. आर. 1331 पृष्ठ 1345 1346 पर, इस न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ व्यवहार करते समय कहाः

" आगे जो अधीनस्थ आपत्तियाँ उठाई गई हैं, उन पर विचार किया जाना बाकी है। पहली आपत्ति जिसका आग्रह किया गया है वह यह है कि भले ही मुख्य न्यायाधीश के पास खारिज करने की शक्ति थी, वह नहीं था,

उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो किसी अन्य न्यायाधीश को आरोपों की जांच सौंपने के लिए सक्षम है, लेकिन उसे स्वयं जांच करनी चाहिए थी। यह विवाद सत्ता की प्रकृति की गलत समझ पर आगे बढ़ता है। जैसा कि बर्नार्ड वी. में बताया गया है। राष्ट्रीय डॉक

श्रम बोर्ड [(1953) 2 क्यू. बी. 18,40] पी. 40 , यह सच है कि "कोई भी न्यायिक न्यायाधिकरण अपने कार्यों को तब तक नहीं सौंप सकता जब तक कि वह सक्षम न हो।

ऐसा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से करें। लेकिन एक अधिकारी को नियुक्त करने या बर्खास्त करने की शक्ति का प्रयोग एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा नहीं है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायिक शक्ति की लेकिन प्रशासनिक शक्ति की। यह है।

फिर भी, इस तथ्य के कारण कि कारण दिखाने का अवसर और न्यायिक मानकों का अनुकरण करने वाली जांच होनी चाहिए

उसके अभ्यास से पहले। यह सर्वविदित है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने वाले सांविधिक पदाधिकारी को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि

केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति करके अपने कार्यों को सौंपा औरपूछताछ करने और रिपोर्ट करने के लिए सक्षम अधिकारी। यह किसी भी प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग का सामान्य तरीका है। क्या नहीं हो सकता।

प्रत्यायोजित, सिवाय इसके कि जहां कानून विशेष रूप से इस प्रकार प्रदान करता है, ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए अंतिम जिम्मेदारी है। जैसा कि शिक्षा बोर्ड v में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इंगित किया गया है। राइस [(1911) एसी179,182], एक पदाधिकारी जिसे इस मामले में शामिल प्रकृति के प्रशासनिक मामले का फैसला करना है, कर सकता है

वह सामग्री प्राप्त करें जिस पर उसे इस तरह से कार्य करना है जो हो सके

संभव और सुविधाजनक हो, बशर्ते कि केवल प्रभावित पक्ष के पास किसी भी प्रासंगिक और विरोधाभासी को सही या विरोधाभासी करने का उचित अवसर हो।

प्रतिकूल सामग्री "। स्थानीय सरकार बोर्ड में लॉर्ड चांसलर के भाषण का निम्नलिखित अंश v. आर्लिज [(1915) एसी 120,133] उपयुक्त और शिक्षाप्रद हैः

" मेरे स्वामी, मैं एक प्रशासनिक निकाय की स्थिति के इस दृष्टिकोण से सहमत हूं जिसमें एक प्रश्न का निर्णय

पक्षों के बीच विवाद को सौंपा गया है। इसकी जांच का परिणाम, जैसा कि मैंने कहा है, इसके अभाव में लिया जाना चाहिए

इसके विपरीत कानून में दिए गए निर्देश, जो अपनी सामान्य प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए अभिप्रेत हों। स्थानीय सरकार बोर्ड के मामले में यह संदेह नहीं है कि यह प्रक्रिया क्या है। बोर्ड के प्रमुख मंत्री अन्य मंत्रियों की तरह सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वह न केवल जिम्मेदार है

उसके लिए जो वह खुद करता है लेकिन उस सब के लिए जो उसके विभाग में किया जाता है। उन्हें जो काम सौंपा गया है वह बहुत बड़ा है और वह इसका बड़ा हिस्सा खुद नहीं कर सकते। वह है।उम्मीद की जाती है कि वह अपनी सामग्री अपने माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करेगा

अधिकारी, और उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है यदि वह देखता है कि वे उसके लिए इन सामग्रियों को ठीक से प्राप्त करते हैं। अपने कर्तव्य को इससे आगे बढ़ाने का प्रयास करना और इस बात पर जोर देना कि वह और अन्य सदस्य

बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से उनकी दक्षता को कम करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। न्यायालय में एक न्यायाधीश के विपरीत वह केवल नहीं है

स्वतंत्रता है लेकिन अपने कर्मचारियों की सहायता पर भरोसा करने के लिए मजबूर है। "[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून के उपरोक्त स्पष्ट कथन को ध्यान में रखते हुए बर्खास्तगी की वैधता पर आपत्ति इस आधार पर है कि जांच का प्रत्यायोजन स्वयं शक्ति के प्रत्यायोजन के बराबर है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

इसी तरह, बॉम्बे में उच्च न्यायालय के माध्यम से

न्यायपाल वी। शिरीषकुमार रंगराव पाटिल और अन्र। (1997) 6 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के प्रशासन के लिए विभिन्न समितियों के गठन पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित कियाः

" 10. इस प्रकार यह तय कानून होगा कि अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। राज्यपाल द्वारा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के बाद, स्थानांतरण, अनुशासन बनाए रखने और उन पर नियंत्रण रखने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में सबसे पहले होते हैं। की गई कार्रवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, न कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा, न ही न्यायाधीशों की समिति द्वारा। न्यायालय में प्रशासनिक कार्य के सुविधाजनक लेन–देन के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पूर्ण न्यायालय आम तौर पर पारित हो जाता है।

अधीनस्थ न्यायपालिका या मंत्रिस्तरीय से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों से निपटने के लिए समिति सहित विभिन्न समितियों का गठन करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को अधिकृत करने वाला एक प्रस्ताव

वहाँ काम करने वाले कर्मचारी। इसलिए अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायपालिका के किसी सदस्य के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित है। न्यायिक अधिकारी, अधीनस्थ या उच्चतर न्यायपालिका के आचरण की जांच करने या जिला या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आदि के माध्यम से जांच कराने और आगे की कार्रवाई करने के लिए जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने का ऐसा निर्णय उच्च न्यायालय का है।

समान रूप से, जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने का निर्णय

और अनुवर्ती कार्रवाई करना और उचित कार्रवाई करना।अनुशासनात्मक समिति या अनुशासनात्मक समिति को सिफारिश

राज्यपाल, पूरी तरह से उच्च न्यायालय का होता है जो पूर्ण न्यायालय द्वारा अधिकृत न्यायाधीशों की समिति के माध्यम से कार्य करता है। एक बार उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा एक प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद, अधीनस्थ न्यायपालिका के नियंत्रण से संबंधित इस तरह के प्रक्रियात्मक कदम उठाते समय मामले को फिर से पूर्ण न्यायालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

62. हम पाते हैं कि जब उन प्रश्नों पर लेनदारों की समिति की शक्तियों के प्रयोग की बात आती है जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है

निगमित देनदार के व्यवसाय का संचालन, धारा 28 (1) (एच) में प्रावधान है कि हालांकि ये शक्तियां प्रशासनिक प्रकृति की हैं, लेकिन उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि

धारा 28 में उल्लिखित निर्णय केवल लेनदारों को ही लेना चाहिए और ऐसी समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। जब धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने की बात आती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शक्ति किसी अन्य निकाय को भी नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह

केवल लेनदारों की समिति जिसे यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है

व्यावसायिक निर्णय जो उसे स्वयं लेना चाहिए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उप-समितियों को समाधान आवेदकों के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से या अन्य मंत्रिस्तरीय या प्रशासनिक कार्यों को करने के उद्देश्य से नियुक्त नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे कार्य

ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित और अनुमोदित अंतिम विश्लेषण। हम पाते हैं कि सभी महत्वपूर्ण लेनदारों की बैठकों के कार्यवृत्त को देखने के बाद, प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी और प्रशासित करना आवश्यक है।

आर्सेलर मित्तल वास्तव में लेनदारों की समिति के आवश्यक बहुमत द्वारा किया गया था, उप-समिति का उपयोग केवल कार्यवाही शुरू करने और आर्सेलर मित्तल के साथ बातचीत करने के उद्देश्यों के लिए किया गया था।जो अंततः समाधान योजना में समाप्त हुआ जैसा कि अंत में बातचीत की गई, जिसे 23.10.2018 पर ऋणदाताओं के आवश्यक बहुमत द्वारा पारित किया गया। में।

वास्तव में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने ऋणदाताओं की 12 वीं समिति की बैठक में एक उप-समिति के गठन के पक्ष में मतदान किया।

उप-समिति के सदस्य, जिसका अनुरोध बाद में वापस ले लिया गया था। हम यह भी पाते हैं कि आर्सेलर मित्तल के साथ बातचीत करने के लिए उप-समिति को प्राधिकरण में, जिसे 19.10.2018 पर लेनदारों की 20 वीं समिति की बैठक में रखा गया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा एक अनुरोध किया गया थाउक्त उप-समिति में समावेशन। हालांकि, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक उप-समिति के पुनर्गठन को लेनदारों की समिति द्वारा मतदान के लिए रखने के लिए सहमत नहीं था। इन तथ्यों को देखते हुए, हम पाते हैं कि जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने पाया कि चीजें

उसके खिलाफ जा रही थीं, तो उसने उप [2019] 16 एस. सी. आर. की तकनीकी याचिका पर आपत्तियां उठाना शुरू कर दिया।

संहिता के तहत समितियों का गठन नहीं किया जा सकता है। यह सही दलील नहीं है। इन सभी कारणों से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया जाता है।

व्यक्तिगत गारंटी और अनिर्णित का उन्मूलन

दावे

63. श्री गोपाल सुब्रमण्यम और श्री राकेश द्विवेदी ने भी ऋणदाताओं के अधिकारों को समाप्त करने के खिलाफ अपील की है। गारंटी जो निगमित देनदार के प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह द्वारा दी गई थी। उनके अनुसार, यह बिना किसी कारण के अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एक साइड विंड द्वारा किया गया था।

64. श्री प्रशांत रुइया, निगम के प्रवर्तक/निदेशक

देनदार ने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दिनांक 28.09.2013 में विशेष रूप से निम्नानुसार कहा हैः

किसी भी कार्य, चूक, मामले या चीज़ से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इस गारंटी के लिए, इस गारंटी के तहत अपने किसी भी दायित्व को कम करेगा, जारी करेगा या पूर्वाग्रह करेगा (बिना किसी सीमा के और क्या उसे या किसी सुरक्षित पक्ष को पता है या नहीं) जिसमें शामिल हैंः XXX XXX XXX

(छ) कोई दिवालियापन या इसी तरह की कार्यवाही।

इसके अलावा, "समझौते की शर्तें" शीर्षक के तहत, अंतिम समाधान योजना दिनांक 02.04.2018, जैसा कि 23.10.2018 पर अनुमोदित है, विशेष रूप से प्रदान की गई हैः

द्वारा इस समाधान योजना के अनुमोदन के अनुसारन्यायनिर्णायक प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय लेनदार होगा

प्रत्येक वित्तीय निकाय द्वारा या उसके पक्ष में की गई व्यवस्थाएँ ऋणदाता, जिनमें ऋण समझौते और प्रतिभूति शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं

समझौतों (मौजूदा प्रवर्तक समूह या उनके संबंधित सहयोगियों द्वारा निगमित ऋणदाता के संबंध में प्रदान की गई निगमित या व्यक्तिगत गारंटी के अलावा) को ए. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं का ऋणदाता माना जाएगा।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(i) समाधान आवेदक, या समाधान आवेदक द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को, प्रभावी तिथि से, इस तरह के असाइनमेंट से पहले की अवधि के लिए वित्तीय लेनदारों को कोई अधिकार मौजूद या उपार्जित नहीं होने के साथ, सौंपा गया/नियुक्त किया गया है।

या नवीनता; और (ii) उस सीमा तक जो कानूनी रूप से निर्धारित या नवीन करने में सक्षम नहीं है–प्रभावी तिथि से प्रभाव से समाप्त हो जाता है, जिसके लिए वित्तीय लेनदारों को कोई अधिकार प्राप्त या मौजूद नहीं होता है।

समाप्ति से पहले की अवधि।

प्रदान किए गए ऋण और वित्तीय सहायता के संबंध में

निगमित देनदार; प्रत्येक वित्तीय लेनदार, जैसा भी मामला हो, करेगाः

– दी गई सभी प्रतिभूतियों को सौंपें/नया करें (जिसमें निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर बोझ, निगमित देनदार के शेयरों की गिरवी (निगमित गारंटी के अलावा) शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

और व्यक्तिगत गारंटी) किसी भी तरह से निगमित ऋणदाता से संबंधित) समाधान आवेदक और/या उससे संबंधित

अधिग्रहण के अनुसार, इस संबंध में समाधान आवेदक द्वारा नामित व्यक्ति, और/या बैंक या वित्तीय संस्थान

संरचना, प्रभावी तिथि से प्रभावी;

– ऐसे पत्र और संचार जारी करें और ऐसी अन्य कार्रवाई करें, जो (i) निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों पर बोझ; और (ii) निगमित ऋणदाता के शेयरों पर गिरवी रखने के लिए आवश्यक या आवश्यक समझी जाए।

प्रभावी तिथि; और

ऐसा माना जाए कि दिवाला शुरू होने की तारीख को और उससे उत्पन्न होने वाले कॉर्पोरेट ऋणदाता से सभी दावों और बकाया (ब्याज और जुर्माना, यदि कोई हो) को माफ कर दिया गया है, जब तक कि

प्रभावी तिथि "।

65. प्रशांत रुइया की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने दिनांकित आई. डी. 1 की धारा XII। (1) (जी) की ओर भी इशारा किया, जिसमें यह निम्नानुसार कहा गया हैः

" न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन पर और उसकी ओर से प्रदान की गई गारंटी के संबंध में

निगमित देनदार द्वारा ली गई वित्तीय सहायता को सुरक्षित करने के लिए, जिसे प्रभावी [2019] 16 एस. सी. आर. से पहले लागू किया गया है।

उप–अनुरोध के कारण गारंटर के दावे की तारीख, यदि कोई हो,ऐसी किसी भी गारंटी के तहत यह माना जाएगा कि उसे समाप्त कर दिया गया है,

छोड़ा, छोड़ा और बुझाया गया।

एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त खंड नहीं होगा किसी भी तरीके से लागू करें जो अधिकारों को समाप्त/प्रभावित कर सकता है

निगमित गारंटी को लागू करने के लिए वित्तीय लेनदार और

मौजूदा प्रवर्तक समूह या उनके संबंधित सहयोगियों द्वारा ऋणदाता,कौन सी गारंटी वित्तीय द्वारा बरकरार रखी जाएगी

लेनदार और उनके द्वारा प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

(जोर दिया गया)

विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें यह भी बताया कि

प्रवर्तक समूह की व्यक्तिगत गारंटियों को लागू किया गया है और उनके संबंध में कानूनी कार्यवाही लंबित है। हमें यह बताया गया है कि श्री प्रशांत रुइया और प्रवर्तक समूह के अन्य सदस्य, जो गारंटर हैं, आर्सेलर मित्तल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के पक्षकार नहीं हैं और इसलिए, समाधान योजना उन्हें अधीनता के अधिकारों को छीनने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, जो उनके पास हो सकता है यदि उन्हें लंबित कानूनी कार्यवाही में उनके द्वारा गारंटीकृत राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

66. संहिता की धारा 31 (1) यह स्पष्ट करती है कि एक बार संकल्प

योजना को ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है और यह गारंटर सहित सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगी। यही कारण है कि यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सफल समाधान आवेदक कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को एक नए स्लेट पर चलाना शुरू कर दे। भारतीय स्टेट बैंक बनाम. वी. रामकृष्णन, 2018 (9) स्केल 597, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 31 पर भरोसा करते हुए कहा हैः

" 22. अधिनियम की धारा 31 पर भी दृढ़ता से भरोसा किया गया था

उत्तरदाता। यह धारा केवल यह बताती है कि एक बार संकल्प

ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित योजना प्रभावी होती है, यह निगमित देनदार के साथ–साथ गारंटर के लिए भी बाध्यकारी होगा।

यह कारण है कि अन्यथा, की धारा 133 के तहत

समाधान योजना, जिसे मंजूरी दे दी गई है, में शामिल हो सकते हैंऐसे गारंटर द्वारा किए जाने वाले भुगतान के बारे में प्रावधान।

यह ए. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति है। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

शायद यही कारण है कि ऊपर निर्दिष्ट नियमों और विनियम 36 (2) में निहित प्रपत्र 6 के अनुलग्नक 6 (ई) में निगमित देनदार के ऋणों के संबंध में दी गई व्यक्तिगत गारंटी के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। प्रत्यर्थियों के रुख का समर्थन करने की जगह, यह स्पष्ट है कि वास्तव में, धारा 31 एक व्यक्तिगत गारंटर के पक्ष में एक और कारक है।

उसे बचाने के लिए आवेदन करते हुए बिना किसी अधिस्थगन के देय ऋणों का भुगतान करना पड़ता है।

इस फैसले के बाद, श्री रोहतगी के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि समाधान योजना का वह हिस्सा जिसमें कहा गया है कि उप–पूछताछ के कारण गारंटर के दावों को समाप्त कर दिया जाएगा, कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशकों द्वारा दी गई गारंटी पर लागू नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं जो इन गारंटी के आह्वान के कारण लंबित मुकदमेबाजी को प्रभावित कर सके। हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय संहिता की धारा 31 (1) और इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत है। भारतीय स्टेट बैंक (ऊपर) में निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है।

67. इसी कारण से, एन. सी. एल. ए. टी. का यह अभिनिर्धारित करने का विवादित निर्णय कि समाधान पेशेवर और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गुण–दोष पर तय किए गए दावों के अलावा जो दावे मौजूद हो सकते हैं, अब संहिता की धारा 60 (6) के संदर्भ में एक उपयुक्त मंच द्वारा तय किया जा सकता है, संहिता की धारा 31 के तर्क के खिलाफ भी है। एक सफल समाधान आवेदक नहीं कर सकता है उनके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद अचानक "अनिर्णित" दावों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह एक हाइड्रा हेड पॉप अप के बराबर होगा जो एक संभावित समाधान आवेदक द्वारा देय अनिश्चितता राशि में फेंक देगा जो सफलतापूर्वक कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल लेगा। सभी दावों को समाधान पेशेवर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि एक संभावित समाधान आवेदक को पता हो कि वास्तव में क्या भुगतान किया जाना है ताकि वह तब कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल सके और चला सके। यह सफल समाधान आवेदक एक नए स्लेट पर करता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। इन कारणों से, एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को भी इस आधार पर दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

सी. आई. आर. पी. के दौरान निगमित देनदार के लाभ का उपयोग

लेनदारों को भुगतान करने के लिए

68. आर. एफ. पी. संहिता की धारा 25 के संदर्भ में जारी की गई और आर्सेलर मित्तल और लेनदारों की समिति द्वारा सहमति दी गई [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि निगमित दिवाला प्रक्रिया के दौरान किए गए लाभ का वितरण किसी भी लेनदार के ऋणों के भुगतान की ओर नहीं जाएगा–आर. एफ. पी. दिनांक 08.02.2018 के पहले परिशिष्ट का खंड 7 देखें। इस संक्षिप्त आधार पर, एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले का यह हिस्सा भी गलत है।

संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 4 और 6 की संवैधानिक वैधता69. स्विस रिबन (ऊपर) में यह न्यायालय इंगित करने के लिए दर्द में था

अन्य बातों के साथ–साथ, पैरा 17 से 24 में विभिन्न अमेरिकी निर्णयों का उल्लेख करते हुए, कि जब आर्थिक विधान की बात आती है तो विधायिका को जोड़ों में स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाली संवैधानिकता की धारणा के अलावा, आर्थिक विकल्पों में विधायी निर्णय को अदालतों द्वारा एक निश्चित स्तर का सम्मान दिया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के पैरा 120 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

पूरे देश में। पहले के प्रयोग, जैसा कि हमने देखा है, विधानों के विफल होने के संदर्भ में, "परीक्षण" बार–बार "त्रुटियों" का कारण बना, अंततः संहिता के अधिनियमन का कारण बना। द.संहिता में निहित प्रयोग, जिसे इसके प्रावधानों की व्यापकता द्वारा आंका जाता है, न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई तथाकथित कुरूपताओं और असमानताओं द्वारा, संवैधानिक रूप से पारित किया जाता है। आर्थिक चीजों में प्रयोग जारी रखना एक गंभीर जिम्मेदारी है, और प्रयोग के अधिकार से इनकार करना राष्ट्र के लिए गंभीर परिणामों से भरा है। हमने यह भी देखा है कि

संहिता के कामकाज की निगरानी केंद्र द्वारा की जा रही है

विशेषज्ञ समितियों द्वारा सरकार जो इस संबंध में स्थापित की गई हैं। जिस छोटी अवधि में संहिता संचालित हुई है, उसमें संहिता के साथ–साथ इसके तहत बनाए गए अधीनस्थ विधान दोनों में संशोधन किए गए हैं। यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसमें याचिकाकर्ताओं सहित सभी हितधारक शामिल हैं।

इसी पृष्ठभूमि में 2019 के संशोधन अधिनियम को संवैधानिक चुनौती देने पर निर्णय लेना होगा।

70. विवादित एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले के करीब, जो 04.07.2019 पर दिया गया था, एक अभ्यावेदन दिनांकित 17.07.2019 था।

फिक्की के उप महासचिव ने एन. सी. एल. ए. टी. की खामियों की ओर इशारा करते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा

निर्णय देना और सुझाव देना कि सरकार एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा में संशोधन पर विचार कर सकती है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]ई कानून को फिर से स्थापित करने के लिए संहिता जो पहले थी और होनी चाहिए। इस संदेश में कहा गया हैः

यह सिद्धांत कि सुरक्षित ऋणदाता असुरक्षित ऋणदाताओं से आगे होंगे, बैंकिंग का एक मूल सिद्धांत है। यह बैंकों को कंपनियों और व्यक्तियों को सुरक्षित ऋण में कम ब्याज दरों पर ऋण देने की अनुमति देता है क्योंकि वे जानते हैं कि उनका ऋण सुरक्षित है और चूक की स्थिति में, उनके नुकसान को कम किया जाएगा। इस आदेश के आधार पर, भविष्य में सभी वर्गों के लिए उधार दरें बढ़ जाएंगी क्योंकि बैंक सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं।उनके नुकसान। क्रेडिट विश्लेषण और मूल्यांकन के बुनियादी सिद्धांत अब सही नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ लेनदारों के लिए अन्यायपूर्ण संवर्धन भी होगा, जो यह जानते हुए कि उन्हें प्रतिभूति का लाभ नहीं है, सुरक्षित ऋणदाताओं की तुलना में बहुत अधिक दर पर ऋण देते हैं। सुरक्षित लेनदारों की तुलना में कहीं अधिक धन अर्जित करने के अलावा, दिवालिया होने से पहले के चरण के दौरान उच्च ब्याज दर के कारण उन्हें अब सुरक्षित लेनदारों की कीमत पर योजना मूल्य में अधिक हिस्सेदारी का लाभ मिलता है। वास्तव में यह निर्णय सुरक्षा की अवधारणा पर ही सवाल उठाता है–सुरक्षा क्या है?

एक शुल्क/प्रतिभूति का उपयोग यदि यह दिवालिया होने में अर्थहीन है? यहां तक कि कंपनी अधिनियम, 2013 सहित अन्य कानूनों में भी सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है और यदि दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो यह सुरक्षित लेनदारों के लिए एक बड़ा हतोत्साहित करने वाला होगा। वास्तव में, इस वर्ष की शुरुआत में आई. बी. सी. की संवैधानिकता पर अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने

वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच अंतर। एन. सी. एल. ए. टी. का आदेश प्रभावी रूप से उस भेद को नकारता है, जो आई. बी. सी. के मौलिक विषय के खिलाफ है। यदि सुरक्षित और असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बीच और वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच अंतर बनाए नहीं रखा जाता है, तो बैंकर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए आई. बी. सी. प्रावधानों का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक होंगे, और कंपनियों को परिसमापन में प्रवेश करना पसंद करेंगे, जो निश्चित रूप से संहिता का इरादा नहीं है।

निर्णय मई [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XXX XXX XXX हम संहिता की धारा 30 और 31 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें समाधान योजना के प्रस्तुत करने और अनुमोदन पर विस्तृत प्रावधान हैं। धारा 31 (1) के अनुसार, एक बार जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि समाधान योजना

लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित धारा 30 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यह समाधान योजना को मंजूरी देगा। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने भी नियम निर्धारित किए हैं औरसमाधान योजना की अनिवार्य आवश्यकताओं पर विनियम। इस प्रकार कानून स्पष्ट रूप से ऋणदाताओं की समिति को धन के वितरण पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। यह भी स्वीकार करता है कि जब तक

चूंकि समाधान योजना कानून के अनुरूप है, इसलिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को समाधान योजना को मंजूरी देनी चाहिए, जैसा कि धारा 31 (1) में 'होगा' शब्द के उपयोग से प्रमाणित होता है। के. शशिधर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वाणिज्यिक

लेनदारों की समिति के निर्णय न्यायिक के लिए खुले नहीं हैं।

समीक्षा करें। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस मूल सिद्धांत पर उद्योग द्वारा सवाल नहीं उठाया जा रहा है कि समान रूप से स्थित लेनदारों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या हम अंतर-लेनदार व्यवस्था या उनकी प्रतिभूति के बावजूद सभी वित्तीय लेनदारों के लिए वर्ग को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। इस तरह की खोज कानूनों, प्रथाओं और कानूनों का एक पूर्ण पुनर्लेखन है।

वित्तपोषण के समय पक्षों का समझौता और सौदेबाजी (या जब माल या सेवाएं प्रदान की गई थीं)।

इसलिए हम दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि सरकार स्पष्ट रूप से अंतर स्पष्ट करने के लिए संहिता में संशोधन पर विचार कर सकती है। सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के बीच और वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच। साथ ही, ऋणदाताओं की समिति द्वारा स्वीकार किए गए समाधान आवेदक के निर्णयों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अंतिम जब तक कि वे कानून के विपरीत नहीं पाए जाते। यह किसी भी भ्रम से बचेगा; वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप होगा और भारत को पसंदीदा निवेश गंतव्य का अपना दर्जा बनाए रखेगा। ए. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

71. इसके अनुसार और बैंकों और उद्योग से अभ्यावेदन,

इसके बाद 2019 का मरम्मत अधिनियम बनाया गया। धारा 4 और 6

2019 का परिसमापन अधिनियम निम्नानुसार हैः

" 4. धारा 12 का संशोधन। मूल अधिनियम की धारा 12 में, उप-धारा (3) में,

परंतुक, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्ः

" बशर्ते कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

दिवालिया शुरू होने की तारीख से तीन सौ तीस दिनों की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं –निगमित दिवाला समाधान की अवधि का कोई विस्तार

इस धारा के तहत दी गई प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया में लगने वाला समय निगमित देनदार की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में कार्यवाहीः

बशर्ते कि जहां एक की दिवाला समाधान प्रक्रिया

निगमित देनदार लंबित है और इसके भीतर पूरा नहीं किया गया है। दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि, ऐसा संकल्प

इस प्रक्रिया को नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 30 में – (क) उप–धारा (2) में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित होगा –

प्रतिस्थापित, अर्थात्ः —

" (ख) प्रचालन ऋणदाताओं के ऋणों के भुगतान के लिए ऐसी रीति का प्रावधान करता है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए जो –इससे कम नहीं

(i) धारा 53 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि;

या

((ii) वह राशि जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाती, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि धारा 53, [2019] 16 एस. सी. आर. की उप–धारा (1) में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित की गई होती।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो भी अधिक हो, और ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करता है

वित्तीय लेनदार, जो प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं

योजना, ऐसी रीति से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए, जो धारा 53 की उप–धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को दी जाने वाली राशि से कम न हो। निगमित देनदार का परिसमापन।

स्पष्टीकरण 1. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है

कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

स्पष्टीकरण 2. – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह एतद्द्वारा है घोषणा की कि प्रारंभ होने की तारीख से

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019

इस खंड के प्रावधान निगम पर भी लागू होंगे।

निगमित देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया –

((i) जहां समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी गई है या

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत;

((ख) जहां धारा 61 या धारा 62 के तहत कोई अपील की गई है या ऐसी अपील उस समय लागू कानून के किसी प्रावधान के तहत प्रतिबंधित नहीं है; या

((ग) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।

समाधान योजना का सम्मान; "

ख) उप–धारा (4) में, "व्यवहार्यता और व्यवहार्यता" शब्दों के बाद, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "वितरण का तरीका" हैं। प्रस्तावित, जो प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है

धारा 53 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट लेनदारों के बीच, जिसमें किसी व्यक्ति के प्रतिभूति हित की प्राथमिकता और मूल्य भी शामिल है।

सुरक्षित लेनदार "सम्मिलित किया जाएगा"।

72. धारा 4 और 6 पर श्री सिब्बल का प्रत्यक्ष हमला

2019 का अधिनियम यह है कि इसे इसी मामले में एन. सी. एल. ए. टी. के विचार को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया था। ऐसा होने पर, ऐसा प्रावधान स्पष्ट रूप से विधायिका की सीमा के बाहर होगा क्योंकि प्राधिकरण किसी विशेष निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इसे दरकिनार कर सकता है।73. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2019 के संशोधन अधिनियम में उन सभी धाराओं को शामिल किया गया है जिन्हें संहिता के काम करने में कठिनाइयों के कारण अधिनियमित/संशोधित किया गया है।

हालांकि यह सच है कि यह ए. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति हो सकती है। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा निर्धारित कानून इनमें से कुछ संशोधनों का आधार है, यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायिका ने सीधे एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को दरकिनार कर दिया है। चूंकि एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय में होती है, इसलिए विधायिका सभी प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामान्य अनुप्रयोग के कानूनों को निर्धारित करने के लिए अपनी सीमा

के भीतर है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह क्या मानता हैएक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कानून के दोषपूर्ण पठन का उपचार होना। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वर्तमान मामले के अलावा

2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन बोर्ड के उन सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो इसके प्रावधानों से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, यह तय किया गया कानून है कि अनुचित उद्देश्यों के अर्थ में बुरे विश्वास को कानून बनाने वाली विधायिका के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह बी. के. मुखर्जी, जे. के. मुखर्जी के प्रसिद्ध फैसले के बाद से स्थापित कानून है। के. सी. गजपति नारायण देव और

अन्य वी। उड़ीसा राज्य 1954 एससीआर 1. यह सम्मानपूर्वक निम्नानुसार निर्धारित किया गया थाः

" ..... चूंकि यह प्रश्न कुछ महत्व का है और भविष्य में इसी तरह के मामलों में बहस होने की संभावना है, इसलिए यह आवश्यक होगाजो ज्ञात है उसके सटीक दायरे और अर्थ की जांच करें।

आम तौर पर "रंगीन विधान" के सिद्धांत के रूप में।

शुरुआत में ही यह स्पष्ट किया जा सकता है कि रंगीन विधान के सिद्धांत में ईमानदारी या दुर्भावना का कोई सवाल शामिल नहीं है।

विधायिका का हिस्सा। पूरा सिद्धांत एक विशेष कानून को लागू करने के लिए एक विशेष विधायिका की क्षमता के सवाल में खुद को हल करता है। यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने के लिए सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं। दूसरी ओर, यदि विधायिका में योग्यता की कमी है, तो उद्देश्य का सवाल नहीं उठता है

सभी। इस प्रकार कोई क़ानून संवैधानिक है या नहीं, यह हमेशा शक्ति का सवाल होता है [वीडियो कूली की संवैधानिक सीमाएँ, खंड 1 पी 379]। हालाँकि, एक विधानमंडल के बीच एक अंतर मौजूद है जो ब्रिटिश संसद की तरह कानूनी रूप से सर्वशक्तिमान है और इसके द्वारा जारी किए गए कानून जिन्हें अक्षमता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, और एक विधानमंडल जिसे केवल सीमित या योग्य अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। यदि किसी राज्य का संविधान विधायी शक्तियों को विभिन्न निकायों के बीच वितरित करता है, जिन्हें विशिष्ट विधायी प्रविष्टियों द्वारा चिह्नित अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर कार्य करना होता है, या यदि मौलिक अधिकारों के रूप में विधायी प्राधिकरण पर सीमाएं हैं, तो सवाल उठते हैं कि क्या किसी विशेष मामले में विधायिका के पास है या नहीं है।

नहीं, विषय के संबंध में-क़ानून के मामले में या विधि में

इसे लागू करने से इसकी संवैधानिक शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

इसी तरह, एस. टी. ओ. बनाम में एक 7–न्यायाधीश पीठ। अजीत मिल्स लिमिटेड (1977) 498 ने भी स्पष्ट रूप से कहा है:

" 16. उसमें निर्धारित सिद्धांत की खोज करने के लिए निर्णयों को स्कैन करने से पहले, हम उस विवाद का निपटारा कर सकते हैं जो"रंगीन उपकरण" के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की गई।

निश्चित रूप से, यह एक घातक अभिव्यक्ति है और जब विधायिका जैसे प्रतिनिधि साधन पर घातक प्रभाव पड़ता है,

गंभीर चिंतन योग्य है। यदि, समिति को भूलते हुए, विधायीन्याय शाखा न्यायिक शाखा पर "रंगीन" निर्णयों का आरोप लगाती है, यह असहनीय रूप से कानून के शासन का विध्वंसक होगा। इसलिए हमें भी इस आरोप को लगाने से खुद को रोकना चाहिए सिवाय इसके कि

बिल्कुल साधारण मामले और सार्वजनिक शक्ति के रंगीन अभ्यास के सिद्धांत के महत्व को समझने के लिए रुकें, विशेष रूप से

विधायी शक्ति। कानून की इस शाखा में, "रंगीन" को "दूषित" नहीं माना गया है।बुरे विश्वास या बुरे इरादे के साथ '; यह अपमानजनक या कुटिल नहीं है। अवधारणात्मक रूप से, "रंगहीनता" अक्षमता से जुड़ी हुई है। " ब्लैक के कानूनी शब्दकोश के अनुसार 'कलर' एक है।

जैसा कि उससे अलग, उपस्थिति, समानता या सिमुलाक्रम

जो वास्तविक है. एक भ्रामक रूप. वास्तविकता की कमी '। एक चीज रंगीन होती है जो केवल दिखने में होती है और वास्तविकता में नहीं, जो वह होने का इरादा रखती है। भारतीय शब्दों में, यह माया है। में

शक्ति का न्यायशास्त्र, रंगों का प्रयोग या धोखाधड़ी

विधायी शक्ति या, अधिक भयावह रूप से, संविधान के साथ धोखाधड़ी,

अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका केवल यह अर्थ है कि विधायिका है

किसी विशेष कानून को लागू करने में असमर्थ, हालांकियोग्यता उस पर अटक जाती है, और फिर यह रंगीन कानून है। यह.

यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि विधायिका विशेष कानून पारित करने के लिए सक्षम है, तो कानून पारित करने के लिए प्रेरित करने वाले उद्देश्य वास्तव में अप्रासंगिक हैं। इसे मामले के लिए अधिक प्रासंगिक रूप से रखने के लिए, यदि कोई कानून, जो स्पष्ट रूप से सूची में एक प्रविष्टि के तहत अधिनियमित किया गया है, स्पष्ट सत्य और तथ्य में आता है, तो सामग्री के भीतर, उस प्रविष्टि का नहीं बल्कि दूसरे विधानमंडल को सौंपे गए एक का, यह हो सकता है

रंगीन के रूप में मारा गया, भले ही मकसद सबसे अधिक था

सराहनीय है। दूसरे शब्दों में, कानून का पत्रइसके बावजूद, अधिनियम का सार और सार क्या है? क्या यह उस विधानमंडल को सौंपे गए किसी भी प्रविष्टि के अंतर्गत आता है, या जैसा कि उस प्रविष्टि में निहित सहायक

शक्तियों द्वारा कवर किया गया है? क्या कानून को उचित रूप से पढ़ा जा सकता है ताकि इसे विधायिका की संवैधानिक शक्तियों के भीतर लाया जा सके?

यदि ये प्रश्न एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति से पूछे जाते हैं। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सकारात्मक रूप से जवाब दिया जा सकता है, कानून वैध है। द्वेष या मकसद बात से परे है, और यह सुझाव देने की अनुमति नहीं है

दुर्भावना के आधार पर संसदीय अक्षमता "।

अतः इन सभी कारणों से यह स्पष्ट है कि 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 4 और 6 को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है।

74.जहां तक धारा 4 का संबंध है, यह स्पष्ट है कि मूल समय सीमा जिसमें सी. आई. आर. पी. को पूरा किया जाना चाहिए, अब बढ़ा दी गई है।

330 दिनों तक, जो 60 दिन 180 से अधिक और 90 दिन (जो 270 दिनों के बराबर है) है। लेकिन इस 330–दिवसीय अवधि में निगमित देनदार की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय शामिल है। यह प्रावधान आर्सेलर मित्तल इंडिया (ऊपर) के पैराग्राफ 86 के फैसले में जो कहा गया है, उस पर काबू पाने के लिए है, कि निगमित समाधान प्रक्रिया के संबंध में कानूनी कार्यवाही में लिए गए समय को धारा 12 में उल्लिखित समय सीमा से बाहर रखा जाना चाहिए। दूसरा, इस धारा में जोड़ा गया तीसरा परंतुक यह भी अनिवार्य करता है कि जहां 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को 330 दिनों की अवधि समाप्त हो जाती है, ऐसी तारीख से 90 दिनों की एक और अनुग्रह अवधि दी जाती है, जिसके भीतर ऐसी प्रक्रिया या तो पूरी की जाएगी या निगमित देनदार को परिसमापन में भेजा जाएगा।

75. इस प्रावधान का कारण उस अनुभव से आता है जो एस. आई. सी. ए. के लागू होने के बाद से विधायिका को परेशान कर रहा है।

एस. आई. सी. ए. और अन्य उत्तराधिकारी अधिनियमों की समस्याओं को मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड बनाम में ग्राफिक विस्तार से बताया गया था। बी. आई. एफ. आर. (2016) 4 एस. सी. सी. 1 अनुच्छेद 17 से 23 पर। इन पैराग्राफों से यह देखा जाएगा कि हालांकि एस. आई. सी. ए., 1993 का ऋण वसूली अधिनियम और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद "एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) सभी ने औद्योगिक कंपनियों में बीमारी के त्वरित निर्धारण और समय पर पता लगाने के लिए प्रावधान किया, फिर भी, इसके तहत कानूनी कार्यवाही वर्षों तक खींची गई, जिसके परिणामस्वरूप ये सभी वैधानिक उपाय तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने में घोर विफलता साबित हुए। यही कारण है कि 2015 की बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट में कहा गया हैः

" सीमित परिस्थितियों में, यदि लेनदार समिति का 75 प्रतिशत यह निर्णय लेता है कि किसी मामले की जटिलता के लिए समाधान योजना को अंतिम रूप देने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो न्यायनिर्णायक की पूर्व मंजूरी से 180 दिनों की अवधि का 90 दिनों तक का एकमुश्त विस्तार संभव है। यह कुछ वर्तमान व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग है जो देनदार/प्रवर्तक को मांग करने की अनुमति देते हैं।

किसी भी सीमा से परे विस्तार।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस दृष्टिकोण की कई शक्तियाँ हैंः

• प्रवर्तकों द्वारा परिसंपत्ति की कटाई को बाद में और पहले नियंत्रित किया जाता है।

डिफ़ॉल्ट।

• प्रवर्तक एक प्रस्ताव बना सकते हैं जिसमें एक निश्चित ऋण के साथ-साथ एक निश्चित कीमत पर कंपनी को वापस खरीदना शामिल है।

पुनर्गठन।अर्थव्यवस्था में अन्य लोग एक निश्चित ऋण के साथ-साथ कंपनी को एक निश्चित कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव दे सकते हैं।

पुनर्गठन।

सभी पक्षों को पता है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सौदा नहीं होता है, तो कंपनी परिसमापन में चली जाएगी। इससे मदद मिलेगी।

देरी करने की रणनीति से बचें। आईपी के पर्यवेक्षण के कारण प्रवर्तकों की कंपनी से चोरी करने में असमर्थता भी धीमी गति से मृत्यु होने के प्रोत्साहन को कम करने में मदद करती है।

• न्यायनिर्णायक की भूमिका प्रक्रिया के मुद्दों पर होगीः यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी वित्तीय लेनदार वास्तव में लेनदार समिति में थे, और यह कि 75 प्रतिशत लेनदार वास्तव में समर्थन करते हैं

समाधान योजना।

गति महत्वपूर्ण है।दिवालियापन संहिता के काम करने के लिए गति दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, जबकि "शांत अवधि एक संगठन को चालू रखने में मदद कर सकती है, स्वामित्व की पूरी स्पष्टता के बिना और

नियंत्रण, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। प्रभावी नहीं

नेतृत्व में, फर्म क्षीण हो जाएगी और विफल हो जाएगी। देरी जितनी लंबी होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि परिसमापन ही एकमात्र जवाब होगा। दूसरा, परिसमापन मूल्य समय के साथ कम होता जाता है क्योंकि कई परिसंपत्तियाँ मूल्यह्रास की उच्च आर्थिक दर से पीड़ित होती हैं।

लेनदारों के दृष्टिकोण से, एक अच्छी प्राप्ति आम तौर पर प्राप्त की जा सकती है यदि फर्म को एक चालू संस्था के रूप में बेचा जाता है। इसलिए, जब विलम्ब परिसमापन को प्रेरित करता है, तो मूल्य विनाश होता है। इसके अलावा, परिसमापन में भी, देरी होने पर प्राप्ति कम होती है। अतः विलम्ब मूल्य विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार, एक उच्च वसूली दर प्राप्त करना मुख्य रूप से पहचान करने और इसका मुकाबला करने के बारे में है

विलम्ब के स्रोत। वित्तीय फर्मों की विफलता के बारे में एफ. एस. एल. आर. सी. के व्यवहार में भी यही विचार पाया जाता है।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दृढ़ विफलता से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना है

गति की आवश्यकता है। देरी के स्रोतों की पहचान करना और उनका समाधान करना।

आई. आर. पी. शुरू होने से पहले, सभी पक्षों को मौजूदा ऋण के बारे में सटीक और निर्विवाद तथ्यों की आवश्यकता होती है।प्रतिज्ञा की गई, आदि। वर्तमान व्यवस्थाओं के तहत, सभी पक्षों को यह जानकारी प्राप्त करने से पहले काफी समय बर्बाद किया जा सकता है। इन तथ्यों के बारे में विवादों को अदालत में हल करने में वर्षों लग सकते हैं। आई. आर. पी. का उद्देश्य जो 180 दिनों से कम समय में पूरा हो।

इन समस्याओं के कारण खो सकते हैं।

अतः समिति एक प्रतिस्पर्धी उद्योग की परिकल्पना करती है –

,, सूचना उपयोगिताएँ जो हर समय सभी फर्मों के बारे में जानकारी रखती हैं। आई. आर. पी. शुरू होने पर, एक दिन से भी कम समय के भीतर, आई. आर. पी. में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए निर्विवाद और पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और इस प्रकार इस स्रोत को संबोधित किया जाएगा।

देरी से।

विलम्बक दोसर महत्वपूर्ण स्रोत न्यायनिर्णायकमे निहित अछि।

तंत्र। इसे संबोधित करने के लिए, समिति

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (के लिए) निगमित देनदार) और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (व्यक्तियों के लिए)

और साझेदारी फर्म) सभी आवश्यक प्रदान किए जाएँसंहिता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता के लिए संसाधन।

XXX XXX XXX

निष्कर्ष

कुछ व्यावसायिक योजनाओं की विफलता इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है –बाजार अर्थव्यवस्था। जब व्यावसायिक विफलता होती है, तो समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम वित्तपोषकों के बीच तेजी से फिर से बातचीत करना, देनदारियों की एक नई व्यवस्था का उपयोग करके और एक नई प्रबंधन टीम के साथ चल रही संस्था को वित्तपोषित करना है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है।

ऐसा करने पर, समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम तेजी से परिसमापन है। जब इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, तो रचनात्मक विनाश की बाजार प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी होने के साथ सुचारू रूप से काम करेगी।

जोरदार और अधिक प्रतिस्पर्धा "।

76. सदन ई–राज्यसभा में माननीय मंत्री के भाषण ने इस तथ्य को भी दर्शाया कि समय बीतने के साथ संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान का कठोर इरादा कमजोर होता जा रहा है।

इसलिए इस आक्रामक इरादे को बहाल करने के लिए समयबद्ध निर्णय लेना आवश्यक है। सदन में यह भी बताया गया कि संहिता के काम करने में अनुभव उत्साहजनक नहीं रहा है। मंत्री ने राज्यसभा में अपने भाषण में निम्नलिखित तथ्य दिए हैं:

संकेतों:

दे दिया। 330 दिनों में, 335 मामले; 270 दिनों में, 445 मामले; 180 दिनों में और 270 दिनों से कम, 221 मामले; 90 दिनों में लेकिन 180 दिनों से कम, 349 मामले; 90 दिनों से कम, 277 मामले। लंबित दिनों की संख्या में समय, यदि कोई हो, शामिल है। न्यायाधिकरणों। तो, यह आपको एक तस्वीर देता है कि किस तरह का इंतजार है और इसलिए, हम इस गति के लिए संशोधन क्यों लाना चाहते हैं। ”

श्रीमती माधवी दीवान ने यह भी बताया कि माननीय मंत्री जी

सी. एच. ने एन. सी. एल. टी. को इस प्रकार मजबूत करने की भी वकालत की थी:

“ मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान एन. सी. एल. टी. की पीठों की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी है। एक साल में हमने इसे 10 से बढ़ा दिया है।

15 तक। सदस्यों की संख्या भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई गई है। हाल ही में, 26 नए सदस्य शामिल हुए हैं जिससे सदस्यों की कुल संख्या 52 हो गई है। महोदय, उन पीठों में एक से अधिक अदालतें संचालित की गई हैं जहां बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और

कोलकाता। मामलों के तेजी से और तेजी से निपटारे के लिए ई–गवर्नेंस और ई–कोर्ट जैसी परियोजनाओं को भी लागू किया गया है।

77. श्री सिब्बल ने मंत्री के भाषण पर किसी भी तरह की निर्भरता पर कड़ी आपत्ति जताई और के. पी. वर्गीज बनाम का हवाला दिया।

आई. टी. ओ. (1982) 1 एस. सी. आर. 629 एम. एम. आई. टी. ई. ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]के. एस. परिपूर्णन बनाम केरल राज्य (1994) 5 एससीसी 593। इन (ऊपर) में इस न्यायालय ने पृष्ठ 645 पर निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" ..... अब यह सच है कि विधानमंडल के सदस्यों द्वारा सदन में दिए गए भाषण जब एक वैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए एक विधेयक पर बहस की जा रही है, तो वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के उद्देश्य से अस्वीकार्य हैं, लेकिन भाषण

विधेयक के प्रस्तावक द्वारा विधेयक को पेश करने का कारण स्पष्ट करते हुए निश्चित रूप से इस उद्देश्य के लिए भेजा जा सकता है

द्वारा सुधार किए जाने की मांग की गई शरारत का पता लगाने के लिएविधान और वह उद्देश्य और उद्देश्य जिसके लिए विधान अधिनियमित किया गया है। यह न्यायिक विचार में हाल की प्रवृत्ति के अनुरूप है।

केवल पश्चिमी देशों में ही नहीं, बल्कि भारत में भी किसी कानून की व्याख्या अर्थ के निर्धारण में एक अभ्यास होने के कारण, वह सब कुछ जो तार्किक रूप से प्रासंगिक है, स्वीकार्य होना चाहिए। वास्तव में इस न्यायालय के कम से कम तीन निर्णय हैं, एक लोक में। शिक्षा ट्रस्ट बनाम। सीआईटी [(1976) 1 एससीसी 254: 1976 एस. सी. सी. (कर) 14: 101 आईटीआर 234: 1976 एल. आर. 1], इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स में दूसरा बनाम। आयकर आयुक्त [(1976) 1 एस. सी. सी. 324: 1976 एस. सी. सी. (कर) 41: 101 आईटीआर 796: 1976 कर एल. आर. 210] और आयकर के अतिरिक्त आयुक्त बनाम में तीसरा। सूरत

आर्ट सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन [(1980) 2 एससीसी 31: 1980 एससीसी (कर) 170: 121 आई. टी. आर. 1] जहाँ बहिष्करण खंड पेश करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिया गया भाषण

अधिनियम की धारा 2, खंड (15) में न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया था

उस खंड को प्रस्तुत करना "। परिपूर्णन (ऊपर) में, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

कि धारा 23 (1–ए) के अधिनियमन का अंतर्निहित उद्देश्य प्रभावित पक्षों की कठिनाइयों को दूर करना थालंबे समय तक अधिग्रहण की कार्यवाही का लंबित रहना जो उन्हें दी गई मुआवजे की राशि को अवास्तविक बनाता है। सदस्यों [2019] 16 एस. सी. आर. द्वारा दिए गए भाषणों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस समय जब विधेयक पर विचार किया गया था और इसे पारित किया गया था

संसद। यह आग्रह किया गया है कि एक निर्माण जो उक्त उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, उसे अपनाया जाना चाहिए। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जहां तक विधेयक में संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण का संबंध है, कानून अच्छी तरह से तय है कि इसका उपयोग कानून की पृष्ठभूमि और स्थिति को समझने के सीमित उद्देश्य के अलावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग कानून के निर्माण में सहायता के रूप में नहीं किया जा सकता है। (अश्विनी कुमार घोष बनाम देखें। अरबिंद बोस [1953 एस. सी. आर. 1,28: ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 369] राज्य डब्ल्यू. बी. वी. सुबोध गोपाल बोस [1954 एससीआर 587,628: ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 92] प्रति दास, जे. ; राज्य डब्ल्यू. बी. वी. भारत संघ [(1964) 1 एस. सी. आर. 371,383: ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1241]। इसी तरह, विधेयक पर विचार के समय सदन में सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वे विधेयक के लिए बाहरी सहायता के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं।

वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या, हालांकि विधेयक के प्रस्तावक के भाषण को निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से संदर्भित किया जा सकता है।

विधेयक द्वारा प्राप्त किए जाने के उद्देश्य को स्पष्ट करें। (त्रावणकोर राज्य–कोचीन बनाम देखें। बॉम्बे कंपनी लिमिटेड [1952 एससीआर 1112 एआईआर 1952 एससी 366] और अश्विनी कुमार बनाम। अरबिंद बोस [1953 एस. सी. आर. 1,28: ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 369]। 1982 और 1984 के विधेयकों के अवलोकन पर हम पाते हैं कि उनमें पाए गए प्रावधान शामिल नहीं थे

मूल अधिनियम की धारा 23 (1–ए) और संशोधन अधिनियम की धारा 30 (1) में। इन प्रावधानों को 1984 में जोड़ा गया था।

विधेयक संसद में विचाराधीन था। इसलिए, उद्देश्यों और कारणों का विवरण उन परिस्थितियों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जिनमें इन प्रावधानों को पेश किया गया था।

चूँकि सदन में माननीय मंत्री का भाषण केवल उस उद्देश्य को इंगित करता है जिसके लिए संशोधन किया गया था और चूंकि इसमें कुछ डेटा हैं जिन्हें विज्ञापन देना उपयोगी है, इसलिए हम उनसे सहायता लेते हैं।

भाषण संशोधित धारा 12 का अर्थ निकालने के लिए नहीं है, बल्कि केवल यह समझाने के लिए है कि 2019 का संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया था।

78. इस तथ्य को देखते हुए कि संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समय पर समाधान संहिता के सफल संचालन में एक प्रमुख कारक है, एकमात्र वास्तविक तर्क है

संशोधन के खिलाफ यह है कि कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय कभी भी एनसीएलटी और एनसीएलएटी के समक्ष पक्षकारों के खिलाफ नहीं रखा जा सकता है।

एक लैटिन उक्ति पर जो न्याय के कारण की सेवा करता है, अर्थात् एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट।

ए. एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की सीमा। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

79. आत्मा राम मित्तल बनाम। ईश्वर सिंह पुनिया (1988) 4 एससीसी

इस न्यायालय ने कानूनी कार्यवाही में लिए गए समय के लिए अधिकतम को लागू कियाहरियाणा शहरी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1973

एनजीः

" 8. यह सर्वसम्मत है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत की गलती या प्रक्रिया में देरी के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए। ब्रूम ने कहा है कि "एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट"–अदालत का एक कार्य किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए, निर्णय के लिए सामान्य रूप से खर्च किए जाने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, दस साल की छूट या

किराया अधिनियम के लागू होने से छुट्टी हो जाएगी

भ्रमपूर्ण, यदि मुकदमा उस समय के भीतर दायर किया जाना है और अंत में निपटाया जाना है। यह सामान्य ज्ञान है कि जब तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाता है

पट्टे पर देने की तारीख के तुरंत बाद इसे दस साल के भीतर कभी भी निपटाया नहीं जाएगा और फिर भी उस समय के भीतर इसका निपटान नहीं किया जा सकता है। यह किराया अधिनियम से दस साल की छुट्टी को भ्रामक बना देगा और मकान मालिकों को घरों की कमी की समस्या को हल करने के लिए नए घर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देगा। इस प्रकार कानून बनाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। एक सामाजिक में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या

किसी भी चीज की परवाह किए बिना सुधार कानून बनाना अनिवार्य है

और भी "। इसी तरह, सारा मैथ्यू बनाम में। हृदय संवहनी संस्थान

इस प्रकार, (2014) 2 एस. सी. सी. 62, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड संहिता की धारा 468 के तहत सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य सेआदेश, 1973 सुसंगत तिथि शिकायत दर्ज करने की तिथि है न कि उस तिथि को जिस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, आवेदन करता है।

पूर्वनिर्धारित उक्ति इस प्रकार हैः

" 39. जैसा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, कानूनी सिद्धांत से प्रकाश खींचा जा सकता है। भारत काले [भारत दामोदर काले बनाम भारत दामोदर काले बनाम भारत दामोदर काले बनाम

नीरज कुमार सैनी बनाम में इन दोनों निर्णयों का पालन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 14 एस. सी. सी. 136 पैराग्राफ पर

29 और 32. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय संभवतः एक वादी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है यदि न्यायाधिकरण स्वयं वादी की गलती के बिना आवश्यक अवधि के भीतर वादी के मामले को नहीं ले सकता है, एक प्रावधान जिसमें सी. आई. आर. पी. को अनिवार्य रूप से एक निश्चित तिथि तक समाप्त करने की आवश्यकता होती है–बिना किसी अपवाद के–कानूनी कार्यवाही में अत्यधिक हस्तक्षेप हो सकता है।

अनुच्छेद 14 के तहत गैर–मनमाना व्यवहार का वादी का मौलिक अधिकार और एक पर अत्यधिक, मनमाना और इसलिए अनुचित प्रतिबंध

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत कार्य करने का वादी का मौलिक अधिकार। इस मामले में, हम आम तौर पर प्रावधान को पूरी तरह से रद्द कर देते। हालाँकि, यह तब बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंक देगा, क्योंकि कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है जो देरी का कारण बनता है, और जिसने पिछले वैधानिक प्रयोगों को विफल कर दिया है जैसा कि हमने मद्रास पेट्रोकेम (सुप्रा) से देखा है। इस प्रकार, प्रावधान को अन्यथा बरकरार रखते हुए, हम "अनिवार्य रूप से" शब्द को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से मनमाना होने के रूप में खारिज करते हैं।

और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत वादी के व्यवसाय करने के अधिकार पर अत्यधिक और अनुचित प्रतिबंध के रूप में।

इस घोषणा का प्रभाव यह है कि आम तौर पर निगमित देनदार की निगमित समाधान प्रक्रिया के संबंध में लिया गया समय एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति होनी चाहिए।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कि दिवाला समाधान प्रक्रिया को 330 दिनों से आगे पूरा करने के लिए केवल एक छोटी अवधि बची है, और यह सभी के हित में होगा हितधारक यह कि निगमित ऋणी को परिसमापन में भेजे जाने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा किया जाए और कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय काफी हद तक उन कारकों के कारण है जिनके कारण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष वादियों को दोष नहीं दिया जा सकता है, देरी या इसका एक बड़ा हिस्सा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या स्वयं अपीलीय न्यायाधिकरण की धीमी प्रक्रिया के कारण होने के कारण, ऐसे मामलों में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 330 दिनों से अधिक समय बढ़ाने के लिए खुला हो सकता है। इसी तरह, धारा 12 में नए जोड़े गए परंतुक के तहत भी, यदि सभी उपरोक्त कारकों के कारण 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 90 दिनों की अनुग्रह अवधि पार हो जाती है, तो फिर से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समय बढ़ाने के लिए एक विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। केवल ऐसे असाधारण मामलों में ही समय बढ़ाया जा सकता है, सामान्य नियम यह है कि 330 दिन की बाहरी

सीमा है जिसके भीतर निगमित देनदार की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान होना चाहिए, जिसके बाद निगमित देनदार को परिसमापन के लिए प्रेरित किया जाना है।

जो पहले दी गई थी क्योंकि यह उपखंड (ख) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में उल्लिखित आंकड़ों से अधिक है जिसका अब भुगतान किया जाना हैपरिचालन लेनदारों के लिए न्यूनतम राशि। यही बात उपखंड (बी) के बाद के भाग के लिए भी लागू होती है जो असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को संदर्भित करता है। श्रीमती माधवी दीवान ने अपने इस तर्क में सही कहा कि धारा 30 (2) (बी) वास्तव में परिचालन लेनदारों और असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के पक्ष में एक लाभकारी प्रावधान है क्योंकि उन्हें अब एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है, परिचालन लेनदारों के मामले में न्यूनतम राशि खंड (बी) के उपखंड (i) और (ii) के तहत गणना किए गए दो आंकड़ों में से अधिक है, और असहमत वित्तीय लेनदार के मामले में न्यूनतम राशि न्यूनतम राशि है जो पहले देय नहीं थी। वास्तव में, पूर्व–संशोधन, सुरक्षित वित्तीय लेनदार कर सकते हैं

असुरक्षित वित्तीय लेनदारों को दबाना जो असहमत हैं, बहुमत [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66 प्रतिशत ने उन्हें कुछ नहीं देने के लिए या उनके बकाया के लिए कुछ भी नहीं देने के लिए मतदान किया। पहले की व्यवस्था में ऐसा करना संभव था, लेकिन संशोधन के बाद ऐसे वित्तीय लेनदारों को अब भुगतान किया जाना है।उप–धारा (2) में उल्लिखित न्यूनतम राशि। श्रीमती माधवी दीवान का यह कहना भी सही है कि धारा 53 में उल्लिखित लेनदारों के भुगतान की प्राथमिकता का क्रम उप–धारा (2) (बी) में संशोधित नहीं है। धारा 53 का उल्लेख केवल इसलिए किया गया है ताकि परिचालन और वित्तीय लेनदारों के विभिन्न वर्गों को एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जा सके। यह केवल इस उद्देश्य के लिए है कि धारा 53 (1) को देखा जाना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह लेनदारों की समिति का वाणिज्यिक विवेक है जो यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि संहिता और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न वर्गों और उप–वर्गों के लेनदारों को कितनी राशि का भुगतान किया जाए।

81. जैसा कि इस निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण 1 केवल इस क्रम में अंतःस्थापित किया गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और

अपीलीय न्यायाधिकरण लेनदारों की समिति के अपेक्षित बहुमत के व्यावसायिक निर्णय के गुण–दोष में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसा कि हुआ भी है।

इस निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण में गुण–दोष में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अवशिष्ट इक्विटी क्षेत्राधिकार नहीं है

लेनदारों की समिति के अपेक्षित बहुमत द्वारा लिए गए व्यावसायिक निर्णय का, बशर्ते कि यह अन्यथा के अनुरूप होसंहिता और विनियमों के प्रावधान, जैसा कि इस निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया है।

82. समान रूप से, स्पष्टीकरण 2 प्रतिस्थापित धारा को लागू करता है –

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण के स्तर पर या किसी रिट या सिविल न्यायालय में लंबित कार्यवाही। जैसा कि आयोजित किया गया हैस्विस रिबन (ऊपर) और आर्सेलर मित्तल इंडिया (ऊपर) (स्विस रिबन (ऊपर) के पैराग्राफ 97 और स्विस रिबन के पैराग्राफ 82,84 देखें।

आर्सेलर मित्तल इंडिया (ऊपर)), किसी भी समाधान आवेदक को संहिता के तहत अपनी योजना को अनुमोदित करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। इसके अलावा, लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल बनाम में संघीय न्यायालय। केशवरलाल चौधरी

ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 5 और बाद में, शिव शक्ति कूप में यह कोर्ट। हाउसिंग सोसाइटी, नागपुर बनाम। स्वराज डेवलपर्स एंड ओआरएस। (2003) 6 एस. सी. सी. 659

(पैराग्राफ 16 और 17) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अपीलीय कार्यवाही एक मूल कार्यवाही की निरंतरता है। ऐसा होने पर, कानून में परिवर्तन हमेशा मूल या अपीलीय कार्यवाही पर लागू किया जा सकता है। इस कारण से भी, स्पष्टीकरण 2 संवैधानिक रूप से मान्य है, जिसमें निहित अधिकारों को बाधित करने के लिए कोई पूर्वव्यापी कार्रवाई नहीं है।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

83. 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 6 के उपखंड (बी) को चुनौती, फिर से उस लचीलेपन पर जाती है जो संहिता को देती है

एक समाधान योजना को मंजूरी देने या न देने के लिए लेनदारों की समिति और जो धारा 53 में उल्लिखित लेनदारों के विभिन्न वर्गों और एक सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हितों की विभिन्न प्राथमिकताओं और मूल्यों को ध्यान में रख सकती है। इस लचीलेपन का उल्लेख बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, 2015 में किया गया है (इस निर्णय के पैराग्राफ 33 को देखें)। इसके अलावा, ऋणदाताओं की समिति को "मई" शब्द द्वारा दिया गया विवेकाधिकार फिर से यह स्पष्ट करता है कि यह केवल एक दिशानिर्देश है जो इस उप–धारा द्वारा निर्धारित किया गया है जिसे ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति या अस्वीकृति के रूप में एक व्यावसायिक निर्णय पर पहुंचने में लागू किया जा सकता है। इन सभी कारणों से, यह मानना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी प्रावधान संवैधानिक रूप से कमजोर है।

आर्सेलर मित्तल की समाधान योजना में संशोधन किया गया और

उन पर आपत्तियाँ

84. आर्सेलर मित्तल द्वारा 02.04.2018 पर प्रस्तुत समाधान योजना में समाधान के लिए 35,000 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान का प्रस्ताव है।वित्तीय लेनदारों के 49,213 करोड़ रुपये के ऋण में से। क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट की ओर से एक प्रतिबद्धता पत्र के माध्यम से इसका समर्थन किया गया था।

और निवेश बैंक। इस अग्रिम नकद वसूली से, असुरक्षित

वित्तीय लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों की केवल 5 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, आई. एन. आर. 8,000 करोड़ नए

परिचालन में सुधार और निगमित देनदार की पुनरुद्धार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश का भी प्रस्ताव किया गया था। जहां तक परिचालन लेनदारों का संबंध है, यह प्रस्ताव किया गया था कि श्रमिकों और कर्मचारियों को उनके स्वीकृत दावों के बदले 18 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान किया जाना था, और अन्य परिचालन लेनदारों में से, उन छोटे व्यापार लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाना था, जिन्हें 1 करोड़ रुपये से कम के दावों को स्वीकार करने के रूप में परिभाषित किया गया था, जबकि व्यापार और सरकारी लेनदारों को 1 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जाना था, जिन्हें कुल मिलाकर 196 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था। अन्य परिचालन लेनदारों को कुछ भी नहीं दिया जाना था, परिसमापन मूल्य एक वर्ग के रूप में परिचालन लेनदारों को किसी भी मामले में शून्य के रूप में देय था (एक वर्ग के रूप में सभी परिचालन लेनदारों के कुल स्वीकृत दावे 3339 करोड़ रुपये थे)। "विभिन्न हितधारकों के साथ व्यवहार" शीर्षक के तहत योजना निम्नानुसार प्रदान की गई है:

" VIII. विभिन्न हितधारकों के साथ व्यवहार "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तावित उपचार

हिस्सेदारी धारक

वित्तीय लेनदार

निगमित ऋणदाता के परिसमापन मूल्य के अनुसार, सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को संचयी आधार पर वर्तमान बकाया से कम राशि प्राप्त होगी। हालाँकि, संकल्प आवेदक बलिदानों को मान्यता देता हैआज तक वित्तीय लेनदारों द्वारा पहले ही किया जा चुका है और यह तथ्य कि वित्तीय लेनदारों द्वारा ऋण पुनर्गठन के प्रयास अतीत में विफल रहे हैं। समाधान आवेदक सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को भुगतान करने का प्रस्ताव कर रहा है, धारा V के तहत बताई गई राशि जो कि परिसमापन के मामले में एक वर्ग के रूप में सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को प्राप्त होने वाली पुनर्गठनों की तुलना में काफी अधिक है। प्रस्ताव आवेदक द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित भुगतान

असुरक्षित वित्तीय लेनदार उन वसूली की तुलना में भी अधिक है जो एक वर्ग के रूप में असुरक्षित वित्तीय लेनदार परिसमापन के मामले में महसूस करेंगे, क्योंकि परिसमापन मूल्य असुरक्षित वित्तीय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

लेनदार शून्य हैं।

समाधान आवेदक ने ऋणदाताओं की समिति को यह तय करने का अधिकार दिया है कि समाधान आवेदक द्वारा वित्तीय ऋणदाताओं को दिए जा रहे वित्तीय पैकेज को सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं को कैसे वितरित किया जाएगा। वित्तीय लेनदारों को इस तरह के सभी आवंटन होंगे –सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी।

असुरक्षित वित्तीय लेनदारों (उन सुरक्षित वित्तीय लेनदारों सहित जिनके पास असुरक्षित साधनों के खिलाफ स्वीकार किए गए दावे हो सकते हैं) अर्थात स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, लंदन शाखा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा, मेलवानी गोपाल थ्रुमल और/या मेलवानी विनोद, श्री अरविनलाल एन. शाह और श्रीमती इंदुमती ए. शाह, श्री जिवत के. दानसंगानी और श्रीमती नीतू जे. धनसंगानी और नाथू राम वर्मा के लिए एस. बी. आई. रुपये के नोट और व्यक्तिगत रुपये के नोट, जिन्होंने 28 फरवरी 2018 तक (6 मार्च 2018 को वी. डी. आर. पर अपलोड किए गए दस्तावेज़ 2.5.8 के आधार पर, जो सुरक्षित और असुरक्षित वित्तीय लेनदारों का विभाजन प्रदान करता है) दावे स्वीकार किए हैं, उन्हें उनके स्वीकार किए गए दावों की कुल राशि का 5 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की कमी। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसके अलावा, आरएफपी के अनुसार, यह है

उन्होंने स्पष्ट किया किः

अ)

कोई भी अधिशेष नकदी सकारात्मक है

निगम ऋणदाता की योजना के अनुसार 31 दिसंबर 2017 को अनुमोदन तिथि और सामान्यीकृत कार्यशील पूंजी को समाधान योजना के तहत समापन समायोजन के रूप में अग्रिम नकद वसूली में जोड़ा जाएगा; और

ख) द्वारा उत्पन्न ईबीआईटीडीए

योजना के बीच कॉर्पोरेट ऋणदाता

वित्तीय लेनदारों को अग्रिम भुगतान किया जाता है।नकद राशि उपलब्ध होगी

समाधान के तहत अग्रिम नकद वसूली के अलावा वित्तीय लेनदार

योजना बनाएँ।

हालाँकि, यहाँ कुछ भी बताए जाने के बावजूद, एक असहमत वित्तीय लेनदार केवल

परिसमापन के मामले में वित्तीय लेनदार निगमित देनदार, जिसका भुगतान किया जाएगा

अग्रिम नकद वसूली राशि की पेशकश की जा रही है।

ऑपरेशनल

समाधान आवेदक इस भूमिका को मान्यता देता है कि

संपादक (अन्य)

विभिन्न व्यापार लेनदारों ने इस संबंध में भूमिका निभाई है

निगमित देनदार के व्यवसाय के साथ। जबकि

एक मजदूर,

लेनदारों के एक वर्ग के रूप में परिचालन लेनदार

कर्मचारी और

निगम के परिसमापन पर शून्य रिटर्न प्राप्त करें

अतिमानसिक

ऑपरेशनल

ऋणदाता, समाधान आवेदक समझौता करने के लिए सहमत हो गया है

लेनदार)

ऊपर धारा 5 में निर्धारित सीमा तक स्वीकार किए गए दावों का हिस्सा। उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना,

समाधान आवेदक अलग रखने का इच्छुक है

छोटे व्यापार लेनदारों के दावों के कम से कम हिस्से का निपटान करने के लिए वित्तीय पैकेज के तहत राशि। यह

व्यापार लेनदारों के वर्ग को इस तरह प्रदान किया जा रहा हैभुगतान क्योंकि समाधान आवेदक समझता है

कि ये व्यक्ति आम तौर पर छोटे का एक हिस्सा बनाते हैं पैमाने/मध्यम क्षेत्र के उद्यम, जो उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और

संचालन का पैमाना इस स्थिति में नहीं हो सकता है कि मौसम के व्यापक आर्थिक और वित्तीय झटके।

चिन्हित व्यापार लेनदारों को इस धारणा पर भुगतान किया जा रहा है कि वे निगमित ऋणदाता के साथ अपनी व्यवस्था जारी रखेंगे और किसी भी तरह से ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं करेंगे जिससे निगम के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।कॉर्पोरेट देनदार। व्यापार लेनदारों द्वारा भुगतान की स्वीकृति को एक रूप में माना जाएगा

उपरोक्त शर्त की स्वीकृति।

समाधान आवेदक यह मानता है और समझता है कि व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के एक हिस्से के रूप में कुछ परिचालन लेनदारों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है और इसके लिए तैयार है

ऐसा एक-एक मामले के आधार पर करें।समाधान आवेदक का उद्देश्य एक

सरकारी

ऑपरेशनल

सरकारी प्राधिकरणों और निगमों के बीच अच्छे कार्य संबंध

लेनदार

देनदार और कॉरपोरेट देनदार को योजना अनुमोदन तिथि से आगे बढ़ते हुए कॉरपोरेट देनदार द्वारा किए जाने वाले वैधानिक बकाया का विधिवत भुगतान समय पर करने के लिए प्रेरित करेगा। निगमित ऋणदाता के पुनरुत्थान से उन भौगोलिक क्षेत्रों में सरकारी प्राधिकरणों द्वारा कर संग्रह में भी वृद्धि होगी जहां निगमित ऋणदाता काम करता है।

85. 22.10.2018 पर, मूल में विभिन्न परिवर्तन किए गए थे।

समाधान योजना इस प्रकार हैः

" एएम इंडिया के एएम इंडिया के प्रतिनिधियों ने आरपी को धन्यवाद दिया।

इसके बाद, उन्होंने किए गए संशोधनों का एक संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया

वित्तीय प्रस्ताव। उन्होंने बताया कि निर्देशों के अनुसार

सी. ओ. सी., ए. एम. इंडिया ने इसके साथ विचार-विमर्श और बातचीत की थी

उप-समिति। इसके बाद, प्रतिनिधि ने कुछ बातों पर प्रकाश डाला

समाधान योजना में किए गए प्रमुख संशोधन, जो अन्य बातों के साथ-साथ

उपलब्ध (क) अग्रिम नकद वसूली के संबंध में संशोधन शामिल हैं।

ई. एस. आई. एल. के सुरक्षित और असुरक्षित वित्तीय लेनदारों को; (बी) अग्रिम

ताजा पूंजी निवेश; (सी) समापन समायोजन की प्रक्रिया, जो इसमें लेखापरीक्षा का प्रावधान शामिल था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने नहीं किया था

बातचीत काफी हद तक वित्तीय प्रस्ताव के आसपास थी औरकि ए. एम. इंडिया सहमति के अनुसार योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसके बाद, ए. एम. इंडिया के प्रतिनिधि ने भी संशोधित वित्तीय प्रस्ताव के संबंध में सी. ओ. सी. के सदस्यों के साथ विचार–विमर्श किया।

और उसके संबंध में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया।

यह कहा गया था कि प्रतिभूति का मूल्य और गुणवत्ता वह आधार होना चाहिए जिसके आधार पर अधिकांश प्रतिभूति प्राप्त लोगों द्वारा आय का वितरण किया जाना चाहिए।

वित्तीय लेनदार। इस संशोधित समाधान योजना को एक

अधिकांश 92.24% वित्तीय लेनदार। जहां तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का संबंध है, कॉर्पोरेट देनदार की परियोजना परिसंपत्तियों पर शुल्क रखने वाले सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बीच साझाकरण अनुपात 99.86% था, जबकि 0.14%, जिसमें केवल ई. एस. ओ. एल. के शेयरों की गिरवी पर शुल्क था, जो कि कॉर्पोरेट की अपतटीय सहायक कंपनी थी।

ऋणी। प्रभावी तिथि पर सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को अग्रिम भुगतान अब 41 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये होगा।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को करोड़। यह बताया गया कि यह प्रतिभूति के रूप में उन शेयरों के मूल्य पर आधारित था, जो केवल आई. एन. आर. 24.86 करोड़ था। इस संशोधित समाधान योजना की स्वीकृति के लिए दिए गए कारणों को निम्नानुसार बताया गया थाः

" सी. ओ. सी. की बहुमत सहमति से (मानक चार्टर्ड को छोड़कर)

बैंक और एस. आर. ई. आई.), इस बात पर सहमत हुए कि वितरण की निष्पक्षता

केवल तभी प्रतिबिंबित होगा जब वितरण अंतर्निहित आधार पर किया जाए

सुरक्षा मूल्य और सुरक्षा की गुणवत्ता। तुलना के आधार पर

उचित मूल्य और परिसमापन के आधार पर दो सुझाए गए विकल्प मूल्य, सभी हितधारकों के हित में और संहिता के उद्देश्य के साथ सी. ओ. सी. को परिसमापन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार साझाकरण अनुपात को स्वीकार करने और सुरक्षित करने का भी प्रस्ताव है।

ई. एस. आई. एल. की परियोजना परिसंपत्तियों पर प्रभार रखने वाले वित्तीय लेनदाररुपये का बलिदान देना। 37.76 करोड़ (साझा करने को अपनाने के लिए)

उचित मूल्य के बजाय परिसमापन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अनुपात)

ई. एस. ओ. एल. के शेयरों की प्रतिज्ञा पर प्रभार।समाधान राशि का आवंटन करते समय यह ध्यान रखना उचित है

कि लेनदारों की समिति के पास व्यापक विवेकाधिकार है समाधान योजना की शर्तों का निर्धारण करें।

ए. शुरुआत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) के प्रावधानों के तहत विधायिका ने अपने विवेक से वाणिज्यिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने को पूरी तरह से लेनदारों की समिति [2019] 16 एस. सी. आर. के अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया है।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

(सीओसी)। वास्तव में यहां तक कि दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट (जो संहिता के अधिनियमन का आधार बनी) भी विशेष रूप से संहिता की जानबूझकर बनाई गई योजना को नोट करती है, जहां कानून दिवालियापन समाधान के किसी विशेष तरीके को निर्धारित नहीं करता है औरइस व्यावसायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को विधायिका के साथ–साथ न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बिना सी. ओ. सी. पर छोड़ देता है।

इसके अलावा, प्रो रेट वितरण एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है।

परिसंपत्तियों के वितरण का, क्योंकि यह विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाएगा जहां लेनदारों को अपना नुकसान होगा

ऋण के पुनर्गठन की स्वतंत्रता जैसा वे उचित समझते हैं। यह एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक निर्णय है जिसे संहिता द्वारा लिया जाना आवश्यक है और सभी मामलों के लिए एक स्ट्रैट जैकेट फॉर्मूला के परिणामस्वरूप संहिता के प्रावधानों में कमी आएगी और सभी सुरक्षित लेनदारों को समाधान का विकल्प चुनने के बजाय कंपनी को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह ध्यान दिया गया कि आम तौर पर सभी सुरक्षित वित्तीय लेनदार विवेकपूर्ण संस्थाएं होती हैं जो उचित परिश्रम करने के बाद ऋण देती हैं और माना जाता है कि वे अपने ब्याज और जोखिमों का पर्याप्त मूल्यांकन करने में सक्षम हैं। इसके अलावा यह ऋण बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और बैंकों और अन्य वित्तीय लेनदारों को बड़े ऋण देने से हतोत्साहित कर सकता है।

समाधान योजना और उसे मंजूरी देने के उसके निर्णय में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।या अपीलीय प्राधिकरण, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की धारा एम. एम. आई. टी. ई. के संदर्भों को छोड़कर।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एम. के. शाह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य। इन एंड दर्शाक एंटरप्राइज प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। वी. छपारिया इंडस्ट्रीज

प्रा. लिमिटेड और ओआरएस।

ई. संहिता विशेष रूप से सी. ओ. सी. को संहिता की धारा 30 (4) के तहत आवश्यक बहुमत के साथ एक प्रस्ताव को मंजूरी देने की शक्ति प्रदान करती है, जैसा कि इसके तहत निर्धारित किया गया है। यह एक

कानून में स्वीकृत स्थिति, और जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि

जहाँ एक शक्ति प्रदान की जाती है या एक कानून द्वारा एक कर्तव्य लगाया जाता है, और स्पष्ट रूप से बाधित करने वाला कुछ भी नहीं है

किसी भी सीमा या प्रतिबंधों द्वारा शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का निष्पादन यह अभिनिर्धारित करना उचित है कि वह अपने साथ ऐसे सभी कार्यों को करने या ऐसे सभी साधनों को नियोजित करने की सभी शक्ति रखता है जो इसके निष्पादन के लिए उचित रूप से आवश्यक हैं। निम्नलिखित प्रावधान

संहिता और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)। विनियमन 2016 (सी. आई. आर. विनियम) ने इस संबंध में सी. ओ. सी. की शक्तियों को निर्धारित किया:

संहिता की धारा 31 (समाधान योजना की मंजूरी):

" (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि संकल्प

धारा 30 की उप–धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित योजना धारा 30 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगी जो निगमित देनदार और उसके लिए बाध्यकारी होगी।

समाधान योजना में शामिल कर्मचारी, सदस्य, ऋणदाता, गारंटर और अन्य हितधारक।सी. आई. आर. विनियम, 2016 का विनियम 39;

" (2) समाधान पेशेवर उन सभी समाधान योजनाओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो संहिता और इन विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(3) समिति उचित समझे जाने वाले संशोधनों के साथ किसी भी समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है।

यह दिवाला कानून का एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि दिवाला की शुरुआत से पहले मौजूद लेनदार के अधिकारों और प्राथमिकता वाले दावों की श्रेणी को दिवाला कार्यवाही में मान्यता दी जानी चाहिए और उनका सम्मान किया

जाना चाहिए। वर्तमान और पद की प्राथमिकताओं की ऐसी श्रेणी को मान्यताप्रारंभ लेनदार के दावे ऋणदाताओं को पूर्वानुमेयता प्रदान करते हैं और नियमों के सुसंगत अनुप्रयोग को सुनिश्चित करते हैं, कार्यवाही में विश्वास पैदा करते हैं और सक्षम करते हैं।

सुरक्षित लेनदारों के अधिकारों और प्राथमिकताओं के संबंध में। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए आवश्यक है कि उन दावों को प्राथमिकता दी जाए जो वाणिज्यिक सौदेबाजी पर आधारित नहीं हैं। यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर राष्ट्र आयोग (यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल.) दिवाला कानून पर विधायी गाइड (इसके बाद, "यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. गाइड") अध्याय में जो "प्रभावी और प्रभावी व्यापार कानून के प्रमुख उद्देश्यों और संरचना" की नीति और विधायी डिजाइन की सिफारिश करता है।

कुशल दिवाला कानून " इसके अलावा, इस सिद्धांत की मान्यता में कि लेनदार के अधिकार और पहले से मौजूद प्राथमिकता वाले दावों की श्रेणीकरण

दिवाला की कार्यवाही में दिवाला की शुरुआत को मान्यता दी जानी चाहिए और इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। लेनदार के अधिकारों की रक्षा/सम्मान करने और प्राथमिकता वाले दावों की श्रेणीकरण के लिए, आई. बी. सी. किसी भी तरह से समाधान आवेदक पर कोई भी निर्देश, अनिवार्य या अन्यथा लागू नहीं करता है जो दिवालिया होने पर लेनदार के अधिकारों और सुरक्षित लेनदारों के प्राथमिकता वाले दावों को बाधित करेगा।

प्रारंभ की तारीख। यदि इस नियम को मान्यता नहीं दी जाती है, तो यह सभी स्थितियों के लिए स्वतंत्र होगा, अराजकता से कम नहीं होगा, जैसा कि अंतर सुरक्षा हितों पर कोई भी अधिकार है।

तब इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

इसलिए अंत में, चूंकि संहिता सी. ओ. सी. को निगमित ऋणदाता के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी देने की शक्ति प्रदान करती है, इस तरह के समाधान का तरीका

इसका निष्पादन एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट समिति के निर्णय सहित किया जाएगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वितरण की पद्धति या राशि के बारे में

व्यक्तिगत हितधारकों को भी धन का भुगतान किया जाएगा

एक निर्णय हो जिसे सी. ओ. सी. को लेने की अनुमति दी जाएगी,विशेष रूप से किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में

संहिता सी. ओ. सी. द्वारा इस तरह के निर्णय को प्रतिबंधित करती है। जितने लंबे समय तक

क्योंकि ऐसे निर्णय के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं

कोड "।

86. 23.10.2018 पर अनुमोदित अंतिम समाधान योजना इस प्रकार थी

निम्नलिखित–एक अग्रिम राशि के रूप में प्रभावी तिथि पर भुगतान किए जाने वाले 35,000 करोड़ रुपये के स्थान पर, 39,500 करोड़ रुपये और 2500 करोड़ रुपये, कुल 42,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था। समाधान आवेदक इस बात पर सहमत हुआ कि ऋणदाताओं की समिति यह तय करेगी कि समाधान आवेदक द्वारा वित्तीय ऋणदाताओं को दिए जा रहे वित्तीय पैकेज को सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं को कैसे वितरित किया जाएगा। द.

भुगतान

10 लाख रुपये से अधिक की दावा राशि वाले असुरक्षित वित्तीय लेनदारों को 17.4 करोड़ रुपये और 10 लाख रुपये से कम की दावा राशि वाले ऐसे लेनदारों को 8,000 करोड़ रुपये दिए जाने थे। तो।

जहां तक परिचालन ऋणदाताओं का संबंध है, कोई बदलाव नहीं किया गया था।

87. दिनांकित ऋणदाताओं की समिति की 22 वीं बैठक में

27.03.2019 , एन. सी. एल. टी. के 08.03.2019 आदेश पर चर्चा की गई और यह महसूस किया गया कि परिचालन ऋणदाताओं के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक का 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैः

" ई. ए. आर. सी. के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि बिना किसी पूर्वाग्रह केअपीलों के लिए, एकमुश्त राशि निर्धारित की जा सकती है–अलग और रखी जा सकती है

वोट दें क्योंकि वे इसकी जांच करने के खिलाफ नहीं हैं। प्रतिनिधि

एस. बी. आई. ने ई. ए. आर. सी. के प्रतिनिधि के विचारों से सहमति व्यक्त की।उन्होंने आगे उल्लेख किया कि सीओसी के साथ–साथ एससीबी ने भी चुनौती दी है

एनसीएलटी आदेश। एस. बी. आई. ने एक निर्धारित राशि अलग रखने का प्रस्ताव रखा है।

प्रभाव पर मतदान किया जा सकता है।आरपी ने एस. बी. आई. के प्रतिनिधि से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या

आई. एन. आर. 1,000 करोड़ की प्रस्तावित राशि इससे अधिक होगी। आई. एन. आर. 196 करोड़ जो पहले से ही संकल्प में शामिल है

परिचालन ऋणदाताओं के लिए योजना। एस. बी. आई. के प्रतिनिधि ने पुष्टि कीकि यह वर्तमान प्रस्ताव, [2019] 16 एस. सी. आर. के ऊपर और ऊपर होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालांकि यह अतिरिक्त राशि 1,000 रुपये तक सीमित होगी।करोड़ "।

शीर्षक के तहत "भुगतान की जाने वाली प्रस्तावित राशि के वितरण के संबंध में माननीय टी के सुझावों पर चर्चा"

ऋणदाताओं की बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि ऋणदाताओं की समिति ने न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की राय मांगी थी और प्राप्त की थी। इस राय दिनांकित 23.03.2019 ने निम्न स्तरों को बतायाः

" इस विचित्र स्थिति को देखते हुए, जहां एक वित्तीय लेनदार के पास है

मूल्यांकन करने वाले निगमित देनदार को अग्रिम धनवाणिज्यिक जोखिम और निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर शुल्क द्वारा उसके जोखिम को कवर करता है, उसके परिसमापन मूल्य या अपने ऋण के लिए किसी अन्य निश्चित मूल्य का हकदार होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। किसी भी मामले में, संकल्प द्वारा तैयार की गई योजना

आवेदक को अंतिम अनुमोदन के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह उस समय है जब सी. ओ. सी. बनाने वाले ऋणदाताओं का व्यावसायिक विवेक काम में आता है और वे समाधान योजना को मंजूरी देने या न देने के लिए कॉल करने के हकदार हैं, जिसे एफ. आर. पी. ने सी. ओ. सी. के समक्ष अपनी मंजूरी के लिए रखा है। इसलिए, मेरे विचार में, स्वीकृत समाधान योजना सुरक्षित और असुरक्षित वित्तीय के बीच वर्गीकृत करने में पूरी तरह से उचित होगी।

सी. ओ. सी. समाधान योजना को मंजूरी देते समय उसके व्यावसायिक विवेक पर निर्णय लेगा। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य मामलों में बताया है। (2018 की सिविल अपील संख्या 10673) सी. ओ. सी. का ऐसा वाणिज्यिक निर्णय नहीं है।संहिता के तहत अपील के अधीन।

परिसर में, मेरी राय है कि एस. सी. बी. को अन्य वित्तीय लेनदारों की तुलना में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अलग रखा गया था कि उसके पास परियोजना परिसंपत्तियों पर कोई शुल्क या प्रतिभूति नहीं थी, लेकिन

एक अपतटीय कंपनी के शेयरों पर गिरवी रखने और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दी गई कॉर्पोरेट गारंटी के आधार पर 1 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का ऋण दिया। अंततः सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना पूरी तरह से तैयार थी।

एस. सी. बी. को एस. एस. ए. आर. स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की ठोस सीमा के आधार पर अलग तरीके से माना जाना उचित है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और बोधगम्य अंतर जो मामले के तथ्यों से स्पष्ट है। मुझे संहिता के प्रावधानों में कुछ भी नहीं दिखता है

नियम जो सी. ओ. सी. द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ होंगे।

मैं यहां यह भी जोड़ सकता हूं कि सी. ओ. सी. के समाधान के लिए मतदान करने वाले ऋणदाताओं की व्यावसायिक बुद्धिमत्ता इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि उन्होंने इसमें शामिल वाणिज्यिक जोखिम का आकलन करने के बाद कॉर्पोरेट देनदार की परियोजना परिसंपत्तियों पर प्रतिभूतियां बनाई थीं। तथापि, एस. सी. बी. के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि केवल निगमित देनदार से निगमित गारंटी के साथ-साथ निगमित देनदार द्वारा धारित अपतटीय कंपनी के शेयरों पर शुल्क की मांग करके बड़ी राशि के लिए प्रतिभूति के तहत सकल 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिसमें ऐसे ऋणदाता का परिसमापन मूल्य शामिल है।

शेयर मात्र रु. है। 60.71 करोड़। वास्तव में, तथ्य स्थिति को देखते हुए, मुझे यह समझना मुश्किल लगता है कि क्या एस. सी. बी. को वास्तव में एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जा सकता है। मैं उनमें से हूँ

राय है कि भले ही कॉर्पोरेट गारंटी को लागू किया जाना था, एस. सी. बी. एक सुरक्षित लेनदार के रूप में केवल अपतटीय कंपनी के शेयरों के मूल्य की सीमा तक ही खड़ा होगा।

गारंटी के प्रवर्तन की तारीख और उसके द्वारा दिए गए शेष ऋण के संबंध में एक असुरक्षित लेनदार के रूप में। यह एक समान रूप से वैध विचार है जिसने समाधान योजना को मंजूरी देते समय सी. ओ. सी. को स्थानांतरित किया होगा जिसके द्वारा वितरण के लिए अंतिम विवेकाधिकार सी. ओ. सी. पर इस घोषणा के साथ छोड़ दिया गया है कि वित्तीय लेनदारों को ऐसा आवंटन सभी हितधारकों पर बाध्यकारी होगा, जिसमें एस. सी. बी. भी शामिल होगा।

XXX XXX XXX तथ्यों और परिस्थितियों में, मेरी राय है कि जिस तरह से समाधान योजना तैयार की गई थी और मतदान लेनदारों के भारी बहुमत द्वारा अनुमोदित की गई थी, वह न केवल पूरी तरह से उचित है, बल्कि न्यायसंगत भी है। जिस तरह से

सर्वोच्च न्यायालय ने स्विस रिबन (उपरोक्त) में कहा है, "न्यायसंगत" का अर्थ समान वितरण नहीं है; इसका अर्थ है वितरण जो प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक हितधारक के साथ न्याय करता है। मेरी राय में, केवल समान वितरण निश्चित रूप से 92.24% शेयरधारकों के बड़े बहुमत के साथ अन्याय करेगा।

वाणिज्यिक ज्ञान ने यह सुनिश्चित किया था कि प्रतिभूति परियोजना परिसंपत्तियों पर बनाई गई थी, जबकि एस. सी. बी. एक शुल्क [2019] 16 एस. सी. आर. बनाने में संतुष्ट था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित देनदार से निगमित गारंटी "।88. उपरोक्त राय सभी समितियों के साथ साझा की गई थी

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सहित टॉर्स के सदस्य। महत्वपूर्ण बात यह है कि

यह रिकॉर्ड हैः

" इस बिंदु पर, केनरा बैंक के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें निम्नलिखित प्रश्नों पर स्पष्टता की आवश्यकता हैएस. सी. बी. के संशोधित विभाजन पर विचार कीजिएः ((क) क्या कोई

निगम लेने से पहले ऋणदाताओं से एन. ओ. सी. ली गई थी।

गारंटी, क्योंकि यह प्रतिबंधों में एक वित्तीय वाचा है

ऋणदाता? (ख) जब एस. सी. बी. ने एस्सार स्टील ऑफशोर लिमिटेड (ई. एस. ओ. एल.) को वित्त पोषित किया था, क्या एस. सी. बी. ने ट्रिनिटी कोयला खदानों की सुरक्षा को संपार्श्विक के रूप में नहीं लिया था, और क्या एस. सी. बी. ने एस्सार स्टील ऑफशोर लिमिटेड (ई. एस. ओ. एल.) से नकदी प्रवाह और प्रमाण पत्र लिए थे।

प्रतिभूति के रूप में परिसंपत्तियाँ? (ग) ऋण का अंत–उपयोग क्या है और क्या था?

वह उद्देश्य–उपयोग सुनिश्चित किया गया? यह परियोजना किस स्तर पर है? क्या थे?

क्या वास्तव में परियोजना में धन का निवेश किया गया है? XXX XXX XXX

एस. सी. बी. के प्रतिनिधियों ने मूल्यांकन का मुद्दा उठाया और ई. एस. ओ. एल. शेयरों के 24 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य का उचित अनुमान नहीं लगाया गया है और यह गलत है। मूल्य का अनुमान डेस्कटॉप मूल्यांकन के आधार पर लगाया गया है और मूल्यांकनकर्ता ने अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया है। ट्रिनिटी की इक्विटी की एक मूल्यांकन रिपोर्ट आर. पी. द्वारा कॉर्पोरेट देनदार से प्राप्त होने के बाद साझा की गई थी जो यू. एस. डी. से अधिक मूल्य दिखाती है।

600 एमएन।

XXX XXX XXX

इसके अलावा, ई. ए. आर. सी. के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या अंतर्निहित ऋण प्रमुख उधारकर्ता के खिलाफ लागू किए गए हैं और क्या कोई धन दिया गया है।

उन्होंने जवाब दिया कि ये प्रश्न इस समय प्रासंगिक नहीं थे और वे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते थे। एस. बी. आई. प्रतिनिधि ने बताया कि ये सवाल उठाए गए हैं

इससे पहले और एस. सी. बी. ने कभी भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की XXX XXX XXX समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दस्तावेज़ों को साझा करने से इनकार कर दिया और किसी का भी जवाब नहीं दियासीओसी के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कहा गया है कि

वे ही इस स्तर पर अप्रासंगिक थे।

XXX XXX XXX आईसीआईसीआई बैंक ने यह भी कहा कि यह दर्ज किया जाना चाहिए कि एससीबी

एस. सी. बी. के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि यह स्पष्ट है कि प्रस्तावयह केवल काल्पनिक था।

ई. ए. आर. सी. द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि एस. सी. बी. को संशोधित वितरण किया जाए।

एन. सी. एल. टी. आदेश के अनुसार मामले पर भी मतदान किया जाना चाहिए और

अन्य ऋणदाताओं ने भी इसी बात पर सहमति व्यक्त की।

(जोर दिया गया)

अंत में, परिचालन के लिए 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

लेनदारों को ऋणदाताओं की समिति के 70.73% के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया था।

89. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, श्री सिब्बल की ओर से प्रस्तुतियाँ

खैर, हमने देखा है कि कैसे बातचीत के दौरान, अधिकांश वित्तीय लेनदारों ने अंततः निर्णय लिया है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को केवल अपने सुरक्षा हित के आधार पर एक राशि मिलेगी, जिसे आर्सेलर मित्तल द्वारा स्वीकार किया गया था। श्री सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि अंतिम समाधान योजना ने अंततः भारतीय रुपये के बजाय 39,500 करोड़ रुपये की राशि की पेशकश की।42,000 करोड़, एक न्यूनतम अग्रिम भुगतान है जिससे ऊपर की ओर बातचीत करना संभव था लेकिन नीचे की ओर नहीं। हम नहीं पहुँच सकते

यह निष्कर्ष कि ऋणदाताओं की समिति के बहुमत द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति को इस आधार पर अलग रखा जाना चाहिए,

अन्य रूप से, इस कारण से कि श्री सिब्बल ने हमें आश्वासन दिया कि वे संशोधित योजना की स्वीकृति पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल राशि (2019) के वितरण पर हमला कर रहे हैं।

उक्त योजना के तहत देय। ऐसा होने पर, श्री सिब्बल के इस कथन को स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि समाधान योजना की "व्यवहार्यता और व्यवहार्यता" में उक्त योजना के तहत ऋण की राशि का वितरण शामिल नहीं होगा। श्री सिब्बल की इस दलील को स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि समाधान योजना में ही सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बीच वितरण का प्रावधान होना चाहिए। यह पर्याप्त है कि संहिता और विनियमों के तहत, समाधान योजना विभिन्न प्रकार के लेनदारों के वर्गीकरण के आधार पर ऋणों के लिए देय राशि के वितरण का प्रावधान करती है। यह आर्सेलर मित्तल की मूल योजना के साथ-साथ बातचीत की गई योजना दोनों पहले ही कर चुकी हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, दोनों योजनाओं में श्रमिकों को अलग से भुगतान की जाने वाली राशि शामिल है, 1 करोड़ रुपये और उससे कम के परिचालन ऋणदाता, 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के परिचालन ऋणदाता और वित्तीय ऋणदाता, जिन्हें अलग से उप-वर्गों के रूप में सुरक्षित और असुरक्षित में विभाजित किया गया है। सभीजिसे आर्सेलर मित्तल द्वारा वितरण के लिए छोड़ दिया गया था, वह सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बीच अंतर-वितरण था जो तब 92.24% के बहुमत द्वारा किया गया था, जैसा कि ऊपर उनके संबंधित सुरक्षा हितों के मूल्य के आधार पर देखा गया है। इसलिए, यह आरोप कि लेनदारों की समिति ने आर्सेलर मित्तल को 42,000 करोड़ रुपये की पेशकश राशि को 2,500 करोड़ रुपये तक कम करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किए गए गंभीर प्रस्ताव से मुक्त कर दिया, ताकि आर्सेलर मित्तल ओ. एस. पी. आई. एल. के ऋणों का अधिग्रहण कर सके, फिर से बातचीत का विषय है क्योंकि आर्सेलर मित्तल के साथ लेनदारों की समिति द्वारा लिया गया एक व्यावसायिक निर्णय है। में।

ऐसा वर्गीकरण लेनदार द्वारा प्राप्त प्रतिभूति के परिसमापन मूल्य और सभी सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को वितरित शेष राशि पर होना चाहिए। उनके अनुसार, वितरण की इस पद्धति को भारतीय स्टेट बैंक v में लागू किया गया है। उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स लिमिटेड सी. ए. (आई. बी.) सं. 391/के. बी./2018, एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा बाधित नहीं। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त वर्गीकरण को लागू करते हुए, औसत परिसमापन मूल्य एएसएसएआर स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिट समिति का है।

वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

91. ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई उपर्युक्त निर्णय को पढ़ता है, तो यह ऋणदाताओं की समिति के 66 प्रतिशत के बहुमत से होता है, जिन्होंने इस विशेष तरीके से संहिता के तहत निहित विवेक का प्रयोग किया है, जिसे तब एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा सही ढंग से बाधित नहीं किया गया है। श्री सिब्बल के मुवक्किल की मदद करने की जगह, ऐसे मामले में जो सिद्धांत लागू किया जाता है, वह यह है कि अंततः किसी भी मामले के तथ्यों पर ऋणदाताओं की समिति के आवश्यक बहुमत का व्यावसायिक विवेक प्रबल होना चाहिए, जिसमें उड़ीसा में मैंगनीज में सुझाए गए तरीके से वितरण शामिल होगा।(ऊपर)। इसलिए, इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और परिणामस्वरूप अपीलीय प्राधिकरण को उड़ीसा मैंगनीज मामले (उपरोक्त) में लेनदारों की समिति द्वारा लागू किए गए निर्णय को लागू करने का विवेकाधिकार होगा। यह प्रस्तुति भी योग्यता से रहित है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

92. श्री सिब्बल का दूसरा तर्क कि संहिता की धारा 53 केवल परिसमापन के दौरान लागू होगी, न कि इस स्तर पर दिवालियापन का समाधान करना सही है। संहिता की धारा 30 (2) (बी) धारा 53 को लेनदारों के भुगतान की प्राथमिकता के संदर्भ में नहीं, बल्कि केवल परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान प्रदान करने के लिए

संदर्भित करती है। हालांकि, यह किसी भी तरह से लेनदारों की समिति को लेनदारों को वित्तीय या परिचालन और सुरक्षित या असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत करने से सीमित नहीं करता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, लेनदारों की समिति को पूर्ण स्वतंत्रता और विवेकाधिकार दिया गया है कि वह लेनदारों को इस प्रकार वर्गीकृत करे और सुरक्षित लेनदारों को ऐसी राशि का भुगतान करे जो उनकी प्रतिभूति के मूल्य पर आधारित हो सकती है, जिसे वे अन्यथा संहिता की प्रक्रिया के बाहर प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे निगमित समाधान प्रक्रिया ही बाधित हो जाएगी।

समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर पूर्ण विवेकाधिकार, जिसमें उनमें निहित ऋणों के वितरण का तरीका शामिल है, संचालन ऋणदाताओं सहित सभी हितधारकों के हितों से निपटने से संबंधित संहिता के प्रावधानों का पालन करने के अधीन है। लेनदारों की समिति किसी भी न्यास में कार्य नहीं करती है। ऋणदाताओं के किसी भी समूह के लिए क्षमता, जैसा कि श्री सिब्बल द्वारा सुझाया गया है। इसके विपरीत, यह बहुमत द्वारा जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर एक व्यावसायिक निर्णय लेना है, जो तब सभी हितधारकों को बांधता है, जिसमें शामिल हैं –

असंतुष्ट लेनदार। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बहुमत के लिए आवश्यक मूल सीमा 75 प्रतिशत थी। यह काम के दौरान हैप्रस्ताव आवेदक द्वारा किए गए कई दावों को स्वीकार करने का निर्देश देता है, जो उपरोक्त निर्णय के खिलाफ अपील करने के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया था, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

95. जहां तक 2019 की सिविल अपील संख्या 6409 का संबंध है, हमने विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय के पैराग्राफ 70 से 76 का अध्ययन किया है।इस प्रभाव से कि भंडार पावर लिमिटेड के प्रति भुगतान दायित्व के कारण निगमित देनदार द्वारा जारी किए गए चेक जारी नहीं किए गए थे

96. जहां तक सिविल अपील डायरी संख्या 36838 का संबंध है, हमने संबंधित दस्तावेजों और विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय के पैराग्राफ 63 और 64 का अध्ययन किया है और पाया है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने गलती की है। चूंकि इसने इस अपीलार्थी के दावे को इस तथ्य के बावजूद जोड़ा है कि दावे को समाधान पेशेवर द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति की दोहरी गिनती हुई।वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]इस अपीलार्थी का ऋण। यह स्थिति होने के कारण, हमें यह आवश्यक लगता हैविवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय के इस हिस्से को भी दरकिनार करना।

97. जहाँ तक 2019 की सिविल अपील संख्या 6266 है, हमने विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय के पैराग्राफ 78 से 81 का अध्ययन किया है और पाया है कि नहीं।एन. सी. एल. ए. टी. के इस निष्कर्ष को हटाने का कारण कि दावा दायर किया गया था समाधान योजना के अनुमोदन के बाद अपीलार्थी द्वारा। हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. का यह निष्कर्ष कि उक्त दावा मध्यस्थता के अधीन है और अपीलार्थी के लिए संहिता की धारा 60 (6) के संदर्भ में मामले को आगे बढ़ाने के लिए खुला था, इस निर्णय के संदर्भ में अलग होने योग्य है। फलस्वरूप यह अपील खारिज कर दी जाती है।

98. जहां तक 2019 की सिविल अपील संख्या 6269 का संबंध है, हमने विवादित एन. सी. एल. ए. टी. के पैराग्राफ 83,84 और 196 का अध्ययन किया है। निर्णय दें और अपीलार्थी के इस तर्क में बल प्राप्त करें कि विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय में उतनी ही त्रुटि हुई है जितनी वह दावे की राशि को, जैसा कि स्वीकार

किया गया है, आई. एन. आर. 124.88 करोड़ की राशि के रूप में नोट करता है, लेकिन बाद में उसी निर्णय में प्रस्ताव पेशेवर द्वारा प्रस्तुत चार्ट के आधार पर उक्त राशि को आई. एन. आर. 2.47 करोड़ के रूप में नोट किया गया है। समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत यह चार्ट आई. एन. आर. 2.47 करोड़ (एन. सी. एल. टी. निर्णय दिनांक 08.03.2019 के बाद जोड़ा गया) की राशि को निर्दिष्ट करता है, जो समाधान पेशेवर द्वारा पहले से ही स्वीकार की गई आई. एन. आर. 124.88 करोड़ की राशि के अतिरिक्त है। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपीलार्थी के दावे की राशि के रूप में आई. एन. आर. 2.47 करोड़ राशि को नोट करने में गलती की है, और निर्णय के इस हिस्से को भी अलग रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, अपीलार्थी का दावा समाधान पेशेवर द्वारा स्वीकार और पंजीकृत दावा होगा। इसके अलावा, हम आई. एन. आर. 121.72 करोड़ की राशि के संबंध में अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं क्योंकि इसे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से खारिज कर दिया गया है कि उक्त दावा सी. आई. आर. पी. अवधि पूरी होने के बाद दायर किया गया था। हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय क्योंकि इसने अपीलार्थी के लिए संहिता की धारा 60 (6) के संदर्भ में मामले को आगे बढ़ाने के लिए खुला छोड़ दिया था, इस निर्णय के संदर्भ में अलग होने का हकदार है। इस प्रकार यह अपील आंशिक रूप से हैअनुमति दी गई।

99. जहां तक 2019 की सिविल अपील संख्या 7266 और 2019 की सिविल अपील संख्या 7260 का संबंध है, समाधान पेशेवर ने खारिज कर दिया है। अपीलार्थियों का दावा उनके दावे के समर्थन में विधिवत मुहर वाले समझौतों की अनुपलब्धता और प्रस्तुत करने में विफलता के आधार परप्रस्ताव [2019] 16 एस. सी. आर. द्वारा बार–बार याद दिलाने के बावजूद भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का प्रमाण।पेशेवर। एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन गैर–अभियोजन के आधार पर 14.02.2019 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलार्थियों द्वारा दायर बहाली आवेदन को एन. सी. एल. टी. ने फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया। दो आधारों पर दिनांक 08.03.2019: एक, कि आवेदनों पर इतने विलंबित स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता था; और दो, कि उपरोक्त कारण के बावजूद, विधिवत मुहर वाले समझौतों को प्रस्तुत करने में विफलता के कारण दावे का कोई गुण नहीं था। पैराग्राफ 93 और 94 में विवादित एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले ने एन. सी. एल. टी. के निष्कर्ष को बरकरार रखा और

समाधान पेशेवर। इन समवर्ती निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों के दावे में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं का यह निवेदन कि उन्होंने अब आवश्यक डाक टिकट का भुगतान कर दिया है कर्तव्य, विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय के बाद, इस विलंबित चरण में अपीलार्थियों के मामले में सहायता नहीं करेगा। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

100. जहां तक 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1064 का संबंध है, हमने संबंधित दस्तावेजों और अनुच्छेद 36 का अध्ययन किया है।विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय और रिट के विवाद में बल प्राप्त करेंयाचिकाकर्ता ने कहा कि एन. सी. एल. ए. टी. ने गलत तरीके से नोट किया है कि दावे की राशि को समाधान पेशेवर द्वारा केवल आई. एन. आर. 1 पर स्वीकार किया गया था। समाधान पेशेवर ने रिट याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार किया है और यह समाधान पेशेवर द्वारा तैयार किए गए लेनदारों की सूची में दर्ज किया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए, एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय का यह हिस्सा इस प्रकार गलत है और दावा समाधान पेशेवर द्वारा स्वीकार और पंजीकृत दावा होगा। इस प्रकार रिट याचिका को इस हद तक अनुमति दी गई है।

101. जहाँ तक 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1049 का संबंध है, याचिकाकर्ता निश्चित रूप से एक का परिचालन लेनदार है।विंड वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड, जिसकी सी. आई. आर. पी. कार्यवाही एन. सी. एल. टी.,

अहमदाबाद के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ अपने मामले के तथ्यों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों को उठाने की अनुमति मांगी है (जो एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित मामले में हमारे समक्ष उठाया गया है)। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस निर्णय ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित रिट याचिकाकर्ता के मामले के गुण–दोष पर राय नहीं दी है, यह रिट याचिकाकर्ता के लिए खुला है कि वह लंबित कार्यवाही में एन. सी. एल. टी. के समक्ष लागू कानून के तहत सभी दलीलों को उठाए। इस प्रकार इस रिट याचिका को इस हद तक अनुमति दी गई है।एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। वी. सतीश कुमार गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

102. जहाँ तक दक्षिण गुजरात विज कंपनी का संबंध है। (2019 की सिविल अपील डायरी संख्या 24417 में प्रतिवादी संख्या 11), राज्य कर अधिकारी (2019 की सिविल अपील डायरी संख्या 24417 में प्रतिवादी संख्या 12), गुजरात ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड (2019 की सिविल अपील डायरी संख्या 24417 में प्रतिवादी संख्या 17) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। (उत्तरदाता सं।18 2019 की सिविल अपील डायरी संख्या 24417) में, समाधान पेशेवर ने उपर्युक्त के दावे को स्वीकार किया है। उत्तरदाताओं ने इस आधार पर 1 रुपये का अनुमान लगाया कि उक्त राशि के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष विवाद लंबित थे। हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांकित 08.03.2019 के फैसले के माध्यम से समाधान पेशेवर को उक्त उत्तरदाताओं के पूरे दावे को दर्ज करने का निर्देश दिया। एन. सी. एल. ए. टी. ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 43 और 196 में एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा और उपर्युक्त उत्तरदाताओं के दावे को स्वीकार किया। इसलिए हम मानते हैं कि विवादित निर्णय के इस हिस्से को इस आधार पर दरकिनार किया जाना चाहिए कि समाधान पेशेवर इन दावों के संबंध में विवादों के लंबित होने के कारण केवल 1 रुपये के काल्पनिक मूल्य पर दावे को स्वीकार करने में सही था।

103. एस्सार स्टील लिमिटेड के लेनदारों की समिति और अन्य सिविल अपीलों द्वारा दायर अपीलों की अनुमति है। द इम्पाग्ड 2019 की सिविल अपील संख्या 6409, 2019 की सिविल अपील संख्या 7266, 2019 की सिविल अपील संख्या 7260 को छोड़कर, एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। जहाँ तक 2019 की सिविल अपील संख्या 6266 और 2019 की सिविल अपील संख्या 6269 का संबंध है, इस निर्णय के संदर्भ में अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है। रिट याचिकाएं हैं – निर्णय के संदर्भ में निपटाया गया। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में निगमित देनदार का सी. आई. आर. पी. आर्सेलर मित्तल की दिनांकित समाधान योजना 23.10.2018 के अनुसार होगा, जैसा कि 27.03.2019 पर लेनदारों की समिति द्वारा संशोधित और स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न वर्गों के लेनदारों को निम्नलिखित राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है:संहिता की धारा 30 (2) और विनियम 38।

अंकित ज्ञान

अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।